पंचम माला, खंड 3, अंक 16, सोमवार, 14 जून, 1971 / 24 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. III, No 16. Monday, June 14, 1971 / Jyaistha 24, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
21-8-92
Fumigated
On 8.2.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. (3 25)
Date 30/3/72

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. III contains No. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।
This is translated version in a summary form of the Lok Sabha Debates and contains
Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 16, सोमवार, 14 जून, 1971 / 24 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 16, Monday, June 14, 1971/Jyaisth 24, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
451. अन्धों के लिये प्लास्टिक कोर्निया का प्रयोग	Use of plastic cornea for blinds	1—2
452. आवर्तक निधि के परिचालन के लिये स्थापित आवास निगम	Setting up of Housing corporation for operating revolving fund	2—3
453. मलेरिया उन्मूलन योजना की असफलता	Failure of Malaria Eradication Scheme	3—4
456. बंगला देश के प्रश्न पर भारत-चीन सम्बन्ध	Sino-Indian Relations on Bangla Desh Issue	4—6
458. गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क	Capitation fee for admission to private Medical Colleges	6—9
459. डी० आई जेड क्षेत्र, नई दिल्ली में बहुमंजिले भवनों का निर्माण	Construction of Multi storeyed buildings in DIZ Area, New Delhi	9—10
461. बिड़ला भवन को महात्मा गांधी स्मारक का रूप देना	Coversion of Birla Bhawan into Mahatma Gandhi Memorial	10—11
468. दिल्ली के छात्रों में नेत्र रोगों का उन्मूलन	Eradication of eye disease amongst students in Delhi	18—19
469. जिगर के कैंसर के सम्बन्ध में अध्ययन	Study on Liver Cancer	17
470. गुजरात स्थित कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Koyali Refinery in Gujarat	18
473. बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल की कमी	Shortage of crude for Barauni Refinery	11—12
476. कलकत्ता के पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत केन्सर केन्द्र	Integrated Cancer Centre in Eastern Zone at Calcutta	13—14

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Paggs
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
478. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, लखनऊ डिवीजन का विकास	Development of HAL Lucknow Division	14
480. पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने के आरोप में वायु सेना के अधिकारी की गोहाटी में गिरफ्तारी	Arrest of Air Force Officer at Gauhati for passing secret news to Pakistan	14—16
454. सैनिक अस्पतालों में अर्हताप्राप्त डाक्टरों और नर्सों की कमी	Shortage of qualified doctors and nurses in army hospitals	19—20
455. सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को खेती योग्य भूमि का आवंटन	Allotment of agricultural land to members of Armed Forces	20
457. कोचीन में भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by workers of Indian Oil Corporation in Cochin	20—21
460. विश्वविद्यालय में परिवार सलाहकार यूनिट स्थापित करने सम्बन्धी योजना	Plan for the family consulting units in the Universities	21
463. पेंशन-प्राप्त व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना	C. G. H. S. for Pensioners and their Families	21
464. ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in Rural Areas	21—22
465. सैनिक गोला बारूद और छोटे हथियारों की चोरी और उसका विक्रय	Pilferage and sale of Military Ammunition and small arms	22
466. विजयन्त टैंक प्लेटों की आवश्यकता	Requirement of Vijayanta Tank Plates	22—23
467. रायपुर के निकट केन्द्रीय सरकार का खाली पड़ा एक भवन	Central Government building lying vacant near Raipur	23
471. पारादीप में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Factory at Pradeep	23
472. ग्रामीण क्षेत्रों में असपताल खोलने के इच्छुक स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देना	Grants to voluntary organisations wishing to set up Hospitals in Rural areas	23—24
474. मद्रास तेलशोधक कारखाने को डेरियस अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिये नेशनल इरानियन कम्पनी के साथ हुए करार की पुनरीक्षा	Revision of agreement with National Iranian Oil company for supply of Darius crude to Madras Refinery	24
475. इलाहाबाद चयन वोर्ड द्वारा शार्ट सर्विस कमीशन और रेगुलर कमीशन के लिये उम्मीदवारों का चयन	Selection of candidates for Short Service Commissions and Regular Commissions by Allahabad Selection Board	25
477. ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को सहायता देना बन्द करने से इन्कार	U. K. refusal to stop aid to Pakistan	25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
479. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Central Government offices in Delhi	25—26
302. पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के पार बड़ा हमला करने की तैयारी	Preparations by Pakistan to Launch a Major operation across cease-fire Line in Kashmir	26
अता० प्र० संख्या/ U. S. Q. Nos.		
2003. कष्टकर क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिये विशेष भत्ते	Special allowances for doctors of CHS working in difficult areas	26
2004. राजस्थान और मध्यप्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता	UNICEF and for primary health and family planning Centres in Rajasthan and Madhya Pradesh	27
2005. वायु सेना के अधिकारियों को भत्ते	Allowances to Air Force Officers	27—28
2006. सशस्त्र सेना मुख्यालय के स्टेनोटाइपिस्टों को स्टेनोग्राफर III ग्रेड के पद न दिया जाना	Denial of Grade III Posts of Stenographers to Steno Typists of Armed Forces Headquarters	27
2007. अमरीका में रह रहे भारतीयों की बंगला देश की सरकार को मान्यता देने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से अपील	Appeal of Indians in United States to Prime Minister regarding recognition to Bangla Desh Government	28
2008. हवाई अड्डों पर जाँच-पड़ताल के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to exercise checks at Airports	28—29
2009. मद्रास में नेत्र रोग का फैलना	Eye disease epidemic in Madras	29
2010. केन्द्र द्वारा संचालित अस्पतालों में सुधार करने की योजना	Plan to improve Hospitals run by the Centre	30
2011. गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु भूमि के अभिग्रहण के लिये संवैधानिक संशोधन	Constitutional Amendment on acquisition of Lands for slum improvement	30
2012. रांची में मैरिन डीजल इंजन का निर्माण	Manufacture of Marine Diesel engine at Ranchi	30—31
2013. भंवर कुआँ बाँध के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Bhanwar Kuan Dam	31
2014. सम्भाव्य विकास योग्य शहरों के विकास हेतु द्रुतगामी कार्यक्रम	Crash Programme for development of potential growth towns	31—32
2015. वर्ष 1971 को पोषाहार वर्ष घोषित करना	1971 as Nutrition year	32
2016. रोयलसीमा, आंध्र प्रदेश में पीने के पानी की कमी	Scarcity of drinking water in Royalseema, Andhra Pradesh	32
2017. डा० धर्म तेजा को भारत लाने पर हुआ व्यय	Expenditure incurred in bringing Dr. Dharma Teja to India	32
2018. चंडीगढ़ राज्य-क्षेत्र का विकास	Development of Chandigarh Territory	33

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2019.	दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों के लिये पेय जल सुविधाओं की कमी	Lack of drinking water facilities for Taxi drivers in Delhi	33
2020.	सोवियत संघ से मिट्टी के तेल का आयात	Import of Kerosene oil from Soviet Union	[illegible]
2021.	वर्मा और पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति	Compensations to Immigrants from Burma and Pakistan	34
2022.	मार्कीट टाऊन एण्ड स्पेशियल डेवेलपमेन्ट पर गोष्ठी	Seminar on Market Town and Spatial Development	34
2023.	रोडेशिया के सम्बन्ध में भारत का इंगलैंड से आग्रह	India's plea to U. K. Re. Rhodesia	35
2024.	भारतीय विमान के अपहरण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को भेजा गया प्रतिवेदन	Report on Hijacking of Indian Plane to International Civil Aviation Organisation	35
2025.	गोआ शिपयार्ड श्रमिक संघ की मांगें	Demands of Goa Shipyard Workers' Union	35—36
5026.	गोआ शिपयार्ड के कर्मचारियों द्वारा नगर प्रतिकर भत्ते की मांग	Demand by Goa Shipyard Workers for City compensatory Allowance	36—37
2027.	बंगला देश के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने के बारे में प्रधान मंत्री की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक	P. M.'s meeting with Opposition Leaders regarding sending of Delegations abroad for Mobilisation of Public Opinion in Favour of Bangla Desh	37
2028.	दिल्ली में टाइप IV के सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Type IV Government Accommodation in Delhi	37
2029.	तलचेर और रामगुंडम में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करना	Coal Based Fertilizer Plants at Talcher and Ramagundam	37—38
2030.	श्रीलंका की सीमा में भारतीय नौसेना द्वारा हथियारों सहित पकड़ गये जलपोत	North Korean Trawlers with Arms Captured by Indian Navy in Ceylonese Waters	38
2031.	कलकत्ता में विदेश मंत्रालय का कार्यालय	External Affairs Office in Calcutta	38
2032.	दिल्ली में महिला होस्टलों में स्थान की कमी	Shortage of Accommodation in Girl's Hostels in Delhi	38—39
2033.	मिलीटरी के प्रवर अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् नौकरियों का देना	Jobs to Senior Military officers after retirement	39
2034.	गृह निर्माण ऋण से निजी सम्पत्ति खरीदने की अनुमति	Permission for purchase of Private Properties against House Building Loans	39—40

ता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2035.	दिल्ली में रहने के मकानों की कमी	Shortage of Residential Accommodation in Delhi	40—41
2036.	मनीपुर के इम्फाल और अन्य कस्बों का विकास	Development of Imphal and other Towns in Manipur	41—42
2037	मेडीकल कालेज मनीपुर में एम० बी० बी० एस० के लिये स्थानों का कोटा	Quota of M. B. B. S. Seats in Medical College, Manipur	42
2038.	दिल्ली में सिंहानूक सरकार का प्रतिनिधिक दूतावास	Representative Mission of Sihanouk Government in Delhi	42
2039.	डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में डी० सी० बिजली को ए० सी० में बदलना	Conversion of D. C. into A C. in DIZ Area, New Delhi	42—43
2041.	3 फील्ड आर्डनेन्सी डिपो, जम्मू तथा काश्मीर के कर्मचारियों को यूनियन गठित करने हेतु अनुमति	Permission to form Union by Employees of 3 Field Ordnance Depot, Jammu and Kashmir	43—44
2042.	बहुप्रयोजनीय चलते-फिरते प्रशिक्षण एवं सेवा अस्पताल	Multipurpose Mobile Training cum-service Hospitals	44—45
2043.	"सी हाक मेरीटाइन जेटों" के स्थान पर "हैरीयर जम्प जेटों" का प्रयोग	Replacement of Sea Hawk Martime Jets by Harrier Jump jets	45
2044.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का बिना पूर्णकालिक अध्यक्ष के होना	ONGC without full time Chairman	45
2045.	वैस्ट बंगाल वैक्सीन इंस्टीच्यूट	West Bengal Vaccine Institute	45—46
2046.	प्रवर भौतिक चिकित्सकों के भर्ती सम्बन्धी नियम	Recruitment Rules for Senior Physiotherapists	46
2047.	कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign exchange for coal based fertilizer plant at Korba	46—47
2048.	रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन	Minimum pension to Central Government Employees including Defence Services personnel	47
2049.	सिन्दरी फर्टीलाइजर फैक्टरी की टाउनशिप सम्बन्धी समिति	Committee for township of Sindri Fertilizer Factory	47—48
2050.	हिन्द महासागर में ब्रिटिश नौसेना का वाहक जहाज	British Navy Carrier in Indian Ocean	48
2051.	उर्वरक परियोजनाओं के लिये फीड स्टाक समिति का प्रतिवेदन	Report of Feed stock Committee of Fertilizer Projects	48
2052.	वायु सेना के प्रशिक्षणार्थियों को दिये जा रहे भत्ते	Allowances to Trainees of Air Force	48

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

14 जून, 1971 । 24 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(ii)	पहली लाइन में लिखित के स्थान पर मौखिक तथा Written के स्थान पर Oral पढ़िये ।

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2053.	कर्ण वैंक की स्थापना	Setting up of Ear Bank	49
2054.	नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर सरकारी क्वाटरों का निर्माण	Construction of Government Quarters at Safdarjung Airport, New Delhi	49
2055.	बड़े नगरों में पटरी पर रहने वाले लोगों के लिये रैन बसेरों की व्यवस्था	Night shelters to the Pavement Dwellers in Big cities	49—50
2056.	भारत में पनडुब्बियों और आधुनिकतम फ्रिगेटों का बनाया जाना	Building of submarines and sophisticated frigates in India	50
2057.	हिन्द महासागर में विदेशी नौसैनिक अड्डा	Foreign Naval Bases in Indian Ocean	50—51
2058.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कोरापुट डिवीजन सोनाबेड़ा, उड़ीसा के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Workers of HAL Koraput Division Sonabeda, Orissa	51
2059.	केरल के जिलों में रक्तक्षीणता के बहुत से मामले	Cases of Mass Anaemia in Districts of Kerala	51—52
2060.	पूर्वी बंगाल में स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में उत्तरी वियतनाम का मत	Views of North Vietnam regarding freedom struggle in East Bengali	52
2061.	पश्चिम बंगाल में पुरुलिया स्थित सैनिक स्कूल के प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against Administration of Sainik School, Purulia in West Bengal.	52—53
2062.	हिन्द महासागर में चीनी और पाकिस्तानी नौ सेना का जमाव	Chinese and Pakistani Naval Presence in Indian Ocean	53
2063.	नेपाल के साथ व्यापार वार्ता के असफल होने के लिये चीन द्वारा भारत पर दोषारोपण करना	China blaming India for failure of Trade talks with Nepal	53
2064.	विद्रोही मिजो और भारतीय सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ें	Clashes between Mizo rebels and Indian security Forces	53
2065.	चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इण्डियन आयल के पेट्रोल पम्पों का खोला जाना	Indian Oil Petrol Pumps to be opened in Fourth Plan period	54
5066.	निजी संस्थाओं के बारे में मैसूर की चिकित्सा संस्थाओं से शिकायतें	Complaints from Medical Institutions of Mysore re: Private Institutions	54—55
2067.	सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रोत्साहन योजना	Incentive scheme in Sindri Fertilizer Factory	55
2068.	घरेलू गैस के मूल्य में कमी होना	Reduction in price of Domestic Gas	55
2069.	दिल्ली में मकान मालिकों के पास झुग्गी झोपड़ी प्लाट	Property owners having Jhuggi Jhonpri plots in Delhi	55—56

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2070.	परिवार नियोजन सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Family Planning	56
2071.	दिल्ली में गृह निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to House Building Societies in Delhi	56
2072.	गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली को अतिरिक्त भूमि का आवंटन	Allotment of additional land to Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi	56—57
2073.	केन्द्र द्वारा संचालित अस्पतालों का कार्यकरण	Committee on working of Centrally run Hospitals	57—58
2074.	हिन्डन हवाई अड्डे (गाजियाबाद) के सिविलियन कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि सम्बन्धी विवरण	G.P.F. statement of Hindon Airport (Ghaziabad) Civilian Employees	58
2075.	तट से दूर तेल की खोज करने के लिए निगम की स्थापना	Corporation for Off shore oil exploration	59
2076.	इण्डोचीन के बारे में जेनेवा सम्मेलन	Geneva Conference on Indo-China	59
2077.	उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्रों का निर्माण करने के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for construction of Family Planning Centres in U. P.	59
2078.	बंगला देश के बारे में समर्थन प्राप्त करने के लिये गांधीवादी संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडलों का संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व की राजधानियों में जाना	Delegation to World Capitals and to U. N. in support of Bangla Desh by Gandhian Organisations	59—60
2079.	ग्रामीण क्षेत्रों में वैद्यों की कमी	Shortage of Vaidyas in Rural Areas	60
2080.	मध्य प्रदेश में तेल की खोज	Exploration of oil in Madhya Pradesh	60
2081.	मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलना	Opening of Sainik School in Madhya Pradesh	60—61
2082.	रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सैनिक समाचार में काम करने वाले अधिसंख्यक अनुवादक	Supernaumary Translators working in Sainik Samachar published by Ministry of Defence	61
2083.	बंगला देश के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये विदेशों में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि	Indian Representatives sent to Foreign Countries to explain stand on Bangla Desh Issue	61—62
2084.	दिल्ली में मेसर्स नियमातुल्ला और परमजीत सिंह को उत्खनन कार्य (रेत) का आवंटन	Allotment of quarrying (sand) in Delhi to M/s. Niamatullah and Paramjeet Singh	62
2085.	देश में लूप लगवाने वाली स्त्रियों की संख्या में कमी	Decline in loop insertion in the country	62—63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2086.	बंगला देश से घायल लोगों के भारी संख्या में आ जाने के कारण जी० बी० अस्पताल, अगरतल्ला के कर्मचारियों पर काम का अधिक भार	Heavy work load on Staff on G. B. Hospital Agartala due to influx of wounded People from Bangla Desh	63
2087.	डेरा इस्माइल खां, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली के नक्शे	Lay out plan of the Dera Ismail Khan House Building Society, Delhi	63—64
2088.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डेरा इस्माइल खां हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को आवंटित की गई भूमि का विकास	Development of land allotted to Dera Ismail Khan House Building Society by D.D.A.	64
2089.	सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में सिर में चोट लगने के मामले	Head Injury Cases dealt with by Safdarjung Hospital, Delhi	64—65
2090.	स्वास्थ्य पर दही का प्रभाव	Effect of Curd on Health	65
2091.	एक अधिकारी को शान्ति क्षेत्र में रखने की अवधि	Period of stay of an Army Officer in Peace Area	65—66
2092.	राजस्थान के जयपुर डिवीजन और बिहार के तिरहुत डिवीजन इंडेन गैस के वितरक	Indane Gas Distributors in Jaipur Division of Rajasthan and Tirhut Division of Bihar	66
2093.	न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water Supply in New Moti Nagar, New Delhi	66—67
2094.	नई दिल्ली आदर्श नेत्र अस्पताल के लेखों की लेखापरीक्षा	Auditing of Accounts of Adarsh Netra Hospital, New Delhi	67
2095.	बटाला बाजार, अगरतल्ला में म्यूनिसिपल मार्किट के निर्माण के लिये निधि	Funds for constitution of Municipal Market at Battala Bazar, Agartala	67
2096.	गोविन्द बल्लभ अस्पताल, अगरतल्ला के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Govind Ballabh Hospital Employees Agartala	
2097.	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाओं के लिये योजना	Master Plan for Family Planning Services in Rural areas	
2098.	इंजीनियरिंग की अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को सेना में कमीशन	Candidates for Commissions in defence Forces possessing Engineering Qualifications	68
2099.	मेरठ कैन्ट में सेना में कमीशन के लिये एक चयन केन्द्र	Selection Centre for Commission in Defence Forces, Meerut Cantt.	68
2100.	तमिलनाडु में राजसहायता प्राप्त बागान श्रम आवास योजना के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Subsidised plantation Labour Housing Scheme in Tamil Nadu	68—69

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2101. भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Indian Foreign Service	69
2102. भारतीय सेना में हिमाचल रेजीमेन्ट	Himachal Regiment in the Indian Army	70
2103. सैनिकों को विभिन्न प्रकार की पेंशन	Various Types of Pensions to Service-men	70
2104. सेना के जवानों और अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान	Present Pay Scales of Jawans and Officers of Army	70—71
2105. आंध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Ex-servicemen in Andhra Pradesh	71—72
2106. एच० एफ० 24 सुपरसोनिक विमान के लिये इंजन का विकास	Development of Engine for HF 24 Supersonic Aircraft	72
2107. सुपरसोनिक गति वाले भारतीय विमानों का निर्माण	Production of Indian Planes of Super-sonic speed	72
2108. त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने का प्रस्ताव	Proposal for expansion of Hospital in Rural Areas of Tripura	73
विलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	73—77
किसानों की सारी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर न खरीदा जाना ।	Reported non-procurement of farmers' entire produce at price fixed by Government	73—76
श्री ए० पी० शर्मा श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Sri A. P. Sharma Sri Fakhurddin Ali Ahmed	
पंजाब विधान सभा के विघटन के बारे में	Re: Dissolution of Punjab Assem-bly	76—81
बंगला देश से आये शरणार्थियों को राहत के बारे में	Re: Relief Consignments for Evacuees from Bangla Desh	77
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	77—78
साबुन के मूल्यों के बारे में वक्तव्य श्री यशवन्तराव चह्वाण	Statement re: Prices of Soaps Shri Yeshwantrao Chavan	78
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य श्री मोहन लाल कुमारमंगलम	Statement re: Appointment of Repre-sentatives of Workers on the Board of Director of Hindustan Steel Limited Shri Mohan Kumarmangalam	79
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (राजमाता विजय राजे सिन्धिया)	Personal Explanation by Member (Rajmata V. R. Scindia)	80
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	80—81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos		
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का शासी निकाय	Government Body of Indian Council of Medical Research	80
शेख मुजीबुर्रहमान के पते-ठिकाने के बारे में	Re: Whereabouts of Sheikh Mujibur Rahman	81
बंगाल वित्त (विक्रय कर) (दिल्लीय नियुक्ति तथा कार्यवाही विधिमान्यकरण) विधेयक	Bengal Finance (Sales Tax) (Delhi Validation of Appointment and Proceedings) Bill	82—85
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री ए० के० साहा	Shri A. K. Saha	
श्री नवल किशोर सिंह	Shri N. K. Sinha	
श्री इसहाक सम्भाली	Shri Ishaq Sambhali	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	
खंड २ से ४ और १ पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2 to 4 and 1 Motion to pass	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	
स्वर्ग नियंत्रण संशोधन विधेयक	Gold (Control) Amendment Bill	85—92
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	
श्री माधुर्य्य हाल्दार	Shri Madhuryya Haldar	
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Vishwanathan	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	Dr. Laxminarain Pandey	
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	
खंड २ से ६ और १ पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2 to 6 and 1 Motion to Pass	
श्री ज्योतिर्मय वसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
श्री के० आर० गणेश	Sri K. R. Ganesh	
अनुदानों की माँगें (रेलवे) 1971-72	Demands for Grants (Railways), 1971-72	93—152
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	
श्री वयालार रवि	Shri Vayalaar Ravi	
श्री नवल किशोर सिंह	Shri N. K. Sinha	

Subject पृष्ठ / **Pages**

विषय

U. S. Q· Nos.

श्री सी० जनार्दनन	Shri C. Janardhanan
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga
श्री मोहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir
श्री आर० बी० बडे	Shri R. V. Bade
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai
श्री मुल्कीराज सैनी	Shri Mulki Raj Saini
श्री एम० सुदर्शनम्	Shri M. Sudarshanam
श्री था किरुत्तिनन	Shri Tha Kiruttinan
श्री के० एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary
श्री इसहाक साम्भली	Shri Ishaq Sambhali
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripornanand Painuli
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur
श्री के० बासप्पा	Shri K. Basappa
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri N. K. Sharma.

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 14 जून, 1971/24 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

Monday, June 14, 1971/Jyaistha 24, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अंधों के लिए प्लास्टिक कोर्निया का प्रयोग

*451 **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधों के लिये प्लास्टिक कोर्निया उपयोगी पाया गया है और क्या इस बारे में देश में प्रयोग किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक कोर्निया पर कितनी लागत आती है ; और

(ग) इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ग) इस सम्बन्ध में जिन थोड़े से मामलों का अध्ययन किया गया, उनसे अन्धों के लिए प्लास्टिक कोर्निया की उपयोगिता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है ।

(ख) भारत में बनाये गये प्लास्टिक कोर्निया की लागत 250 रु० से 500 रु० के बीच अलग-अलग है ।

श्री एम० एम० जोजफ : उन संस्थानों के नाम क्या हैं जहाँ ये ऑपरेशन किये गए हैं।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : एक तो राजेन्द्र चिकित्सा कालेज तथा अस्पताल, पटियाला में है और दूसरा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र है ।

श्री नवल किशोर सिंह : मेरे विचार में कुछ राज्यों में जीवित व्यक्तियों द्वारा कोर्निया दान देने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाया गया था। इस सम्बन्ध में इन राज्यों में क्या प्रगति हुई है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जहां तक व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले कोर्निया का सम्बन्ध है, हमारे पास उसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्लास्टिक कोर्निया डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में तैयार किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न की सीमा से बाहर क्यों जा रहे हैं। प्रश्न प्लास्टिक कोर्निया के बारे में पूछा गया है।

आवर्तक निधि के परिचालन के लिए स्थापित आवास निगम

+

*452. **श्री पी० गंगादेव** : **श्री एस० एम० कृष्ण** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित 200 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि के परिचालन के लिए एक वर्ष पूर्व स्थापित किये गये आवास निगम के कार्य में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का परित्याग करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) निगम ने अपने विधिवत गठित निदेशक मण्डल के साथ, तथा अपने कार्यालय में, कार्य करना आरंभ कर दिया है। 500 करोड़ रुपये से ऊपर की कुल लागत की प्राप्ति हुई लगभग 120 आवास परियोजनाओं में से, लगभग 62 करोड़ रुपये की लागत की 5 परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/आवास बोर्डों द्वारा कतिपय शर्तों के पूरा किये जाने की शर्त पर, अभी तक अंतरिम रूप से अनुमोदित की गई हैं।

(ख) निगम का उद्देश्य आवर्तन निधि के रूप में 200 करोड़ रुपये का संग्रह करना तथा प्रयोग में लाना है; यह राशि सरकारी नियतनों, गैर सरकारी बचतों के संग्रहण, पूंजी लगाने वाले सार्वजनिक संस्थानों से लम्बी अवधि के ऋण लेने तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से भी सहायता द्वारा इकट्ठी की जानी थी। जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की सहायता के लिए बातचीत चल रही है। क्योंकि यह बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, निगम किसी योजना की वित्त व्यवस्था के लिये ऋण की स्वीकृति नहीं दे सका है।

(ग) जी नहीं।

श्री पी० गंगादेव : उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं चालू की जाएंगी और उसमें प्रारम्भिक पूंजी निवेश कितना होगा ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक योजनाओं के प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इसकी मेरे पास लम्बी सूची है जो आन्ध्र, गुजरात आदि राज्यों से शुरू होती है। लगभग 15 राज्यों ने 129 योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिसमें 500 करोड़ रुपया व्यय होगा।

श्री पी० गंगादेव : मैं उड़ीसा के विषय में जानना चाहता हूं। क्या वित्तीय तथा तकनीकी निदेशक वहां गये हैं और क्या उन्होंने स्थानों का चयन किया है; और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : उड़ीसा से 4 योजनाएं प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है। अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। जहां तक तकनीकी निदेशकों के वहां जाने का प्रश्न है, मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि विशेषज्ञ वहां जाएंगे अथवा नहीं।

श्री के० एस० चावड़ा : आवास निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर क्या है ?

श्री आई० के० गुजराल : ब्याज-दर योजना के सामाजिक महत्व पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ स्वीकृत पांच योजनाओं में से बम्बई की एक योजना पर 6½ प्रतिशत की दर से तथा अन्य योजना पर 7½ प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया है। जिन योजनाओं में सामाजिक महत्व अधिक होता है अर्थात् जो योजना गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित होती हैं, वहां ब्याज की दर कम होती है।

Failure of Malaria Eradication Scheme

***453. Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Malaria is again spreading in the country and all the measures taken by Government to eradicate it have failed; and

(b) if so, the reasons therefor ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Has the hon. Minister seen the PAL's Report No. 101 regarding failure of Malaria Eradication Scheme wherein Govt. officials had conceded before the committee that Malaria is again spreading and all the measures taken by the Government to eradicate it have failed. I am surprised at the answer of the hon. Minister. Is he fully aware of the situation ?

Mr. Speaker : You are referring to which year's report.

Sri Atal Bihari Vajpayee : Last Year's.

The Minister of Health and Family Planning Works and Housing (Shri Uma Shankar Dikshit) : The question was raised in such a manner that no answer could be given except saying no. Hon. Member should first see the question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I wish to bring to the notice of the hon. Minister a part of the published report of the Additional Secretary of his Ministry. This was submitted by him before Public Accounts Committee.

"राज्यों में कई प्रशासनिक कमियां थीं। हाल ही में आपके दल ने तीन-चार राज्यों का दौरा किया है। इन्हें स्टाप, परिवहन तथा सप्लाई सम्बन्धी अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अन्ततः मच्छरों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया है।"

I wish to know what action has been taken in this regard. Medicines are not available in time. There is shortage of vans and staff. The Fourth Plan outlay has been increased. What steps have been taken to ensure that this money is spent only for the benefit of the people ?

Shri Uma Shankar Dikshit : This question is mainly concerned with 4 states viz., Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Punjab, where the situation is quite grave. The hon. member knows that it is none of our business to issue orders nor can we do so. Centrally sponsored schemes will be taken up. The centre will shoulder the financial responsibility. There is no reason for the States to differ from it. Departing from the consolidation and maintenance stage these states have reverted to attack stage of 1958. I have no doubt that the concerned states are quite worried about it and I am sure, they will give their fullest co-operation.

Shri Achal Singh : Delhi is the capital of the country, where mosquitoes are multiplying in large numbers and are creating trouble. What action has been taken in this regard.

Shri Uma Shankar Dikshit : As for Delhi is concerned there has been a change in the reverse direction. We have made sufficient financial provision for the year 1971-72.

Shri Amar Nath Chawla : Is it a fact that there has not been a single case of Malaria between 1965 and 1969 and is it also a fact that because of the deterioration of sanitary conditions thereafter malarial cases have been reported again ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Sanitary conditions are responsible to a certain extent for it in rural areas. Spraying facilities are inadequate. In some of the villages where people have made pools etc. the increasing number of mosquitoes is causing trouble.

Shri Prabodh Chandra : Whether any complaint has come to the notice of the hon. Minister to the effect that the fund which was earmarked for the eradication of Malaria and Spraying purposes for Delhi and some other states have been used for other purposes ?

Shri Uma Shankar Dikshit: No, it is not a fact.

डा० रानेन सेन : कलकत्ता के समाचार पत्रों के अनुसार वहां मलेरिया विरोधी आन्दोलन असफल रहा है क्योंकि मच्छरों पर डी० डी० टी० का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कोई खोज की जा रही है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह ठीक है कि डी० डी० टी० के लगातार प्रयोग के कारण कुछ मच्छरों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वह मच्छर मलेरिया फैला रहे हैं पर यह इतना गंभीर कारण नहीं है कि रोग पर नियंत्रण न पाया जा सके।

Shri Hukum Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated that there has been a change in the behaviour of mosquitoes. I wish to know if mosquitoes have changed their nature because of the change in the Government ?

Shri Uma Shanker Dikshit : Hon. members should ask this question from the members of Public Accounts Committee who are possessed of the information.

बंगला देश के प्रश्न पर भारत-चीन सम्बन्ध

*456. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश पर पश्चिम पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने के समय भारत के प्रति चीन का रुख बहुत ही खराब था; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस प्रकार के अमैत्रीपूर्ण रवैये का विरोध किया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पूर्व बंगाल पर पश्चिम पाकिस्तान के बर्बर हमले के दौरान चीन का रुख भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा ।

(ख) ऐसे प्रश्नों पर चीन से विरोध प्रकट करने की कोई बात नहीं है । विरोध का तभी अर्थ होता है जब कि उस देश के रुख पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो । किन्तु, पूर्व बंगाल की स्थिति के सम्बन्ध में हमारे विचारों से नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास को अवगत करा दिया गया था ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय का यह कथन है कि विरोधों का कोई अर्थ नहीं होता, बड़ा आश्चर्यजनक है । चीन के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं । हम इस बात से पूर्ण भिज्ञ हैं कि याह्या सरकार द्वारा पूर्व बंगाल में भेजी गई सेना की चार डिवीजनें चीन सरकार द्वारा दिये गए आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित हैं । यह बड़ी हैरानी की बात है कि चीन मुक्ति फौज का समर्थन करने के स्थान पर पाकिस्तान के सैनिक शासन और सैनिक तानाशाही का समर्थन कर रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री ने सब देशों के प्रमुखों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे थे तो क्या चीन को भी ऐसा पत्र भेजा गया था । यदि हां, तो चीन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बात केवल आश्चर्यजनक ही नहीं अपितु हतप्रभ करने वाली भी है कि चीन मुक्ति आदोलन का समर्थन करने के बजाय उस सैनिक शासन का समर्थन कर रहा है जो बंगला देश में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए प्रयत्नशील है । और यह एक ठोस सत्य है । हम यह भली भांति जानते हैं कि वह याह्या सरकार का समर्थन कर रहा है और उसे आधुनिक शस्त्रों की सप्लाई कर रहा है । जहां तक उपरोक्त पत्र का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार चीन को किसी प्रकार का पत्र नहीं भेजा गया किन्तु हमने चीन को यहां और पेकिंग दोनों स्थानों पर अपने विचारों से अवगत करा दिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि बंगला देश में इस जाति विनाश के बाद मुक्ति आंदोलन को सहायता देने के बजाय चीन ने भारत सरकार द्वारा पुनर्वास के मामले में बंगला देश के लोगों की सहायता करने के कारण उसे धमकाने के लिए हमारी सीमाओं पर विशेषकर पूर्वी सीमा पर सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया है; यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिए हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इसमें सन्देह नहीं कि चीन बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन के विरुद्ध याह्या सरकार को समर्थन दे रहा है और उसने यहां तक कह दिया है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो चीन पाकिस्तान की मदद करेगा । जहां तक सेनाओं को एकत्र करने का प्रश्न है, उसके बारे में भारत सरकार भली भांति अवगत है और रक्षा मंत्रालय इस बारे में जागरूक है । रक्षा मंत्रालय किसी भी प्रकार की संभाव्यता की चुनौती के लिए तैयार है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : President Mao-tse-Tung smiled when our representatives met him in Peking and his smiles were interpreted by us to mean that the Communist China is favourably disposed towards us but now what is the outlook of the Government in view of China's policy towards Bangla Desh. Is there any change in the attitude of Communist China towards India or it is the same as was before ?

Shri Surendra Pal Singh : It is an old story that Mao-tse-Tung gave a smile on meeting our C. D. A. We then believed that there was a change in China's policy but thereafter such things happened that made us to believe that there was no such change.

गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क

+

*458. **श्री सी० जनार्दनन :** **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये अब भी प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों में इस समय लिये जाने वाले प्रति-व्यक्ति शुल्क की दरें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रथा को समाप्त करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों में इस समय जो प्रति-व्यक्ति (कैपिटेशन) फीस ली जा रही है उसकी दरें सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं । इस सूची में हाल में ही खुले बिहार के नये चिकित्सा कालेजों की दरें नहीं दी गई हैं । इसके बारे में सूचना मंगाई जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) गैर सरकारी चिकित्सा कालेजों द्वारा कैपिटेशन फीस लेने की प्रथा को समाप्त करने की दृष्टि से भारत सरकार इन कालेजों को राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन ले लेने अथवा कैपिटेशन फीस के बन्द कर दिये जाने पर उससे होने वाली हानि को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने के आर्थिक पहलू पर विचार कर रही है ।

विवरण

राज्य का नाम	कालेज का नाम	प्रति व्यक्ति शुल्क की दर
1. आन्ध्र प्रदेश	ककातिया मेडिकल कालेज, वारंगल	(I) मिश्रित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिये प्रति छात्र 6000 रु० । तथा (II) मिश्रित पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में दाखिले के लिये प्रति छात्र 7000 रु०
तदेव	रंगराया मेडिकल कालेज, काकीनाड़ा	प्रति छात्र 10,000 रु०

2. बिहार	मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	प्रति छात्र 5,500 रु० (दान)
3. महाराष्ट्र	मेडिकल कालेज, शोलापुर	प्रति छात्र 7,000 रुपये।
4. मैसूर	मेडिकल कालेज, गुल्बर्ग	प्रति छात्र 5,000 रुपये।
तदेव	मेडिकल कालेज, बेलगांव	प्रति छात्र 5,000 रुपये। (2,000 रु० आरक्षण शुल्क सहित)
तदेव	कस्तूरवा मेडिकल कालेज, मणिपाल	प्रति छात्र 6,000 रुपये
तदेव	मेडिकल कालेज, देवंगान	मैसूर के छात्रों से 5,000 रु० प्रति छात्र तथा दूसरों से 7,000 रुपये।
तदेव	सैण्ट जॉन मेडिकल कालेज, बंगलौर	प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाती।
5. तमिलनाडू	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेल्लौर	प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाती।
6. पंजाब	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना	प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाती।
तदेव	दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाती।

श्री सी० जनार्दनन : यह निन्दाजनक बात देश भर में प्राईवेट कालेजों में हो रही है जिनको प्रति व्यक्ति फीस मिल रही है। यह घटना पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज पटना से सम्बन्धित है। यह केवल एक उदाहरण है। इस कालेज में 400 विद्यार्थी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री सी० जनार्दनन : विदेशी विद्यार्थी भी इसमें हैं। इस बात से देश की प्रतिष्ठा कम होती है। इन सब बातों तथा सम्बन्धित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात की जांच करने के लिये संसदीय समिति का गठन करेगी ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे विचार में इस प्रश्न पर विचार हो गया है और कुछ इस प्रकार का निर्णय ले लिया गया है कि सरकार इस प्रकार के कालेजों को प्रोत्साहित नहीं करेगी। ऐसे कालेजों को विकसित न होने देने के लिये राज्य सरकारों के द्वारा यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री सी० जर्नादनन : इस पाटलिपुत्र कालेज की तरह यदि सरकार कुछ अन्य कालेजों को बन्द कर रही है तो क्या सरकार राज्य सरकारों को बन्द किये गये कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये कहेगी ? तीन वर्ष पहले केरल सरकार ने एक कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : केरल और पश्चिम बंगाल के एक-एक ऐसे ही कालेज सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं। यदि स्थिति कुछ अन्य प्रकार से ठीक हो सके तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री चन्द्रप्पन : ऐसा कहा गया है कि यह मामला हमेशा सरकार के विचाराधीन रहा है। जैसा कि उत्तर में कहा गया है, उन्हें मेडिकल कालेज पाटलीपुत्र से जानकारी नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार लोक जांच अधिनियम के अधीन जांच करने के लिये तथा इस समस्या का समाधान करने के लिये संसदीय समिति अथवा कोई अन्य समिति नियुक्त करने में क्यों संकोच कर रही है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिये तथा सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के लिये समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : इस पर दो बार विचार हो चुका है और वर्तमान स्थिति यह है कि यदि केन्द्रीय अनुदान द्वारा राज्यों का घाटा पूरा नहीं हुआ, तो केन्द्र का दायित्व असीमित हो जायेगा। इस विषय पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। मेरे विचार में इन कालेजों को एकदम बन्द करना उचित नहीं होगा। यद्यपि इनका स्तर कुछ नीचा है, फिर भी ये कालेज जनोपयोगी सेवा कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि अभी कोई संसदीय समिति गठित की जाये।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या यह सच है कि सरकार यह जानती है कि ऐसी बातें काफी वर्षों से हो रही हैं और क्या हम यह समझें कि सरकार कोई समाधान निकालने में असफल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री के० लकप्पा : जहां तक प्राईवेट कालेजों का सम्बन्ध है, मैसूर में तीन प्राईवेट मेडिकल कालेज हैं। कालेजों के संस्थापक पैसा बटोर रहे हैं और वे 25,000 रु० से अधिक ले रहे हैं। ...

अध्यक्ष महोदय : मुझे भूमिका बांधने की इजाजत देना समाप्त करना होगा ताकि माननीय सदस्य सीधे प्रश्न पूछ सकें।

श्री के० लकप्पा : प्रति व्यक्ति शुल्क 25,000 रु० से 30,000 रु० तक है। गुलबर्ग मेडिकल कालेज के संस्थापकों ने लगभग एक करोड़ रुपया कमा लिया है। देवनागरी और बलगांव मेडिकल कालेजों की बात भी यही है। क्या सरकार इन तीन मेडिकल कालेजों के संस्थापकों के घरों पर छापा मारेगी ताकि विद्यार्थियों से प्राप्त धन जब्त किया जा सके ? जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है, ऐसी स्थिति में गरीब लड़कों का कालेज में जाना असंम्भव है। मैसूर अब राष्ट्रपति शासन के अधीन है। क्या यह सच है कि मैसूर के सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि सरकार इन कालेजों को अपने हाथ में ले ले और केन्द्रीय सरकार वैकल्पिक आर्थिक सहायता दे; यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : प्रति व्यक्ति शुल्क के जिस 25,000 रुपये अथवा 30,000 रुपये का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, हमें उसकी सूचना नहीं थी। मंत्रालय की सूचना के अनुसार यह किसी भी दशा में 10,000 रुपये ये अधिक नहीं है। हमने माननीय सदस्य द्वारा सूचना नोट कर ली है और अवश्य इसकी जांच करेंगे और इसका यथासम्भव समाधान निकालेंगे।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या यह सच है कि पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मंत्री से मिला था और उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कालेज के विद्यार्थियों, जिनमें विदेशी विद्यार्थी भी शामिल हैं, से प्राप्त 70 लाख रुपये पूंजी बैंक में हैं, क्या सरकार इस कालेज को अपने हाथ में ले रही है ताकि विद्यार्थी और अधिक निराश न हों ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जिस प्रतिनिधि मंडल की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, वह मुझसे मिला था और मैंने कोई समाधान ढूंढ़ने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करने का वचन दिया था। वास्तव में मैं समाधान ढूंढ़ना चाहता था लेकिन बाद में कुछ लड़कों ने आकर मुझे कहा कि बिहार सरकार ने कालेज को अपने हाथ में ले लिया है। अतः अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसलिये मैंने यह बात छोड़ दी। अत: अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। यदि ऐसी कोई बात फिर हुई, तो मैं इसमें व्यक्तिगत रुचि लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह भी 70 लाख रुपये का प्रश्न है।

डा० मेलकोटे : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने कई बार पहले इस सदन में आश्वासन दिये थे कि वे प्रति व्यक्ति शुल्क को नहीं लेने देंगे और इस प्रकार के छोटे मोटे कालेजों को बनने नहीं देंगे ? क्या यह सच नहीं है कि ऐसे कई कालेज बन गये हैं और कई कालेज ऐसा शुल्क अब भी ले रहे हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यदि यह मामला विधायी उपायों से सम्बन्धित है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा तो सदन में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए हम स्वयं ही विचार कर लेते। लेकिन मुझे ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसके अधीन हम नये कालेजों को खुलने से रोक सकें।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, ऐसे कई कालेज ठीक तरह से चल रहे हैं क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय इन कालेजों को अपने से सम्बद्ध करता है। अत: यह राज्य सरकारों द्वारा विचार करने की बात है और केन्द्र राज्य सरकारों की नीतियों और विचारों की अवहेलना नहीं कर सकता।

श्री वयालार रवि : समाचार पत्रों की रिपोर्टों से मालूम होता है कि पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज की इस घटना के बाद, पटना में एक नया कालेज खुल गया है जिससे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्बद्ध हो गये हैं। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे अध्यक्ष महोदय का नाम भी संरक्षक के रूप में इससे जुड़ा है। दान पर आधारित ऐसे कालेज को हम कैसे बनने दे सकते हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करके ऐसे कामों को रोकेगी ?

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय के नाम को इधर नहीं घसीटा जाना चाहिये।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है।

Construction of Multi-Storeyed Buildings in Diz Area, New Delhi

*459. **Shri R. C. Vikal** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the time likely to be taken in the construction of the eight storeyed type-IV quarters in DIZ Area, New Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : 94 Type IV quarters (8 storeyed) now under construction in the DIZ area are expected to be completed by 1972.

Shri R. C. Vikal : What is the time limit prescribed for the construction of quarters in New Delhi and the reasons for delay ?

Shri I. K. Gujral : There was not so much delay, if there was any little delay, it was due to difficulties in the supply of steel.

Shri R. C. Vikal: Whether these quarters after completion, are likely to be allotted to the public or Government employees ?

Shri I. K. Gujral : These will be allotted to the Govt. employees.

Shri Sohan Lal : What are the reasons for keeping the quarters vacant in Shadikhampur which were constructed some four or five years ago ? Why are these quarters lying vacant till now ?

Mr. Speaker: Ask this question at some other time. This question relates to the quarters under construction. (Interruption)——————

श्री आई० के०गुजराल : जिन कवार्टरों की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, वे सरकार के नहीं हैं।

Conversion of Birla Bhawan into Mahatma Gandhi Memorial

*461. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether any amount has been earmarked in the financial year 1971-72 for converting Birla Bhawan into Mahatma Gandhi Memorial ; and

(b) if so, the expenditure likely to be incurred in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) Rs. 35 lakhs have been provided for expenditure in the financial year 1971-72 for acquiring Birla Bhawan for its conversion into a Memorial to Mahatma Gandhi. The proceedings for acquisition under the Land Acquisition Act are being taken by the Delhi Administration. At this stage, the amount that will actually be spent cannot be indicated.

Shri Hukum Chand Kachwai : I want to know the difficulties of the Government in taking possession of the Birla Bhawan for which Shri Birla had agreed ? Why has not the Government taken possession of the same so far ?

Shri I. K. Gujral, This issue was discussed previously also and the hon. Member will recollect that there were certain conditions in the offer of Shri Birla and it was difficult to take the Birla House on those conditions. Therefore, it was considered proper to acquire the same.

Shri Hukum Chand Kachwai : What were the conditions of Birlas in this regard ? How much time will it take to complete the memorial there ?

Mr. Speaker : It has already been discussed at length in the House———— (Interruptions)——————

श्री ग्राई० के० गुजराल : दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में दो कारणों से मैं अभी नहीं बता सकता कि कितना समय लगेगा। पहला कारण यह है कि अभी अधिग्रहण कार्यवाही पूरी नहीं हुई है और दूसरा यह कि हमें विस्तार से देखना पड़ेगा कि स्मारक बनाने के लिये क्या-क्या किया जाये।

जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को याद होगा कि इस पर कुछ समय पहले भी सदन में विचार हो चुका है। पहली कठिनाई मूल्य निश्चित करने की थी। दूसरी मुश्किल

इसके बदले जमीन देने की थी । इन सब बातों पर समय-समय पर विचार हुआ और इस सदन के पुनर्गठन से पहले यह निर्णय किया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन इसे अधिग्रहण करना अच्छा होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही में इस लिये देर की जा रही है कि सरकार ने अधिग्रहण सम्बन्धी मुआवजा देने का अभी निर्णय नहीं किया । मुआवजे की राशि क्या है और विशेषतः इस भवन के लिये मुआवजा देने के क्या कारण हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं इन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार ने न केवल निश्चय कर लिया है बल्कि इसे इस अर्थ में भी कार्यान्वित किया जा रहा है कि हमने स्थान अधिगृहीत करने के लिए पहले ही प्रबन्ध करा लिए हैं । दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि मूल्य निर्धारित करने के लिये अधिग्रहण समाहर्ता भेजा जाय जिससे भूमि अधिगृहीत की जा सके । अधिग्रहण कार्य के लिये बजट में धन की व्यवस्था भी की गई है । यह अधिग्रहण कार्यवाही तथा समाहर्ता द्वारा किए गये मूल्य निर्धारण पर निर्भर करता है कि कितना भुगतान किया जाए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिड़ला बन्धुओं की मुआवजे के भुगतान के बारे में कोई बातचीत चल रही है और क्या मुआवजे के मामले का निर्णय न्यायालय में ही होगा ।

श्री आई० के० गुजराल : इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हो रही है । मूल्य का निर्धारण भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा किया जायेगा ।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या सरकार शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून पास किए जाने तक प्रतीक्षा करेगी जिससे सरकार एवं राष्ट्र को लाभ हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही करने हेतु एक सुझाव है ।

प्रश्न 468 के बारे में

Re : Q. 468

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न संख्या 468 के बारे में श्रीकृष्ण हाल्दर को अधिकार दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न का अन्त में विचार करेंगे ।

बरौनी तेलशोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल की कमी

*473. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पश्चात् बरौनी तेलशोधक कारखाने को अशोधित तेल की कमी का सामना करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) बरौनी परिष्करणशाला को असम क्षेत्रों से लगभग 2 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल प्राप्त होता है। लगभग 5 वर्ष के पश्चात् असम क्षेत्रों में उत्पादन में ह्रास होना आरम्भ हो जाएगा । परिणामस्वरूप बरौनी परिष्करणशाला को मिलने वाली सप्लाई भी तद-अनुसार घटती जाएगी। तथापि, बरौनी परिष्करणशाला में आयातित अशोधित तेल को प्रोसैस करने के लिये एक परियोजना का अनुमोदन किया गया है । 1973 के अन्तर्गत इस परियोजना के पूर्ण होने की आशा है तथा उसके अन्तर्गत परिष्करणशाला संयंत्र में कुछ संशोधन करने की व्यवस्था की गई है । सर्वप्रथम तृतीय 1 मिलियन मीटरी टन यूनिट को आयातित अशोधित तेल की सप्लाई की जाएगी । जब कभी भी बरौनी परिष्करणशाला के लिये असम के अशोधित तेल की उपलब्ध सप्लाई यदि घटेगी तो उस कमी को अशोधित तेल के अन्य स्रोत की खोज करके दूर किया जाएगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : बरौनी तेल शोधक कारखाने के कार्यकरण में परिवर्तन करने के लिए कितनी राशि लगेगी ?

श्री पी० सी० सेठी : मुझे खेद है कि तरमीम करने के लिए इस समय मेरे पास अपेक्षित धन नहीं है । 1967-68 में आयल इंडिया लिमिटेड पाइप लाइन का दर्जा बढ़ाने की अनुमानित लागत लगभग 6 करोड़ रुपये थी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि आसाम में कमी पड़ी तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष, वर्षवार कितना आयात किया जायेगा ?

श्री पी० सी० सेठी : वस्तुत: मैं बता चुका हूं कि बरौनी में इस समय वर्तमान अतिरिक्त 10 लाख मीटरिक टन की क्षमता के लिये 10 लाख मीटरिक टन आयात करना पड़ेगा । तरमीमों को पूरा करने के पश्चात् जिनका कि हम प्रस्ताव कर रहे हैं जब हम अतिरिक्त 10 लाख मीटरिक टन पर कार्य आरम्भ करेंगे तो हम आने वाले 'रुस्तम' और 'रक्श' अशोधित तेल का उपयोग करने की स्थिति में हो जायेंगे । 1976 से नहरकटिया और मोरन से सप्लाई में कमी आरम्भ हो जायेगी जो 1975 में नहरकटिया से 22 लाख मीटरिक टन और मोरन से 4 लाख 10 हजार मीटरिक टन रह जायेगी और 1976 से आगे नहरकटिया से 18·4 से घटकर 10·8 लाख मीटरिक टन और मोरन से 4·1 से घटकर 2·1 लाख मीटरिक टन रह जायेगी । इस स्थिति में निर्यात में वृद्धि करनी पड़ेगी ।

डा० मेलकोटे : क्या सरकार को इस कमी की आशा नहीं थी और क्या उन्होंने भविष्य के लिये उचित रूप से कोई योजना बनाई है ?

श्री पी० सी० सेठी : कमी का तो पता है। इस समय हमारा अशोधित तेल का उत्पादन 65 लाख मीटरिक टन है और हमें आशा है । वर्ष 1973-74 तक यह लगभग 85 लाख मीटरिक टन हो जायेगा । उस समय तक हमारी तेल शोधनक्षमता 2·6—2·7 करोड़ मीटरिक टन हो जायेगी । और यहां पर आकर कमी हो जायेगी । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट के निकट और तट-दूर अशोधित तेल के नये स्रोतों का पता लगाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

Shri Achal Singh : Whether Barauni Refinery is running in losses or earning profits ? If it is earning profit, to what extent ?

Mr. Speaker : This has no relevance with the question.

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य को मैं इसकी सूचना बाद में दे दूंगा ।

कलकत्ता के पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत केन्सर केन्द्र

*476. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देशबन्धु मेमोरियल ट्रस्ट तथा चितरंजन केन्सर अस्पताल सहित विभिन्न निकायों और सरकार के प्रतिनिधियों वाले एक स्वायत्त निकाय के अधीन कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र में एक एकीकृत केन्सर केन्द्र की स्थापना के बारे में 1965 में सरकार द्वारा गठित केन्सर समिति की सिफारिशें, जिन्हें योजना आयोग ने 13 अप्रैल, 1971 को स्वीकार किया था, इस बीच कार्यान्वित कर ली गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : क्षेत्रीय केन्सर अनुसंधान केन्द्रों, जिनमें कलकत्ता के पूर्वी क्षेत्र का केन्द्र भी शामिल है, के गठन के बारे में व्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिमय बसु : कैन्सर को आज मानव समाज में आज यथार्थ बुराई माना गया है, परन्तु मंत्री महोदय ने इस पर कोई महत्व नहीं दिया । मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ है । क्या यह सच है कि अनुसंधान संस्थानों में निदान सुविधाएं न होने के कारण कैन्सर अनुसन्धान कार्य में बहुत बाधा आ रही है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम यह दावा नहीं कर सकते कि वहां हर प्रकार की निदान सुविधाएं दी गई हैं । विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्य की जांच करने वाली समिति की समस्त सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है तथा और अधिक वित्तीय सहायता के रूप में अग्रिम अनुदान देने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या यह सच है कि यद्यपि कैन्सर तथा इस प्रकार के अन्य रोगों का पूर्ण रूप से अनुसंधान करने की बड़ी मांग है और अत्यन्त आवश्यकता है, फिर भी वित्त मंत्रालय के पास विगत नियतन में 1½ करोड़ रुपये की फालतू निधि पड़ी थी; और यदि हां, तो इस धन को खर्च न करने के कारण क्या हैं ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमन्, मुझे पता नहीं है कि इस शीर्ष के अन्तर्गत वस्तुतः कितना अप्रयुक्त धन पड़ा रहा । परन्तु धन देने से पहले हम यह अवश्य देखते हैं कि योजनाएं व्यवहार्य हैं और सम्बद्ध अधिकारियों ने इन योजनाओं को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया है ।

श्री ज्योतिमय बसु : प्रश्न यह है कि क्या नियतन किये जाने के पश्चात् धन अप्रयुक्त पड़ा रहा है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने कहा है कि वास्तविक धन के बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

डा० मेलकोटे : मंत्रालय ने इसे कब तैयार किया और इसे कार्यान्वित करने में इतना अधिक समय क्यों लगाया गया है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : समिति का प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है । अतः इसे कार्यान्वित करने से पूर्व हमें योजना आयोग तथा अन्य निकायों की सलाह लेनी पड़ती है और इन परिस्थितियों में हमें इसकी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा यह निर्णय किया गया है कि यह पूर्वी क्षेत्र में कैन्सर अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में ही स्थापित किया जायेगा । और यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना चित्तरंजन कैन्सर केन्द्र में ही की जायेगी; और यदि हां, तो क्या यह सच है कि चित्तरंजन कैन्सर अस्पताल के कार्य इसके प्रबन्धकों, भ्रष्टाचारी डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के अपने कर्त्तव्य के प्रति अवहेलना करने के बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें मिली हैं, और क्या सरकार चित्तरंजन कैन्सर अस्पताल के कुप्रबन्ध की जांच पड़ताल करेगी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी, हां । प्रस्तावित केन्द्र चित्तरंजन राष्ट्रीय कैन्सर केन्द्र में स्थापित किया जायेगा । यह भी सच है कि सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं और कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में भी छपी हैं । हम इन शिकायतों की जांच कर रहे हैं ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, लखनऊ डिवीजन का विकास

*478. **श्री० बी० आर० शुक्ल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, लखनऊ डिवीजन का विकास उस गति से धीमी गति पर हुआ है जैसा कि निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या वार्यवाही की जा रही है ;

(ग) कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा;

(घ) सरकार द्वारा कितना पूंजीगत परिव्यय नियत किया गया है तथा इसके पूरे होने पर अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित-संचित की जायेगी ; और

(ङ) कर्मचारियों को किस स्थान पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इस समय कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और कितनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ सहयोगियों से दीर्घकालीन समझौता होने के कारण विस्तृत योजना बनाने में विलम्ब हुआ है । जितना शीघ्र विचारा गया था, भूमि भी उतने शीघ्र उपलब्ध नहीं हो सकी थी । विकास की गति को तीव्र करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) आशा है कि कारखाना 1972 के उत्तरार्ध में माल देना प्रारम्भ कर देगा ।

(घ) सरकार ने इस परियोजना पर एच ए एल के द्वारा 542·70 लाख रुपये का पूंजी व्यय अनुमोदित कर दिया है । जिन मदों के लिए यह संस्वीकृति प्रदान की गई है, उनसे 1970 तक लगभग 6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के बचत होने की आशा है । लगभग 2 करोड़ रुपये की और संस्वीकृति जारी किये जाने की आशा है ।

(ङ) प्रशिक्षण यू० पी० गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट लखनऊ में दिया जा रहा है । 41 व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा चुके हैं तथा 122 प्रशिक्षणाधीन हैं ।

पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने के आरोप में वायुसेना के अधिकारी की गोहाटी में गिरफ्तारी

+

*480. **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री आर० वी० बड़े** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी में बोरझारा हवाई अड्डे पर नियुक्त एक वायुसेना के एक अधिकारी को पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) उक्त अधिकारी कितने समय से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) भारतीय वायुसेना के एक कारपोरल को जोकि गोहाटी बोरझारा एयरपोर्ट पर तैनात था, राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है क्यों कि उसके कब्जे में सेना के वर्गीकृत कागजात तथा अभिलेख थे ।** अभी मामले की जांच की जा रही है।

श्री आर० वी० बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कब गिरफ्तार किया गया, आप को कब सूचना मिली और जांच कार्य कब से अनिर्णीत पड़ा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कारपोरल मार्च, 1968 से वायु सेना में कार्य कर रहा है। हमने उस पर सन्देह करना आरम्भ कर दिया था क्योंकि वह ऐसी सन्दिग्ध स्थिति में देखा गया था। उसके मकान की तलाशी 11 मार्च, 1971 को ली गई थी। उसको मुअत्तल किया गया और फिर गिरफ्तार किया गया । हम उससे पूछताछ कर रहे हैं और कुछ ठोस प्रमाण जानने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हम उसके विरुद्ध उचित रूप से कार्यवाही कर सकें ।

श्री आर० वी० बड़े : जिन अन्य अधिकारियों की इस व्यक्ति के साथ सांठगांठ थी और जिन्होंने इसको सूचना अथवा जानकारी दी, उनके क्या नाम हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : दो अधिकारियों को सरकारी धन का दुरुपयोग करने के कारण मुअत्तल कर दिया गया है, वे भी गोहाटी हवाई अड्डे पर थे। एक जांच अदालत नियुक्त की गई थी और उन पर सरकारी धन की धांधलेबाजी का अभियोग लगाया गया। दोनों अधिकारियों को 21 दिसम्बर 1970 से मुअत्तल किया हुआ है और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तेजी से हो रही है।

श्री आर० वी० बड़े : मैंने उन अधिकारियों के बारे में पूछा है जिन्होंने उस व्यक्ति को जानकारी दी ।**

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस कारपोरल के विरुद्ध कुछ आरोप थे कि उसने कुछ विशिष्ट दस्तावेज अपने कब्जे में किए हैं। ** परन्तु हमने अभी मामले को समाप्त नहीं किया है । हम अभी तक इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कारपोरल को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । मंत्री महोदय ने कहा है कि उसके पास कुछ विशिष्ट जानकारी थी जिसने उस व्यक्ति को विशिष्ट जानकारी दी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह बोरझर हवाई अड्डे स्थित वायु सेना में था। हमें उस पर कुछ सन्देह हो गया था । अतः उसके मकान की तलाशी ली गई थी। उसके मकान से कुछ विशिष्ट। प्रकार के दस्तावेज बरामद हुए । इसके पश्चात् हमने यह जांच आरम्भ की है जो अभी चल ही रही है । ये विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज इसके कब्जे में कैसे आये, आदि की जांच अभी की जा रही है।। जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । यह आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तानी जासूसी तत्त्व

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया ।

साथ इस विशेष अधिकारी का कोई दूत गठजोड़ होगा। हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं जिससे कि हम निश्चयपूर्वक इसकी सच्चाई सिद्ध कर सकें।

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और जांच कार्य अभी चल रहा है। क्या उनकी यह उक्ति ** आगे के जांच कार्य पर प्रभाव नहीं डालेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सम्भव नहीं, क्योंकि मैंने यह नहीं कहा है कि जांच कार्य पूरा हो गया है** आगे की जांच से इसकी पुष्टि हो सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि जांच कार्य अभी तक चालू है तो माननीय मंत्री यह क्यों कहते हैं कि**

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की स्थिति में हैं कि गत वर्ष कितने अधिकारियों अथवा गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की जासूसी करने अथवा विशिष्ट दस्तावेज बाहर भेजने के शक अथवा विशिष्ट अपराध में पकड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा है कि क्या वे हमें यह बताने की स्थिति में हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि वे यह बताने की स्थिति में हैं, तो भी यहां यह बात संगत नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विभागीय जांच है अथवा जांच-अदालत है जैसा सेना अधिनियम के अन्तर्गत कहते हैं और क्या इस मामले की और गहराई से जांच करने के लिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा सेना गुप्तचर विभाग में बिलकुल नहीं भेजा गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उस किसी भी मामले के उस सन्दर्भ का परिहार कर सकते हैं जो जांच के परिणाम पर प्रभाव डालने वाला हो।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने इस बात को अच्छी तरह से जानने और मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए कि ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को इस प्रकार की विशिष्ट सामग्री कैसे प्राप्त हुई, सभी एजेन्सियों को कार्य पर लगाया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और आशा है कि हम शीघ्र ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने अभी जो वक्तव्य दिया कि** वह उसके विरुद्ध की जाने वाली जांच में रुकावट डालेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि इससे** ऐसा होगा। हम अभी तक जांच कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अग्रेतर जांच कार्यवाही पर असर डालने वाले मंत्री महोदय के उत्तर के अंश को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया समझा जाए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया।

प्रश्न 468 के बारे में

Re : Q. 460

श्रीकृष्ण हाल्दर : श्रीमन्, श्री रोबिन सेन ने प्रश्न संख्या 468 प्रस्तुत करने का मुझे अधिकार दिया है।

जिगर के कैंसर के सम्बन्ध में अध्ययन

*469. **श्री के० लकप्पा** : **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन जिगर के कैंसर के बारे में अध्ययन कराने का कोई ऐसा प्रस्ताव है जो रूस में किये जा रहे अध्ययन पर आधारित होगा;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री के० लकप्पा : क्या सरकार ने अपने देश में रूसी पद्धति के आधार पर जिगर के कैंसर का उपचार करने की संभावना का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है; यदि हां, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में बीनज़ीन सीथल नाइट्रोसोऐमिन का प्रयोग करके बन्दरों का जिगर कैंसर बढ़ाने की एक योजना बनाई जा रही है। इस योजना की आरम्भिक रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, परन्तु अभी से इस योजना के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री के० लकप्पा : क्या सरकार ने देश में जिगर कैंसर के विकास के बारे में कोई जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया है; यदि हां, तो इसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : इस प्रश्न का सम्बन्ध रूसी नमूने पर आधारित जिगर कैन्सर से है। हम यह बता चुके हैं कि जहां तक हमें जानकारी है, इस प्रकार का कोई नमूना नहीं है। इसके बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह इसे मैसूर के नमूने पर चाहते हैं।

श्री के० लकप्पा : इन्हें वही नमूना अपना लेना चाहिये।

गुजरात स्थित कोयली तेल शोधक कारखाने का विस्तार

* 470. **श्री पी० के० देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने गुजरात स्थित कोयली तेल-शोधक कारखाने के विस्तार की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या उन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) विशेषज्ञ समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० एस० चावड़ा : प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

श्री पी० सी० सेठी : प्रतिवेदन शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। इस मामले का अध्ययन कार्य हमने एक विदेशी विशेषज्ञ को भी सौंपा हुआ है। अब कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति भी बदल गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री मान जी, जो सदस्य अनुपस्थित हैं, उनका एक दिन का भत्ता काट लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरा विचार यह है कि लिस्ट पूरी करने के लिए, अनुपस्थित रहने के लिए उन्हें अधिक भत्ता दिया जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । श्री रोबिन सेन ने, अपने स्थान पर श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दर को प्रश्न संख्या 468 पूछने का अधिकार दिया है। क्या नियमों के अन्तर्गत आप उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

दिल्ली के छात्रों में नेत्र रोगों का उन्मूलन

* 468. **श्रीकृष्ण हाल्दर श्री (रोबिन सेन की ओर से)** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 75 प्रतिशत से भी अधिक छात्र, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेत्र-रोगों से ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य सेवाओं के उक्त रोग का उन्मूलन करने में असफल रहा तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अन्धता उन्मूलन की राष्ट्रीय संस्था द्वारा 1970 में एक सर्वेक्षण किया गया । इसके अनुसार, रोहा तथा अन्य रोगों से ग्रस्त विद्यार्थियों की प्रतिशतता काफी ज्यादा थी ।

(ख) और (ग) जिनका इलाज करना जरूरी था उन सब का इलाज किया गया ।

श्री कृष्ण हालदर : मैं इस रोग के कारण जानना चाहता हूं ।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस रोग के कारणों के बारे में अभी निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु कुछ जन्मजात तथा स्थानीय प्रभावों के कारण यह रोग होता है, जिनका अभी अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह रोग विटामिन "ए", जैसे दूध तथा अन्य वस्तुओं के अभाव के कारण तो नहीं होता ।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : हां, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सैनिक अस्पतालों में अर्हताप्राप्त डाक्टरों और नर्सों की कमी

*454. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अस्पतालों में, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, अर्हताप्राप्त डाक्टरों और नर्सों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सैनिक अस्पतालों में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डाक्टरों और नर्सों की भर्ती और नियुक्ति करने के लिये और शल्य चिकित्सा आदि के आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आर्मी मेडिकल कोर और नरसिंग सरविस में डाक्टरों की व्यापक कमी है । डेंटल कोर में कोई कमी नहीं है । किन्तु सारे अस्पतालों में, जिसमें सीमा क्षेत्र के अस्पताल भी शामिल हैं, पर्याप्त संख्या में स्टाफ हैं ।

(ख) कमी का कारण मुख्यत: सिविलियन डाक्टरों एवं नर्सों की सैनिक सेवाओं में कठिनाइयों के कारण कम अनुक्रिया है ।

(ग) सेना को मेडिकल एवं नरसिंग सर्विसेज में नौकरी / जीविका के अवसरों के बारे में प्रेस, आकाशवाणी एवं मेडिकल कालेजों में समय-समय पर दौरा करके व्यापक प्रचार किया जा रहा है ।

सैनिक अस्पतालों को जिनमें सीमा क्षेत्रों में स्थित भी शामिल हैं, उनमें आधुनिक तथा जटिल एवं नाजुक उपकरणों को जांच तथा उपचार के लिए दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में की गई प्रगतियों के आधार पर उनमें सुधार करने के प्रश्न पर सदा विचार होता रहता है।

सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को खेती योग्य भूमि का आवंटन

*455. **श्री मनीराम गोदरा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के आक्रमण और भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय यह वचन दिया गया था सकि सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को कृषि-योग्य भूमि आवंटित की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) कितने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को भूमि आवंटित की गई है और अब तक राज्यवार, कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 1963 में सब राज्य सरकारों/प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे विशेष रियायतें दें, जिसमें कृषि भूमि की व्यवस्था भूतपूर्व सैनिकों को तथा विशेषकर ऐसे सेनारत कार्मिकों के आश्रितों के लिए जो कि युद्ध में मारे गए तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए हो सके। लगभग सब राज्य सरकारों/प्रशासनों ने अपनी भूमि व्यवस्था प्रक्रिया तथा नियमों में संशोधन किया था। भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से या भूतपूर्व सैनिकों को हकारी समितियों का भूमि का आवंटन किया गया था।

(ग) चूंकि भूमि की व्यवस्था राज्य सरकारों के द्वारा अपने स्थानीय कार्यालयों के द्वारा भूमि राजस्व कानूनों/नियमों के द्वारा की जाती है, अत: कुल भूमि क्षेत्र जिसकी व्यवस्था की जा चुकी है आद्यतन रूप में उपलब्ध नहीं है। ऐसे आंकड़े अनेकों राज्यों से समुचित अवधि में इकट्ठे कर सकना सम्भव नहीं है।

(घ) इस मामले के लिए राज्य सरकारों/प्रशासनों से जोर दिया जा रहा है जिससे भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

कोचीन में भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों की हड़ताल

*457. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल राज्य के कोचीन क्षेत्र में भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 17 मई को की गई हड़ताल की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) हड़ताल करने वाले श्रमिकों की दो मुख्य मांगें निम्न प्रकार हैं :—

(I) नगर प्रतिकर भत्ते और मकान किराया-भत्ते में वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से कोचीन-उप-नगर के दर्जे को बढ़ाना; और

(II) एर्णाकुलम से केरल में अन्य डिपुओं में कई श्रमिकों के स्थानान्तरण को रद्द करना।

(ग) भारतीय तेल निगम इन मांगों की जांच कर रही है।

विश्वविद्यालयों में परिवार सलाहकार यूनिट स्थापित करने सम्बन्धी योजना

*460. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों को पारिवारिक जीवन और शिक्षा के बारे में सलाह देने के लिए विश्व-विद्यालयों में परिवार सलाहकार यूनिट स्थापित करने की कोई योजना सरकार ने तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने यौन शिक्षा के बारे मे परिवार नियोजन परिषद के निदेशक डा० फौंसिका द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या मुख्य सुझाव दिये गये थे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय सामाजिक संस्थान के डा० फौंसिका के सुझावों पर जो कि अभी-अभी प्राप्त हुए हैं, उचित ध्यान दिया जाएगा।

पेंशन-प्राप्त व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

*463. **श्रीमती बिभा घोष** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के माध्यम से समस्त भारत में पेंशन प्राप्त-कर्त्ताओं और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को अभी तक केवल दिल्ली, बम्बई और इलाहाबाद में लागू किया गया है। इन तीनों स्थानों में केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को भी इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना को केवल उन्हीं शहरों में लागू किया जा सकता है जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में रहते हों।

अपने पेंशनरों को चिकित्सा सुविधाएं देना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की कमी

+

*469. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि अधिनियम के अन्तर्गत कमीशन घटने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की अत्यधिक कमी है और औषधियों के खुदरा व्यापारी औषधियों के भण्डार जमा करना अलाभप्रद समझते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण व्यक्तियों की कठिनाइयां कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की लगातार सप्लाई को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत व्यापार में दलाली (ट्रेड कमीशन) में कटौती के कारण सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों की अत्यधिक कमी है। तथापि कई क्षेत्रों में दवाइयों के कुछ मार्कों (ब्रैण्ड्स) की कमियों के बारे में सूचना (रिपोर्ट) मिली है। ये कमियां, व्यापार-दलाली में कटौती की अपेक्षा अन्य कारणों के परिणामस्वरूप भी हुई हैं।

(ख) इन कमियों को दूर करने के लिए निम्न उपाय अपनाये गये हैं :

(1) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रपुन्ज औषधियों की अतिरिक्त मात्राओं का आयात,

(2) प्रपुन्ज औषधियों के लिए देशीय क्षमता का विस्तार,

(3) उन दवाइयों के, जिनकी सप्लाई की कमी के बारे में रिपोर्ट मिली है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देना।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जा रही प्रपुन्ज औषधियों के प्राप्त होने पर गत मास में कुछ सुधार हुआ है और आगामी दो-तीन महीनों में स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

सैनिक गोला-बारूद और छोटे हथियारों की चोरी और उसका विक्रय

*465. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह पता है कि सैनिक गोला-बारूद और छोटे हथियारों की चोरी होती है और उसे बाजार में बेचा जाता है;

(ख) ऐसी गतिविधियों से विभाग को अनुमानित कितनी वार्षिक हानि होती है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) रक्षा स्थापनाओं में कुछ छोटी चोरियों तथा शस्त्रों और गोला बारूद की बिक्री के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। उन्हें पुनः प्राप्त करने तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है। ऐसी चोरियों की पुनरावृत्ति को करने के लिए अनेकों सुरक्षा के उपाय प्रारम्भ किए गए हैं।

विजयन्त टैंक प्लेटों की आवश्यकता

* 466. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार हिन्दुस्तान स्टील से विजयन्त टैंक-प्लेटों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरी करने की स्थिति में है ?

(ख) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस बारे में आवश्यकताएं पूरी करने की दिशा में प्रयास कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, विजयन्त टैंक के आर्मर प्लेट की 65% जरूरतों को पूरा कर रहा है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की कम क्षमता के कारण बाकी का आयात किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने हाल ही में उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों की विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में उत्पादन बढ़ाने के रास्ते एवं तरीकों की जांच करने के लिए की है जिससे की हैवी व्हीकल फैक्टरी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

रायपुर के निकट केन्द्रीय सरकार का खाली पड़ा एक भवन

* 467. **महाराजा मार्तण्ड सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा रायपुर के निकट 12 लाख रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक भवन लगभग ढाई वर्षों से खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था ; और

(ग) उक्त भवन का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

पारादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना

+

* 471. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम ने इस बीच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के इच्छुक स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देना

*472. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने की इच्छुक स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और इस प्रस्ताव के प्रति स्वयंसेवी संगठनों और परोपकारी संस्थानों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री(श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अस्पताल स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है और इस पर राज्य सरकरों से भी सलाह-मशवरा किया जा रहा है। सहायता अनुनान 1/3 के आधार पर देने का विचार है अर्थात् 1/3 भाग केन्द्रीय सरकार, 1/3 भाग सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र देंगे और बाकी 1/3 भाग की पूर्ति सहायता प्राप्त करने वाली संस्था द्वारा की जायेगी।

राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे आमतौर पर इस प्रस्ताव को मंजूर कर लें। राज्य सरकार एवं संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

मद्रास तेलशोधक कारखाने को 'डेरियस अशोधित तेल' की सप्लाई करने के लिये नेशनल इरानियन कम्पनी के साथ करार की पुनरीक्षा

+

* 474. **श्री टी० एस० लक्ष्मण : राजा राजकुलकर्णी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान.मद्रास तेलशोधक कारखाने को 'डेरियस अशोधित तेल' की सप्लाई करने के लिए उसके साथ किये गये करार में उल्लिखित मूल्य-सूत्र की पुनरीक्षा करने पर सहमत नहीं हुआ था ;

(ख) क्या 'डेरियस अशोधित तेल' का मूल्य भारत में सरकारी क्षेत्र के तीन तेलशोधक कारखानों द्वारा आयातित अशोधित तेल के मूल्य से पहले ही अधिक है; और

(ग) 'डेरियस अशोधित तेल' के मूल्य को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या भारत उपर्युक्त करार से स्वयं को इकतरफा रूप से अलग कर लेगा और रुस्तम अशोधित तेल के अपने शेयर का प्रयोग मद्रास तेल शोधक कारखाने के लिए करेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) समझौता ईरान के साथ नहीं बल्कि नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी और पैन अमेरिकन इन्टरनेशनल आयल कम्पनी (अमोको से सम्बद्ध) के साथ है। अप्रैल, 1970 में विक्रेताओं ने जब कि भारत के एक शिष्टमण्डल ने ईरान का दौरा किया, मूल्य-सूत्र में संशोधन करने के लिए मना कर दिया था। अभी हाल ही में, तथापि वे इस विषय पर पुनः चर्चा करने और सन्तोषजनक हल ढूंढ़ने के विचार से ऐसा करने पर सहमत हो गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) क्योंकि (क) के अन्तर्गत दिये गये अनुसार इस विषय पर विक्रेताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाना है, अतः ऐसी स्थिति में परिकल्पनात्मक सम्भाव्यता को सूचित करना उचित नहीं है।

सरकार को आशा है कि दोनों पक्षों के लिए सन्तोषजनक हल ढूंढ़ा जा सकेगा।

इलाहाबाद चयन बोर्ड द्वारा शार्ट सर्विस कमीशन और रेगुलर कमीशन के लिये उम्मीदवारों का चयन

*475. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद चयन बोर्ड केन्द्र में शार्ट सर्विस कमीशन के लिये पिछले चार वर्षों में चुने गये उम्मीदवारों की प्रतिशतता न्यूनतम है और जबकि इससे पूर्व 60 से 75 प्रतिशत उम्मीदवार इस केन्द्र से चुने जाते थे अब केवल 5 से 10 प्रतिशत तक चुने जा रहे हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इलाहाबाद चयन बोर्ड केन्द्र से सेना में रेगुलर कमीशन के लिए चुने गये उम्मीदवारों की प्रतिशतता भी अन्य केन्द्रों की तुलना में न्यूनतम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अन्य केन्द्रों की तुलना में इलाहाबाद केन्द्र में चयन का प्रतिशत करीब-करीब समान रहा है। इलाहाबाद में 1967 से पहले हुए चयन के आंकड़े सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को सहायता देना बन्द करने से इन्कार

* 477. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व बंगाल में राजनीतिक समझौते के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के बारे में भारतीय प्रधान मंत्री की अपील के उत्तर में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान को सहायता देना बन्द करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इस महीने की 8 तारीख की हाउस आफ कामन्स में ब्रिटिश के विदेश एवं राष्ट्रमंडलीय मामलों के राज्य सचिव ने कहा है कि यद्यपि पाकिस्तान की चालू विकास स्कीमों को नहीं रोका गया है, परन्तु पाकिस्तान सरकार को और नई सहायता नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान सहायता संघ के सभी सदस्यों ने पाकिस्तान सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि वहां ऐसा उपयुक्त राजनीतिक ढांचा तैयार होना चाहिए जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान को सहायता दी जा सके। ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति पर भी ऐसे राजनीतिक समझौते की आवश्यकता के लिए दबाव डाला है जिससे पूर्व बंगाल से आनेवाले शरणार्थियों के मन में अपने घर लौटने के प्रति आत्म-विश्वास पैदा हो सके।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण

* 479. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भूमि की अत्यधिक कमी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार अपने कार्यालयों के विकेन्द्रीकरण का कोई कार्यक्रम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों को जो अपनी प्रशासनिक कुशलता में बिना बाधा के अन्य स्थानों पर कार्य कर सकते हैं, निम्नलिखित कारणों से दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने की सरकार की घोषित नीति रही है :—

(i) आबादी में बड़े पैमाने पर निरन्तर बढ़ोत्तरी के कारण भूमि पर तथा विभिन्न नागरिक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में कार्यालय तथा रिहायशी वास के और निर्माण की संभावना बहुत ही सीमित है।

(ii) कार्यालय तथा रिहायशी वास दोनों के मामले में संतुलन को कम करने के लिए।

(iii) रक्षा, विदेश, गृह इत्यादि जैसे मंत्रालयों / विभागों, जिन्हें सामरिक महत्व तथा अन्य कारणों से दिल्ली में जरूरी रखा जाना चाहिए, की संभावित बढ़ रही गतिविधियों के लिए व्यवस्था करना।

कुछ सफलता प्राप्त हुई है। राजधानी से बाहर कार्यालयों के विकेन्द्रीकरण में अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से जो उपाय आगे किये जाने चाहिए, वे सरकार के विचाराधीन हैं।

पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के पार हमला करने की तैयारी

* 302. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित पाक-अधिकृत काश्मीर के राष्ट्रपति के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा के पार बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है, और काश्मीर में मुक्ति युद्ध को तेज करने, छापामार युद्ध सहित अपरम्परागत युद्ध के लिए आह्वान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध की प्रेस रिपोर्ट को देखा है। सरकार को इस बात का पता है कि पाक अधिकृत काश्मीर में पाकिस्तानी कार्मिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू तथा काश्मीर युद्ध विराम रेखा पार की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है तथा अपनी रक्षा योजनाओं में उसका ध्यान रखा जाता है।

कष्टकर क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिए विशेष भत्ते

2003. **श्री आर० कडनापल्ली :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय सुविधाओं से वंचित कष्टकर स्थानों पर नियुक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को क्या विशेष भत्ता दिया जाना मंजूर किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : भारत सरकार द्वारा जिन स्थानों को वर्ग 'डी' में वर्गीकृत किया गया है, उन दुर्गम स्थानों पर तैनात केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को 150 रुपये प्रतिमास की दर से विशेष चिकित्सा भत्ता दिया जाता है।

UNICEF Aid for Primary Health and Family Planning Centres in Rajasthan and Madhya Pradesh

2004. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the total number of such Primary Health Centres in Madhya Pradesh and Rajasthan which function as family planning centres as well;

(b) the amount and nature of aid received by these centres from the UNICEF during the last three years: and

(c) whether every such centre has been provided with jeeps given by UNICEF ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Sri A K. Kisku) : (a) The main rural Family Welfare Planning Centres are a part and parcel of each Primary Health Centre. The following centres are functioning in the States:

States	Primary Health Centres established	Rural Family Welfare Planning Centres
Madhya Pradesh	446	441
Rajasthan	232	232

(b) The UNICEF assistance, full or partial, in the form of Primary Health Centre equipment, sub-centre equipment, Public Health Nurse/Lady Health Visitor Kits, Midwifery Kits, Refrigerators, Microscopes Diet and Drug Supplement Sets, Vehicles etc. is given to those Primary Health Centres which fulfil certain criteria laid down by the WHO/UNICEF and Government of India. The following centres have received UNICEF aid during the years 1968, 1969, 1970.

State	Full Assistance	Partial Assistance
Madhya Pradesh	85	12
Rajasthan	20	16

The Vohra of the aid received is being worked out.

(c) only 100 Primary Health Centres (84 in Madhya Pradesh and 16 in Rajasthan) have qualified for the supply of UNICEF Vehicles during the last three years.

वायु सेना के अधिकारियों को भत्ते

2005. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायु सेना के (1) अधिकारियों तथा (2) अन्य पदाधिकारियों के, (3) योग्यता भत्ते, (4) विशेष आयुधि भत्ते, (5) क्षेत्रीय सेवा लाभ, (6) यात्रा तथा दैनिक भत्ते तथा (7) विवाहित आवास, फर्नीचर, बिजली तथा जल संबंधी भत्ते का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 408/71]**

सशस्त्र सेना मुख्यालय के स्टेनोटाइपिस्टों को स्टेनोग्राफर ग्रेड III के पद न दिया जाना

2006. **श्री वीरेन दत्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनो-टाइपिस्टों को ग्रेड III के पद नहीं दिये गये हैं, जिससे कि वे केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के समान बन सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) आर्मर्ड फोरसेस हेडक्वार्टर्स स्टेनोग्राफर्स सर्विस में आशुलिपिकों को ग्रेड III पदों के पुरःस्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

अमरीका में रह रहे भारतीयों की बंगला देश की सरकार को मान्यता देने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से अपील

2007. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री से बंगला देश की सरकार को मान्यता देने की अपील की थी ; और

(ख) क्या उन्होंने अमरीका स्थित हमारे राजनयिक मिशन की भी इसलिये आलोचना की थी कि उसने बंगला देश में उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रभावोत्पादक कार्य नहीं किया ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 9 भारतीयों के एक दल ने, जिन्होंने अपने आपको न्यूयार्क में भारतीय संगठनों का प्रतिनिधि बताया था, न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि को एक ज्ञापन दिया था जिसमें बंगला देश को मान्यता प्रदान करने की अपील की गई थी और अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्व बंगाल में किये जा रहे अत्याचारों के बारे में जनमत जगाने के लिए हमारे राजनयिकों द्वारा पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है । उन्हें यह बताया गया कि मान्यता प्रदान करने का प्रश्न भारत सरकार के निरंतर विचाराधीन है । पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में सभी देशों ने अपने-अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रुख अख्तियार किया था । भारतीय राजनयिकों पर केवल इसलिए दोष लगाना ठीक नहीं है कि भारत की तरह अन्य देश इतने स्पष्ट न रहे हों । पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में यदि कोई भ्रान्ति पैदा होती है तो भारत उसे दूर करने का प्रयत्न करता है ।

हवाई अड्डों पर जांच-पड़ताल के लिये की गई कार्यवाही

\+

2008. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री पी० गंगादेव :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई अड्डों पर राजनयिकों से सभी वस्तुओं की जांच-पड़ताल करने तथा सभी राजनयिकों की तलाशी लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार ने हवाई अड्डों पर यात्रियों को असुविधा न देते हुये जांच-पड़ताल करने के लिये क्या अग्रतर कार्यवाही की है ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) यद्यपि राजनयिक थैले जांच-पड़ताल से मुक्त हैं । परन्तु दूसरों की तरह राजनयिकों की वैयक्तिक जांच-पड़ताल की जा सकती है ।

(ख) हाल ही में 30 जनवरी, 1971 की इण्डियन एयरलाइंस के एक फोकर फ्रेन्डशिप विमान का अपहरण करके उसे पाकिस्तान ले जाने और बाद में जला देने की घटना को ध्यान में

रखते हुए यात्रियों और विमानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाये गये हैं ।

(ग) और (घ) यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बगैर हमारे हवाई अड्डों पर सुरक्षात्मक प्रबंधों को मजबूत करने के लिए सभी संभव सुरक्षात्मक कदम उठाये जा रहे हैं । इसके परिणाम संतोषजनक हैं ।

मद्रास में नेत्र रोग का फैलना

2009. **श्री कल्याण सुन्दरम् :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ऐंजिक्शनटिस' नामक तुरन्त लगने वाली आंख की छूत की बीमारी ने मद्रास और उसके उपनगरों में रहने वाले बहुत से व्यक्तियों को ग्रस्त किया है ;

(ख) क्या रोग महामारी कीं भांति तेजी से फैलता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो रोग के क्या कारण हैं ; और

(घ) रोग की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य श्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) जी हां, मद्रास और उसके उपनगरों के बहुत से लोगों को कैंजक्टिवाइटिस नामक आंखों का एक रोग हुआ है ।

(ग) अनुमान है कि यह रोग किसी विषाणु संक्रमण के कारण हुआ है ।

(घ) इस रोग की रोक-थाम के लिये समुचित कदम उठाना राज्य सरकार के अधिकारियों का काम है । राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इस रोग की रोक-थाम और उपचार के लिये एक सामूहिक उपाय के रूप में निम्नलिखित कार्यवाही करें ।

(I)	रोग से बचाव	सल्फासाइटेमाइड बूंद । 10 प्रतिशत
(II)	उपचार (स्थानीय)	1. टेट्रासाइक्लिन मलहम अथवा
		2. क्लोरेम्फेनिकोल मलहम
		अथवा
		3. सोफ्रामाइसिन मलहम
		अथवा
		4. कण्ट्यूसिड क्रीम
(III)	बाद में :	
	भक्ष्य उपचार विशेषतया गम्भीर स्थिति वालों के लिये	1. सल्फा गोलियां देर तक क्रियाशील
		1 बी० डी०

केन्द्र द्वारा संचालित अस्पतालों में सुधार करने की योजना

+

2010. **श्री मुरुगनन्तम :** **श्री आर० कडनापल्ली :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केन्द्र द्वारा संचालित अस्पतालों में सुधार करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के दो अस्पतालों तथा केन्द्रीय सहायता से चल रहे दो संस्थानों के कार्य का अध्ययन करने के लिये एक कार्यकारी दल गठित किया गया है । इनके नाम हैं:—

1. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ।

2. विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली ।

3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ ।

इस समिति की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु भूमि के अभिग्रहण के लिए संवैधानिक संशोधन

2011. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु भूमि का शीघ्र अधिग्रहण करने के लिये संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रांची में 'मैरिन डीजल इन्जन' का निर्माण

+

2012. **श्री निहार लास्कर :** **श्री पी० गंगादेव :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में भारत के पहले 'मैरिन डीजल' इंजन के बनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना उत्पादन होगा तथा 'मैरिन डीजल इंजन' सम्भवतः कब तक बाजार में आ जायेगा ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मैरिन डीजल इंजिन प्रोजेक्ट, रांची, जहां हाल ही में उत्पादन कार्य आरम्भ हुआ है, 10 मध्यम शक्ति के जी० वी० टाइप इंजिनों का उत्पादन 1971-72 की अवधि में करेगा। पहले इंजिन का निर्माण जुलाई, 1971 तक हो जाने की सम्भावना है। पूरे उत्पादन की स्थिति में, इस प्लान की स्थापित उत्पादन क्षमता, अनेक प्रकार के इंजिनों के लिए, 6 उच्च शक्ति के इंजिन, 60 मध्यम शक्ति के इंजिन तथा 100 निम्नशक्ति के इंजिन की होगी।

Central Assistance for Bhanwar Kuan Dam

2013. **Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sought financial assistance from the Central Government for the proposed Bhanwar Kuan Dam so as to supply drinking water in Karhal tribal area of Morena district in Madhya Pradesh;

(b) whether the people of this area have to bring drinking water from a distance of several miles during summer season:

(c) the action taken by Government so far to supply drinking water in the said area; and

(d) the time by which financial assistance is likely to be provided to the State Government for the aforesaid dam together with the amount thereof?

The Minsiter of State in the Ministry of Heallh and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

सम्भाव्य विकास योग्य शहरों के विकास हेतु द्रुतगामी कार्यक्रम

2014. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर और ग्राम आयोजन के एक विशेषज्ञ ने गरीबी, बेरोजगारी तथा मकानों की कमी को दूर करने के लिये देश में सम्भाव्य विकास योग्य 300 शहरों के विकास हेतु एक द्रुतगामी कार्यक्रम का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा गठित बेरोजगारी पर एक विशेषज्ञ कमेटी को इस प्रकार के प्रस्ताव का ज्ञापन, दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया कहा जाता है।

(ख) ज्ञापन में ये प्रस्ताव हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्र के सम्पन्न किन्तु अविकसित क्षेत्रों में सम्भावित वृद्धि वाले 300 शहरों को विकसित करने के कार्यक्रम को प्रारम्भ करना चाहिए।

(2) लघु उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के लिये 50 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी से एक ग्राम्य विकास निगम स्थापित किया जाना चाहिए।

सभी इस प्रकार के ज्ञापनों के सुझावों पर बेरोजगार विशेषज्ञ कमेटी द्वारा, जिन्हें ये सम्बोधित किये गये हैं, पहले विचार किया जाना होगा, तदोपरान्त उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न उठेगा।

वर्ष 1971 को पोषाहार घोषित करना

2015. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया है कि वर्ष 1971 को पोषाहार वर्ष घोषित किया जाये ;

(ख) इस घोषणा की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं, जो इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रोयलसीमा, आंध्र प्रदेश में पीने के पानी की कमी

2016. **श्री पी० वैंकटासुब्बया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के रोयलसीमा क्षेत्र को पानी की कमी वाला क्षेत्र माना गया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र में इस सम्बन्ध में योजनाएं आरम्भ करने के लिये योजना के अतिरिक्त अनुदान अथवा ऋण देना मंजूर किया था ;

(ग) क्या रोयलसीमा क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई में अभी भी भारी कमी है ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र से पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये 'रिग्स' इत्यादि जैसे आवश्यक उपकरण देने के हेतु किसी विशेष निधि का नियतन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

डा० धर्मतेजा को भारत लाने पर हुआ व्यय

2017. **श्री आर० कडनापल्ली** :क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० धर्मतेजा को भारत लाने पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : डा० धर्मतेज को भारत वापस लाने में अब तक 6,70,000 रुपये खर्च हुए हैं। सालिसिटरों एवं काउन्सलों के शुल्क के रूप में 2,98,'400 रुपये के बिल लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन के पास अदायगी के लिये रुके हुए हैं।

चण्डीगढ़ राज्य क्षेत्र का विकास

2018. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) चन्डीगढ़ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वास्थ्य, पानी, नालियां, पार्श्व सड़कों तथा ग्रामीण आवास के सम्बन्ध में बहुत कम सुधार हुआ है ;

(ख) क्या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के विकास में अन्तर बढ़ता जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यक्रम को द्रुत गति दे रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख की जायेगी ।

दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों के लिये पेय जल सुविधाओं की कमी

2019. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पेय जल सुविधाओं, अत्यावश्यक नागरिक सुविधाओं, आदि के अभाव में दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है तथा अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सोवियत संघ से मिट्टी के तेल का आयात

2020. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोवियत संघ से मिट्टी का तेल आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना मिट्टी का तेल आयात किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस आयात से देश में उक्त तेल के मूल्य में कमी हो सकेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) 1971 वर्ष के लिये अनुमानित आयात 4,25,000 मीटरी टन है ।

(ग) तेल कम्पनियों के संग्रह-केन्द्रों के द्वार पर माल छुड़वाई (डिलवरीज) के लिए सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्य, तेल मूल्य निर्धारण-समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। ये मूल्य, आयातित एवं देश में उत्पादित तेल-उत्पादों के लिये समान हैं। प्रबन्ध तथा परिवहन की लागतें, बिक्री कर, चुंगी एवं अन्य ऐसे खर्चों पर विचार करने के पश्चात् आवश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय राज्य अधिकारियों द्वारा मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रय मूल्य नियत किये जाते हैं।

बर्मा और पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

2021. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा और पाकिस्तान से आये ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान उन देशों में छोड़ी गई उनकी सम्पत्ति के बदले में क्षतिपूर्ति दी गई है ; और

(ख) क्षतिपूर्ति के कितने मामले विचाराधीन हैं और उनके दावों को निपटाने में कितना समय लगेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्हें कोई मुआवजा देय नहीं है। इसलिए कोई भी मामला बकाया नहीं है। बर्मा से आए प्रत्यावर्तियों की सम्पत्ति के निपटारे हेतु राजनयिक माध्यमों से बर्मा की सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

मार्कीट टाऊन एण्ड स्पेशियल डेवेलपमेन्ट पर गोष्ठी

2022. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में राष्ट्रीय व्यावाहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने 'मार्कीट टाऊन एण्ड स्पेशियल डेवेलपमेन्ट' गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोष्ठी में बताया गया था कि यदि औद्योगिक एवं कृषि विकास के लाभ अधिकांश जनता तक पहुंचाने हैं तो देश में मार्कीट टाऊन सात गुना होना चाहिये ;

(ग) इस गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रक्रिया क्या है और अधिकांश जनता के हित को ध्यान में रखते हुये गोष्ठी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) इस आशय का एक ब्यान सेमिनार में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये एक लेख में अन्तर्विष्ट है।

(ग) सेमिनार ने विषय के तीन पहलुओं पर विचार किया, नामतः (i) विकास प्रक्रिया में मार्कीट केन्द्रों का भाग, (ii) औद्योगिक विस्तार के लीवर के रूप में नगर-औद्योगिक सम्पदाओं का भाग तथा (iii) विकास के उद्देश्य के लिये नये तथा वर्तमान नगरों के चयन के लिये मापदण्ड। इन पहलुओं पर लिये गये मुख्य निष्कर्ष, मार्कीट-नगरों के विकास में क्रमबद्ध प्रयोगाश्रित अनुसंधान, उन क्षेत्रों में प्रसाधनों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिनमें वे (नगर) स्थित हैं, औद्योगिक नगरों के विकास की आवश्यकता, मार्कीट-नगरों को स्वयं संपोषित व्यवहार्य एककों के रूप में बनाने की जरूरत तथा औद्योगिक नगरों के लिये पर्याप्त सुगम प्रसाधनों की स्थायी निधियों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

(घ) सरकार द्वारा इस विषय पर अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बनाते समय सेमिनार की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा।

रोडेशिया के सम्बन्ध में भारत का इङ्गलैंड से आग्रह

2023. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोडेशिया की जातिवादी सरकार को सही रास्ता अपनाने को बाध्य करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का अनुरोध इंगलैण्ड की सरकार ने अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार का विचार है कि रोडेशिया में बहुमत का शासन सुनिश्चित करने की अन्ततः जिम्मेदारी, प्रशासनिक शक्ति के नाते, यूनाइटेड किंग्डम की है और अवैध सरकार को हटाने के लिये उसे प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये, जिनमें बल प्रयोग भी शामिल है ।

यूनाइटेड किंग्डम सरकार की वर्तमान स्थिति यह है कि वह बातचीत के जरिये, जो अवैध सरकार के साथ शुरू हो चुकी है, यह पता लगाने का प्रयत्न कर रही है कि क्या बातचीत के जरिए समस्या के निपटान का कोई आधार है।

लुसाका शिखर सम्मेलन, सितम्बर, 1970, जनवरी, 1971 में सिंगापुर में हुए राष्ट्रमण्डल प्रधानमंत्री सम्मेलन और दिसम्बर 1970 में संयुक्त राष्ट्र में, भारत सरकार ने बहुत से अन्य देशों के साथ-साथ अपने विचारों को पुन: दोहराया है ।

भारतीय विमान के अपहरण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को भेजा गया प्रतिवेदन

+

2024. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री पी० गंगादेव :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने लाहौर को अपहरण किये गये भारतीय विमान विषयक अपनी समिति का प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रतिवेदन को देखा है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी अपना पक्ष उक्त संगठन के समक्ष प्रस्तुत किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हमारी सूचना के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा रिपोर्ट के निष्कर्षों का सारांश संगठन को पेश किया गया है । यह स्मरणीय है कि रिपोर्ट के निष्कर्षों के सम्बन्ध में पाकिस्तान ने समाचार-पत्रों के वास्ते एक सरकारी वक्तव्य भी जारी किया था ।

(ख) सरकार ने केवल उल्लिखित सरकारी वक्तव्य देखा है । हमने पाकिस्तान सरकार से रिपोर्ट की मांग की थी किन्तु हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) जी हां ।

गोवा शिपयार्ड श्रमिक संघ की मांगें

2025. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा शिपयार्ड श्रमिक संघ ने अपनी शिकायतों के बारे में गोवा शिपयार्ड के प्रबंधकों को कोई मांग चार्टर प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । यूनियन नें 8 मई, 1971 को, एक मांग चार्टर प्रस्तुत किया है ।

(ख) मांगें निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित हैं :—

(i) रोजी के कर्मचारियों की अस्थायी संवर्ग में एवं अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी संवर्ग में परिवर्तन ;

(ii) महंगाई भत्ते के प्रतिरूपता परिशोधन ;

(iii) नगर प्रतिकर भत्ते की मंजूरी ।

(ग) इस मामले पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबन्धकों ने विचार किया है । स्थिति यह है कि 8 सितम्बर, 1969 को प्रबन्धकों एवं गोवा शिपयार्ड कामगर यूनियन के द्वारा, मूल वेतन एवं अन्य भत्तों से सम्बन्धित समझौते के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर हुए । इसके अनुसार समझौता 31 अगस्त, 1972 तक लागू रहेगा या उससे भी अधिक अवधि तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक इसे विधि के अनुसार समाप्त न कर दें। समझौते के अनुसार कामगर और उनकी यूनियन, समझौते के लागू रहने के अवधि के अन्दर, समझौते से सम्बन्धित किसी भी विषय पर विवाद नहीं उठायेंगे । इन अनुबन्धों को ध्यान में रखते हुए, महंगाई भत्ते का परिशोधन और नगर प्रतिकर भत्ते के देने का प्रश्न नहीं उठता है । गोवा में सरकारी कर्मचारियों को भी नगर प्रतिकर भत्ता ग्राह्य नहीं है ।

रोजी के कामगरों का अस्थाई संवर्ग में और अस्थाई कामगरों का स्थाई संवर्ग में परिवर्तन बहुत-सी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि कम्पनी में कार्यभार की स्थिति, खाली जगहों का होना, कामगरों के कार्यकाल की अवधि इत्यादि। जब ये चीजें उपरोक्त परिवर्तन की आवश्यकता महसूस कराती हैं तो कामगरों के यूनियन से सलाह लेकर परिवर्तन कर दिया जाता है । मार्च, 1971 में कुछ अस्थाई कामगर इन प्रकार से स्थाई बना दिए गए थे ।

गोआ शिपयार्ड के कर्मचारियों द्वारा नगर प्रतिकर भत्ते की मांग

2026. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा शिपयार्ड के कर्मचारियों की नगर प्रतिकर भत्ता देने सम्बन्धी मांग पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रबंधकों ने नगर-प्रतिकर भत्ता देने संबंधी मांग पर विचार किया है। स्थिति यह है कि 8 सितम्बर 1969 को, यार्ड के प्रबन्धकों एवं गोवा शिपयार्ड कामगार यूनियन के द्वारा, मूल वेतन एवं अन्य

भत्तों से सम्बन्धित समझौते के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार यह समझौता, 31 अगस्त, 1972 तक, या उससे भी अधिक अवधि तक जब तक कि दोनों में से कोई एक इसे विधि के अनुसार समाप्त न कर दे, लागू रहेगा। इसी समझौते के अनुसार कामगार एवं उसकी यूनियन, समझौते के लागू रहने की अवधि के अन्दर, उन विषयों को जिन पर समझौता हो चुका है, कोई विवाद नहीं उठायेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए, गोआ शिपयार्ड लिमिटेड के कामगारों को नगर प्रतिकर भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा, गोवा में सरकारी कर्मचारियों को भी नगर प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता है।

बंगला देश के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने के बारे में प्रधान मन्त्री की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक

+

2027. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : श्री नाथूराम अहिरवार :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने विपक्षी नेताओं के साथ मई में एक बैठक की थी और उस बैठक में बंगला देश के सम्बन्ध में जनमत तैयार करने हेतु विदेशों में प्रतिनिधि भेजने का निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल को कब तक विदेशों में भेजा जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां, 7 और 25 मई, 1971 को। किन्तु, विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि विदेशों में संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भेजने का प्रश्न विचाराधीन है और यदि कोई निर्णय लिया गया तो विरोधी दलों के सदस्यों को प्रतिनिधिमण्डलों में शामिल करने के लिए उनके नेताओं से परामर्श किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में टाइप चार के सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

2028. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो टाइप चार के क्वार्टरों के हकदार हैं परन्तु जिन्हें टाइप दो के क्वार्टर आवंटित हैं ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों की सेवा 16 वर्ष से अधिक हो चुकी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (आई० के० गुजराल) : (क) टाइप-4 के वास के पात्र अधिकारियों को सामान्यत: टाइप-2 का वास आवन्टित नहीं किया जाता। स्पष्टतया, सदस्य महोदय उन व्यक्तियों की संख्या जानना चाहते हैं जो टाइप-4 के वास के पात्र हैं, परन्तु टाइप-2 के वास का दखल लिए हुए हैं। राजधानी में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 1,201 है।

(ख) 1,201 में से 743।

तालचेर और रामागुन्डम में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

+

2029. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तालचेर और रामगुण्डम में कोयले पर आधारित उर्वरक सन्यंत्र लगाने के लिए अपनी अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के लिये क्या पारस्परिक प्राथमिकता नियत की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) दोनों प्रयोजनाओं को साथ-साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री लंका की सीमा में भारतीय नौसेना द्वारा हथियारों सहित पकड़ गये जलपोत

+

2030. **श्री पी० गंगादेव :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री समर गुह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय नौसेना की गश्ती नौकाओं ने श्रीलंका की जलसीमा में हथियारों सहित दो उत्तर कोरियाई जल पोतों को पकड़ लिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) सूचना पूर्णतया गलत थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कार्यालय

+

2031. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** **श्री पी० गंगादेव :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कलकत्ता में विदेश मंत्रालय के कार्यालय की एक शाखा (पाकिस्तान डैस्क) खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कलकत्ता में विदेश मंत्रालय का एक ब्रांच आफिस खोला गया है।

(ख) पूर्व बंगाल से विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में आए शरणार्थियों के वास्ते सहायता कार्य के समन्वय के लिए साथ ही विदेशी आगन्तुकों के साथ जन-सम्पर्क बनाए रखने के वास्ते।

दिल्ली में महिला होस्टलों में स्थान की कमी

+

2032. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री बृजराज सिंह कोटा :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के महिला होस्टलों में स्थान की कमी होने के कारण विभिन्न कार्यालयों

में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को, जो दिल्ली से बाहर रह रही हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो महिला होस्टलों की संख्या कितनी है तथा उनका क्या प्रबन्ध है ;

(ग) क्या सरकार को इन होस्टलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) इस मंत्रालय को इस बात का ज्ञान नहीं है कि गर्ल्ज होस्टलों में वास की कमी के कारण कई कर्मचारी लड़कियां दिल्ली से बाहर रह रही हैं ।

(ख) कर्जन रोड पर लड़कियों के लिए केवल एक होस्टल है जिसमें 168 स्थान (137 कमरे) हैं । इस होस्टल का प्रबन्ध सम्पदा निदेशालय द्वारा किया जाता है । आवंटन सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के लिए अलग से रखी गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाता है । होस्टल में भोजन की कोई केन्द्रित व्यवस्था नहीं है । तथापि, सरकार द्वारा सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए इसका प्रश्न की नहीं उठता ।

मिलिटरी के प्रवर अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् नौकरियों का देना

2033. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सेवा नियमों के अनुसार मिलीटरी के बहुत से प्रवर अधिकारी युवावस्था में ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं ;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों की योग्यता तथा अनुभव के समुचित उपयोग हेतु उनकी योग्यता तथा अर्हताओं के अनुरूप उन्हें युध कारखानों आदि जैसे प्रतिरक्षा संस्थानों में वैकल्पिक नौकरी दी जाती है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस प्रतिभा प्रवास को रोकने के किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है और कोई योजना बना रही है ; और

(घ) और क्या सेवा-निवृत्ति के पश्चात् इन युवा अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान किये जायेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) सेना में कर्नल तथा ऊपर के रेंक के सैनिक अफसर तथा अन्य दोनों सेवाओं के समकक्ष रेंकों के अफसर अपनी पूरी सेवा अवधि पूर्ण करने पर 50 से 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं । इन अफसरों में सेवा जिनको पुनः रोजगार की आवश्यकता होती है, महानिदेशक पुनर्व्यवस्थापन के कार्यालय में अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं, तथा जिन सिविल पदों के लिये उपयुक्त समझे जाते हैं, प्रायोजित किये जाते हैं जिसमें रक्षा स्थापनाएं भी शामिल हैं ।

गृह निर्माण ऋण से निजी सम्पत्ति खरीदने की अनुमति

2034. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सरकारी कर्मचारियों को मकान बनवाने अथवा सरकारी/स्थानीय अर्द्ध-

सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाये गये मकानों के खरीदने के लिये ही ऋण दिया जाता है किन्तु उन्हें ऐसे ऋण से निजी सम्पत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सम्बद्ध नियमों में ढील दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिससे मन्त्रालय द्वारा दिये गये ऋण से सरकारी कर्मचारियों को निजी सम्पत्ति खरीदने की अनुमति मिल सके ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) फिलहाल सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के उद्देश्य से सरकार से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें गैर-सरकारी लोगों, सरकारी / अर्द्ध सरकारी निकायों / सहकारी समितियों से भूमि का खरीदना शामिल है। किन्तु गैर-सरकारी लोगों से मकान/बने-बनाये फ्लैट खरीदने के लिए ऋण देना स्वीकार्य नहीं है।

(ख) गैर-सरकारी लोगों से बने-बनाये मकानों को खरीदने के लिये ऋण न देने के कारण ये हैं :—

1. ऐसे मामलों में अग्रिम धन देने से देश में मकानों के राष्ट्रीय संचयन में बढ़ोत्तरी नहीं होती ;
2. पुराने मकानों का अवशिष्ट मूल्य आंकना कठिन है ;
3. अच्छी जमानत की आवश्यकता पूरी करने के लिए पुराने मकानों की निरन्तर मरम्मत होती रहे, यह सुनिश्चित करना कठिन है ;
4. पुराने मकानों को खरीदने के लिये यदि अग्रिम धन दिया गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है।

(ग) नियमों में यह पहले ढील दे दी गई है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी/अर्द्ध सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों / सुधार न्यासों, पंजीकृत सहकारी समितियों से बने-बनाये मकानों को खरीदने के लिये ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आगे कोई और ढील देना विचाराधीन नहीं है

दिल्ली में रहने के मकानों की कमी

2035. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रहने के मकानों की बहुत कमी है और निम्न तथा मध्यम आय वाले वर्ग के लोगों को उचित किराये पर मकान मिलना बहुत कठिन है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) देश के अन्य बड़े नगरों की भांति जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के कारण, दिल्ली में मकानों की यथेष्ट कमी है तथा जिन किरायों पर मकान उपलब्ध होते हैं वे निम्न आय वर्ग वाले अनेक व्यक्तियों की पहुंच के बाहर हैं।

सरकार ने पिछले कई वर्षों से दिल्ली सहित देश में मकानों की कमी को दूर करने के कई उपाय किये हैं। दिल्ली में अपनाये गये कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं —

1. निम्न छः सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन है, जिनका उद्देश्य निम्न तथा मध्यम आय वर्गों आदि व्यक्तियों की आवासीय स्थिति में सुधार करना है —

(i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना ;

(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना ;

(iii) गंदी बस्ती सफाई सुधार योजना ;

(iv) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ;

(v) दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी हटाओ योजना ; तथा

(vi) मध्यम आय वर्ग आवास योजना ।

संघ क्षेत्र प्रशासन से अभी तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत लगभग 80 वर्ग गज के 3700 प्लाटों तथा 25 वर्ग गज के 46,000 शिविर स्थलों के विकास के अतिरिक्त, लगभग 27,300 टेनमेंट्स / मकानों का निर्माण किया जा चुका है । ये सभी योजना चौथी योजना की अवधि के दौरान जारी रखी जा रही हैं ।

2. रिहायशी प्लाटों के लिये भूमि के विकास और विक्रय में तीव्रता लाने के लिए, 5 करोड़ रुपये की आवर्तन निधि से 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी । तदोपरान्त, 1967-68 से इस उद्देश्य के लिये प्राधिकरण को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये का एल० आई० सी० ऋण दिया जा रहा है । 1957 में, अपनी स्थापना से ही मकानों के लिये विकासित भूमि उपलब्ध कराने में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है । इसने अभी तक 5,600 फ्लेटों का निर्माण भी किया है तथा 9,680 और फ्लैटों का निर्माण कार्य हाथ में ले रखा है । प्राधिकरण, अपने अगले चरण में लगभग 24,600 मकानों के निर्माण आरम्भ करने का प्रस्ताव करता है ।

3. संघ क्षेत्र में, आवासीय सहकारिता की प्रगति को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिये गत वर्ष दिल्ली कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी की शेयर पूंजी में 5 लाख रुपये की राशि दी गई थी ।

किरायेदारों के हितों की रक्षा करने तथा मकान बनाने वालों को प्रेरणा देने हेतु, कुछ वैधानिक उपाय भी किये गये हैं, जैसे किराया-नियंत्रण कानून का आरंभ करना, कतिपय वर्गों के अपने कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकानों के बारे में, मालिकों को आय-कर रियायत देना, तथा उचित किराये के नये बने मकानों के वार्षिक मूल्यों पर आयकर में छूट (एक निर्धारित सीमा तक) देना ।

मनीपुर के इम्फाल और अन्य कस्बों का विकास

2036. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमोदित वृहद् योजना के अनुसार मनीपुर के इम्फाल कस्बे और अन्य छोटे कस्बों का विकास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह वृहद् योजना कब अनुमोदित की गई थी तथा उसकी क्रियान्विति के लिये क्या व्यवस्था है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) वृहत्तर इम्फाल के लिये एक वृहद् योजना बना दी गई है। नगर आयोजना स्कीमें वृहद् योजना के ढांचे के अन्तर्गत तैयार की जा रही हैं।

जिरीबाम के लिए भी एक वृहद् योजना बना दी गई है तथा चुराचंदपुर के लिए एक योजना बनाने का काम पहिले ही आरम्भ कर दिया गया है।

वृहत् योजनाओं की विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन, मनीपुर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया जायेगा।

मेडिकल कालेज मनीपुर में एम० बी० बी० एस० के लिए स्थानों का कोटा

2037. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल कालेजों में आगामी सत्र में मनीपुर के लिए एम० बी० बी० एस० के स्थानों का कोटा निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कालिजवार इन स्थानों की कितनी संख्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) आगामी सत्र में मनिपुर के लिये, भारत सरकार ने मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० के स्थानों का कोटा निर्धारित नहीं किया है। मणिपुर प्रशासन से एम० बी० बी० एस० के लिये 50 स्थानों तथा प्री-मेडिकल पाठ्यक्रम के 15 स्थानों के लिए निवेदन मिला है। मनिपुर और अन्य संघशासित क्षेत्रों/राज्यों के लिए स्थानों के नियतन करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही निश्चय कर दिया जायेगा।

दिल्ली में सिंहानूक सरकार का प्रतिनिधिक दूतावास

2038. **श्री बी० के० मोदक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रिंस सिंहानूक की अध्यक्षता वाली कम्बोडिया की अस्थाई सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि दिल्ली में उनका प्रतिनिधिक दूतावास बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार को एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि भारत में प्रिंस सिंहानूक की अध्यक्षता में एक सूचना केन्द्र स्थापित किया जाये।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली, में डी० सी० बिजली को ए० सी० में बदलना

\+

2039. **श्री एस० डी० सिंह** : **श्री रामचन्द्र विकल** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने डी० आई० जेड० क्षेत्र में स्थित ऐसे सरकारी क्वार्टरों के जहां ए० सी० बिजली नहीं दी गई है, निवासियों से कहा है कि वे डी० सी० बिजली को अगस्त,

1971 तक ए० सी० बिजली में बदलवा लें. नहीं तो उन्हें एक सितम्बर, 1971 से डी० सी० करेंट के लिये अधिक शुल्क देना पड़ेगा;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में बिजली करेंट को बदलने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का है और कि उक्त विभाग ने दो वर्ष पूर्व नई दिल्ली नगरपालिका को आश्वासन दिया था कि वह इन क्वार्टरों में बिजली करेंट को शीघ्र बदलने की व्यवस्था करेंगी ;

(ग) करेंट को अब तक न बदलने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त क्वार्टरों के निवासियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालने का औचित्य क्या है जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने आश्वासन को पूरा करने में असफल रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सामान्य अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया है कि 1-9-71 से डी० सी० शुल्क बढ़ा दिया जायेगा।

(ख) उक्त क्वार्टरों में डी० सी० को ए० सी० में बदलने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा नई दिल्ली नगर पालिका का संयुक्त रूप से है। भीतरी तारें लगाने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है, तथा क्वार्टरों में ए० सी० कनेक्शन की व्यवस्था नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की जानी है। डी० आई० जेड० क्षेत्र के उन क्वार्टरों में, जिन्हें पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि के भीतर गिराये जाने की सम्भावना नहीं थी, डी० सी० का ए० सी० में परिवर्तन आरम्भ करना मार्च 1969 में स्वीकार कर लिया गया था।

(ग) तथा (घ) 1255 क्वार्टर प्रभावित हैं। इनमें से 975 क्वार्टरों में, परिवर्तन कार्य आरम्भ किया जा चुका है। 695 क्वार्टरों में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 280 क्वार्टर में यह शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा। इसके उपरान्त पुन: 280 क्वार्टर रह जाते हैं, जिनमें शीघ्र ही परिवर्तन का कार्य आरम्भ करना प्रस्तावित है।

3 फील्ड आर्डनेन्स डिपो, जम्मू तथा काश्मीर के कर्मचारियों को यूनियन गठित करने हेतु अनुमति

2041. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3–फील्ड आर्डनेन्स डिपो जम्मू तथा काश्मीर में कार्य कर रहे सिविल कर्मचारियों को यूनियनों का गठन करने हेतु अनुमति नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस डिपो में कोई निर्वाचित वर्क्स समिति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कर्मचारी अपनी शिकायतों को अधिकारियों के सम्मुख किस प्रकार उपस्थित कर रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) सेना की सेन्सिटिव यूनिटों में व्यावसायिक यूनियनों का गठन करना प्रतिबंधित किया गया है जैसे अग्रिम क्षेत्रों तथा सीमा पर सेवारत

यूनिटों के लिए संचार लाइनों की रखरखाव करने वालों/भण्डारों की पूर्ति करने वाली यूनिटें / तदनुसार जम्मू तथा काश्मीर में 3 फील्ड आर्डनेंस डिपो के कर्मचारियों को यूनियन का गठन करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) तथा (घ) यूनिट में कोई भी वर्क्स समिति नहीं है। तथापि वहां एक कल्याण समिति है जिसके द्वारा कर्मचारी अपनी शिकायतें बता सकते हैं।

बहुप्रयोजनीय चलते-फिरते प्रशिक्षण एवं सेवा अस्पताल

+
2042. **श्री सी० जनार्दनन :** **श्री बी० के० दासचौधरी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनता के लिये व्यापक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु बहुप्रयोजनीय चलते फिरते प्रशिक्षण एवं सेवा अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी हां।

(ख) चलते-फिरते अस्पताल, अब तक उपेक्षित ग्रामीण जनसंख्या को विशेषज्ञ एवं परिवार नियोजन सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध करेंगे।

50 पलंगों वाला एक चलता-फिरता प्रशिक्षण-सह-सेवा अस्पताल, प्रत्येक राज्य में मेडिकल कालेज से सम्बद्ध होगा। यह तम्बुओं में काम करेगा, पूरी तरह से सुसज्जित होगा और इसमें आवश्यक गाड़ियों आदि की पूरी व्यवस्था होगी। तम्बुओं में स्टाफ के सभी कर्मचारियों, छात्रों एवं इन्टर्नस के लिए काफी स्थान सुलभ किया जायेगा। चलते-फिरते अस्पतालों में, चिकित्सा, सर्जरी, प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान तथा निरोधक एवं सामाजिक चिकित्सा विभागों में से प्रत्येक से एक एक अध्यापक होगा और इनके साथ 10 से 15 अन्तिम वर्ष के मेडिकल छात्र, 5 से 6 स्नातकोत्तर स्नातक और 10 से 12 अंतिम वर्ष के नर्सिंग छात्र बारी-बारी से एक महीने के लिये गांवों में रहेंगे और वे प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रशिक्षण देंगे। वे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा, नर्सिंग तथा पार्श्व चिकित्सा कर्मचारियों और मलेरिया उन्मूलन, चेचक उन्मूलन, पोषण एवं परिवार नियोजन आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नियुक्त कर्मचारियों के साथ गांवों में घर-घर जायेंगे।

चलते-फिरते अस्पतालों और गांवों के घरों पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण और सेवा कार्यक्रम का सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा करीब से निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) भारत सरकार ने इस समय ऐसे 22 चलते-फिरते अस्पताल मन्जूर किये हैं। इनमें से पांच चलते-फिरते अस्पताल पूरी तरह से केन्द्रीय सेक्टर में होंगे और प्रत्येक चलते फिरते अस्पताल का प्रतिवर्ष 3.1 लाख रु० का अनावर्ती व्यय तथा 2.4 लाख रु० का आवर्ती व्यय केन्द्र द्वारा वहन

किया जायेगा। जिस राज्य में, कम से कम एक मेडिकल कालेज है वहां एक चितरंजन में चलता फिरता अस्पताल देकर, 17 चितरंजन चलते-फिरते अस्पताल खोले गये हैं। हर एक चितरंजन चलते फिरते अस्पताल पर होने वाले 3.1 लाख रुपये के अनावर्ती व्यय की पूर्ति शिक्षा एवं युवक सेवा मन्त्रालय द्वारा की जायेगी और आवर्ती व्यय की पूर्ति सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस समय केन्द्रीय सरकार के चार चलते-फिरते अस्पताल तथा आठ चितरंजन चलते-फिरते अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

"श्री हाक मेरीटाइम जैटों" के स्थान पर "हैरियर जम्प जैटों" का प्रयोग

2043 **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय विक्रान्त विमान वाहक जहाज पर प्रयुक्त 'श्री हाक मैरी टाइम जैटों' के स्थान पर 'हाकिन सीड़उलो' द्वारा निर्मित "हैरियर जम्प जैटों" को खरीदने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन जैट विमानों के लिये क्या मूल्य दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) इस सूचना को देना लोकहित में नहीं होगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का बिना पूर्णकालिक अध्यक्ष के होना

2044. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सितम्बर, 1970 से किसी पूर्णकालिक अध्यक्ष के बिना अपना कार्य करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) श्री एल० जे० जानसन की अवधि की समाप्ति के साथ ही, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रधान का पद 8 सितम्बर, 1970 को रिक्त हुआ। परन्तु श्री जानसन के स्थान पर, स्थायी आधार पर नियुक्त अधिकारी ने पद का कार्यभार नहीं संभाला। अतः, इस पद की स्थायी आधार पर नियुक्ति के लिये, सरकार अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

इसी बीच में, अस्थायी व्यवस्था के रूप में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सदस्य (अन्वेषण), श्री बी० एस० नेगी, 8-9-1970 से, उक्त आयोग के स्थानापन्न प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं।

'वैस्ट बंगाल वैक्सीन इंस्टीच्यूट'

2045. **श्री विनेश जोरदार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "वैस्ट बंगाल वैक्सीन इन्स्टीच्यूट" को इस आधार पर बन्द करने का है कि यह आधुनिक वैक्सीन उत्पादन केन्द्र नहीं है ;

(ख) इस सबसे पुराने टीके की औषधि का उत्पादन करने वाले केन्द्र का आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या कलकत्ता में हिमकर शुष्क टीका केन्द्र की भी स्थापना करने की एक योजना थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल वैक्सीन संस्थान का नियंत्रण तथा संचालन राज्य सरकार करती है। अतः उसे समाप्त करने के प्रश्न पर निर्णय करने का काम उक्त राज्य सरकार का है।

चौथी पंचवर्षीय योजना को बनाते समय पटवाडांगर (उत्तर प्रदेश), बेलगांव (मैसूर), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और गिण्डी (तमिलनाडु) में स्थित चार मौजूदा संस्थानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिससे देश में जमाई गई सूखी चेचक की वैक्सीन की तमाम आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। कोई अन्य अतिरिक्त वैक्सीन उत्पादन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं था। इन बातों को ध्यान में रखते हुये, पश्चिल बंगाल राज्य सरकार ने जगाई गई सूखी चेचक की वैक्सीन के निर्णय का जो प्रस्ताव किया था उस पर सहमति नहीं दी जा सकी।

(ग) और (घ) फिलहाल कलकत्ता में जमाई गई सूखी चेचक की वैक्सीन का केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रवर भौतिक चिकित्सकों के भर्ती सम्बन्धी नियम

2046. **श्री हुकुम चन्द कछवाय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री प्रवर भौतिक चिकित्सकों के भर्ती सम्बन्धी नियमों के बारे में 6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5298 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में उठाये गये विभिन्न मामलों की इस बीच कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी हां।

(ख) वर्तमान नियमों में संशोधन न करने का निश्चय किया गया है।

Foreign exchange for coal based fertilizer plant at Korba

2047. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government have arranged foreign exchange for the coal-based fertilizer plants at Talcher and Ramagundam and not for the Korba plant ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Government have decided to implement the Talcher and Ramagundam Projects in the first instance and to determine the phasing of the Korba project after the foreign exchange required for the said two projects is arranged. So far the foreign exchange requirement of the two projects (Talcher and Ramagundam) has been tied up to a substantial extent and the question of phasing of the Korba project is proposed to be taken up shortly.

रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन

+

2048. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को 40 रुपये प्रतिमास की न्यूनतम पेंशन देने के सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या यह आदेश रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जिनकी 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् छटनी की गई थी, जिन्हें रिजर्व सैनिक के रूप में रखा गया और जिन्होंने 1962 के चीनी के आक्रमण के दौरान तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में अपनी जानें न्योछावर कर दी थीं ; और

(ग) यदि हां, तो न्यूनतम पेंशन के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों को इस वर्ग के कर्मचारियों पर लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। केवल रिजर्विस्टों के मामलों को छोड़ कर। यह मुख्यतया इसलिये है क्योंकि रिजर्विस्ट पेंशन अंशतः सध्वज सेवा तथा रिजर्व सेवा के आधार पर होती है तथा उस काल में रिजर्विस्ट सिविल नौकरी करने या अन्य व्यवसाय करने में स्वतंत्र हैं।

(ख) तथा (ग) रक्षा सेवा कार्मिकों के परिवार (जिसमें रिजर्व से पुनः बुलाए गए शामिल हैं) जो कि 1962 के चीनी आक्रमण या 1965 के पाकिस्तानी संघर्ष के दौरान मारे गये थे ; वह विशेष बड़ी दरों पर पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, न्यूनतम पेंशन 40 रुपये प्रति माह से अधिक है।

सिन्दरी फर्टीलाइजर फैक्टरी की टाउनशिप सम्बन्धी समिति

2049. **श्रीमती बिभा घोष :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी फर्टीलाइजर के टाउनशिप की देखरेख किसी समिति द्वारा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समिति निर्वाचित निकाय है और

(ग) यह समिति क्या कार्य करती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी सेठी) : (क) जी हां, उपनगर अधिसूचित क्षेत्र समिति, सिन्द्री द्वारा प्रशासित होता है।

(ख) समिति एक निर्वाचित संस्था नहीं है ; इसके सदस्यों को बिहार सरकार के स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मनोनीत किया जाता है ।

(ग) इस समिति के कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—सफाई तथा जन स्वास्थ्य उपाय, परिवार नियोजन, डेयरी तथा मुर्गापालन, दुग्धवितरण, बाजारों तथा बूचलखानों का प्रबन्ध, प्राथमिक पाठशालाओं का संचालन आदि ।

हिन्द महासागर में ब्रिटिश नौसेना का वाहक जहाज

2050. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्द महासागर, विशेषकर भारत और श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों में ब्रिटिश नौसेना के वाहक जहाज 'एलबियन' की गतिविधियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से इस हस्तक्षेप के कारण कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, इस विरोध का स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार, ब्रिटिश नौसेना का 'एलबियन' नामक कैरियर बम्बई में अपनी सामान्य यात्रा पर आया था ।

(ख) और (ग) महासागरीय स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी विदेशी नौसेना जहाज भारतीय महासागर और दूसरे महासागरों में घूम सकते हैं । इसलिये विरोध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक परियोजनाओं के लिए 'फीड स्टाक' समिति का प्रतिवेदन

2051. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय द्वारा कुछ वर्ष पूर्व स्थापित उर्वरक परियोजनाओं के लिये 'फीड स्टौक' समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उर्वरक परियोजनाओं में 'फीड स्टौक' के रूप में प्रयोग के लिए परमाणु शक्ति पनबिजली शक्ति से सस्ती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जी हां । उर्वरक प्रायोजनाओं की फीड स्टाक समिति इस नतीजे पर पहुँची कि उर्वरक प्रयोजनाओं में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाने के लिये अणुशक्ति की अपेक्षा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर सस्ती है ।

वायुसेना के प्रशिक्षणार्थियों को दिये जा रहे भत्ते

2052. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे केडट को और सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 'अन्य रैंक' के केडट को दिये जा रहे सज्जा भत्ते तथा अन्य भत्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) दोनों वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों को दिये जा रहे भत्तों के बीच अन्तर के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

कर्ण-बैंक की स्थापना

2053. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में एक रोगी का कर्ण पट्ट सफलतापूर्वक बदला गया है ;

(ख) क्या सरकार ते 'नेत्र-बैङ्क' के आधार पर "कर्ण-बैङ्क" स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इर्विन अस्पताल, दिल्ली में एक रोगी का कर्ण-पट्ट (ईयर-डम) बदल दिया गया है परन्तु रोगी सुनने भी लगेगा या नहीं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

2054. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे से विमानों की उड़ानें 1 मई, 1971 से बन्द कर दी गयी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने समूचे क्षेत्र का उपयोग निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये सरकारी क्वार्टरों का निर्माण करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं । यात्रियों को ले जाने वाले डीसी-3 तथा अन्य अपेक्षाकृत बड़े विमानों की उड़ानों को ही केवल 1-5-1971 से सफदरजंग हवाई अड्डे से पालम को स्थानान्तरित किया गया है ।

(ख) तथा (ग) फिलहाल इनका प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े नगरों में पटरी पर रहने वाले लोगों के लिये रैन-बसेरों की व्यवस्था

2055. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगरों में रहने के प्रति व्यक्ति उपलब्ध औसत स्थान के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) हाल ही की जनगणना के अनुसार उपर्युक्त नगरों में पटरी पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इन नगरों में पटरी पर रहने वाले लोगों के लिये रैन-बसेरों की व्यवस्था करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कोई सीधा मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, आवासीय स्थिति के बारे में प्रति मकान दखलकारी के अनुसार निर्देशात्मक सूचना जनगणना रिपोर्ट में उपलब्ध है ।

(ख) 1971 की जन-गणना के दौरान एकत्रित किये गये आंकड़े का विश्लेषण जनगणना प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) 1956 में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई गन्दी बस्ती सफ़ाई / सुधार योजना में, राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों तथा स्थानीय निकायों द्वारा पटरी पर रहने वालों के लाभ के लिए रैन-बसेरों के निर्माण की पहले से ही व्यवस्था है ।

भारत में पनडुब्बियों और आधुनिकतम फ्रिगेटों का बनाया जाना ।

+

2056. **श्री एस० एम० कृष्ण : श्री पी० गंगादेव :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारत में ही पनडुब्बियां और आधुनिकतम फ्रिगेट बनाने के प्रयास कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विदेशी सहायता भी प्राप्त की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो किस देश से ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इन संबंध में ब्यौरों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

हिन्द महासागर में विदेशी नौसैनिक अड्डा

2057. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई एशियाई देशों ने हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक अड्डे की स्थापना का विरोध किया है;

(ख) उन लोगों के नाम क्या हैं जिन्होंने हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डों की स्थापना की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हिन्द महासागर के अधिकतर तटवर्ती देश इस बात से सहमत हैं कि किसी भी विदेशी शक्ति को हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक अड्डे स्थापित नहीं करने चाहिए । भारत सरकार को हिन्द महासागर में सोवियत रूस द्वारा किसी नौसैनिक अड्डे की स्थापना के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस की सरकारों के हिन्द महासागर क्षेत्र में नौसैनिक अड्डे हैं।

(ग) 1965 के बाद भारत सरकार ने, वैध आपत्तियों के बावजूद अड्डे स्थापित करने के संबंध में ब्रिटेन और अमरीकी सरकारों के निर्णय की बार-बार भर्त्सना की है। हमने इस विषय पर अमरीका, सोवियत रूस और ब्रिटेन की सरकारों का ध्यान लुसाका घोषणा की ओर भी आकर्षित किया है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कोरापुट डिवीजन मोनाबेड़ा, उड़ीसा के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

2058. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कोरापुट डिवीजन, मोनाबेड़ा, उड़ीसा के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार को अपनी शिकायतों और मांगों के बारे में मार्च, 1971 में एक अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) क्या उड़ीसा के कुछ विधायकों ने अप्रैल, 1971 में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री को इस संबंध में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि प्रबन्धकों के विरुद्ध कर्मचारियों के द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार की अकर्मण्यता के कारण कर्मचारियों ने अपनी शिकायतें दूर कराने के लिये आन्दोलन और भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वहां वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) सरकार ने कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है। यह सही है कि क्रम से भूख हड़ताल, जनवरी 1971 से चल रही है। भूख-हड़ताल में भाग लेने वाले व्यक्ति भूतपूर्व-रोजी के कर्मचारी हैं और उन्हें इम्पलाइज एसोशिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त है। डिवीजन के कामगार या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स इम्पलाइज एसोशिएशन जो कि एक मान्यता प्राप्त यूनियन है भूख-हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। डिवीजन में स्थिति सामान्य है और प्रबन्धकों एवं मान्य यूनियन के बीच संबंध मधुर बने हुए हैं।

केरल के जिलों में रक्तक्षीणता के बहुत से मामले

2059. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है कि थाई कन्नानोर जिला केरल में परपुरु द्वीप में रहने वाले एक हजार लोग अत्यधिक रक्तक्षीणता (अनेमिया) तथा इस प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) उपर्युक्त द्वीप की जनता को इन रोगों से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वी बंगाल में स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में उत्तरी वियतनाम का मत

2060. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी वियतनाम की सरकार ने पूर्वी बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में अथवा विरोध में कोई वक्तव्य दिया है;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल के स्वबंत्रता संग्राम का समर्थन प्राप्त करने के लिये उत्तरी वियतनाम की सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर उत्तरी वियतनाम की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वियतनाम जन गणराज्य की सरकार द्वारा जारी किए गये ऐसे किसी भी वक्तव्य की भारत सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) पूर्वी बंगाल में प्रश्न पर सामान्य राजनयिक स्रोतों द्वारा उत्तरी वियतनाम जन गणराज्य की सरकार और दूसरी सरकारों से बातचीत की गई है। इस प्रकार की बातचीत के रहस्योद्घाटन की प्रथा नहीं है।

पश्चिम बंगाल में पुरुलिया स्थित सैनिक स्कूल के प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें

2061. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरुलिया स्थित सैनिक स्कूल के प्रशासन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या उन शिकायतों की जांच की गई है ; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) क्या इस स्कूल में पढ़ने के उपरांत केवल लगभग 20 प्रतिशत लड़कों ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश किया है ; और

(घ) क्या यह स्कूल सशस्त्र बलों के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय अनुसंधान को दूर करने के उद्देश्य में असफल रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। शिकायत 1970 में प्राप्त हुई थी।

(ख) जांच पर पता चला था कि आरोप सही नहीं था।

(ग) जी नहीं, स्कूल में पास होने वाले लगभग 30 प्रतिशत लड़कों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया है।

(घ) जी नहीं, 1965 तक जब कि लड़कों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश करना प्रारम्भ किया था, 98 लड़कों में से जिन्होंने स्कूल से पास किया था, 35 ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाया था। स्कूल का परीक्षा फल देश के अन्य सैनिक स्कूलों की तुलना में अधिक अच्छा है।

हिन्द महासागर में चीनी और पाकिस्तानी नौसेना का जमाव

2062. **श्री पी० के० देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्द महासागर में चीन और पाकिस्तानी नौ सेना की उपस्थिति बढ़ती जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हिन्द महासागर में चीन के नौसेना के जहाजों की संख्या में हाल में कोई वृद्धि हुई है। पाकिस्तान अपनी नौ-सेना शक्ति बढ़ा रहा है, अतएव हिन्द महासागर में पाकिस्तानी नौ सैनिक जहाजों की संख्या में वृद्धि हुई है।

नेपाल के साथ व्यापार वार्ता के असफल होने के लिए चीन द्वारा भारत पर दोषारोपण करना

2063. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि चीन इस वर्ष के आरम्भ से एन० सी० एन० ए० और विशेषकर नेपाल में रेडियो पेकिंग के प्रसारण में भारत-नेपाल व्यापार वार्ता की असफलता का दोष भारत पर डाल कर स्थिति का लाभ उठा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नेपाल में इस प्रकार के भारत विरोधी प्रचार का प्रतिकार करने और नेपाली जनता को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराने के लिए समय-समय पर उचित कदम उठाये जाते हैं।

विद्रोही मिजो और भारतीय सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ें

+

2064. **श्री राजदेव सिंह** : **श्री जी० वाई० कृष्णन** :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 के दौरान विद्रोही मिजो और भारतीय सुरक्षा बल के बीच अनेक करारी मुठभेड़ें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुठभेड़ों में कितने सैनिक तथा अन्य अधिकारी मारे गये ; और

(ग) विद्रोही मिजो को भारत में प्रवेश से रोकने और उस क्षेत्र के निवासियों की जान और माल की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत दो वर्षों में 1969 और 1970 के दौरान सुरक्षा सैनिकों एवं छिपे हुए मिजो के बीच एकसठ मुठभेड़ें हुईं।

(ख) 15 सुरक्षा सैनिक कार्मिक जिसमें सशस्त्र सेना के 2 अफसर शामिल हैं मारे गए थे।

(ग) विद्रोही मिजो का भारत के अन्दर आना रोकने के लिए तथा मीजो जिले एवं उसके संलग्न क्षेत्रों में जन-जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गये हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इण्डियन आइल के पेट्रोल पम्पों का खोला जाना

2065. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर 1970 तक समस्त भारत में इण्डियन आयल कारपोरेशन के कुल कितने पेट्रोल-पम्प थे अथवा जिन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया था;

(ख) चालू चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने पेट्रोल पम्प लगाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) ऐसे व्यक्ति को इण्डियन आयल कारपोरेशन क्या सुविधाएं देती है जो इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प पर कार्य करने के लिये तैयार है और क्या ये सुविधाएं अन्य कम्पनियों की तुलना में कम हैं अथवा अधिक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 2,813।

(ख) लगभग 2,000।

(ग) भारतीय तेल निगम के नियन्त्रित फुटकर पेट्रोल-पम्पों (केन्द्रों) के लिए जो 'ए' श्रेणी पेट्रोल-पम्प के नाम से विख्यात हैं, उक्त निगम, भूमि को पट्टे पर देता है तथा उसका विकास करता है और पम्पों, टैंकों, विक्रय-कक्ष प्रतीक (एम्बलैम) चिह्न एवं सर्विस स्टेशन उपकरण (जहां पर प्रयुक्त होते हों) सहित समस्त सुविधाएं प्रदान करता है। डीलर-नियन्त्रित स्थलों (साइट्स) के लिए, जो 'बी' श्रेणी पेट्रोल-पम्प के नाम से विख्यात हैं, भारतीय तेल निगम का निवेश, केवल पम्पों, टैंकों और प्रतीक चिह्नों की व्यवस्था तक सीमित है। सर्विस स्टेशन उपकरण के लिए निगम को किराये पर खरीदने की एक नीति (a hire-purchase policy) भी है। जहां उचित समझा जाता है, चुने गए-किये गये डीलरों (व्यापारियों) को अपने पेट्रोल-पम्पों के आधुनिकीकरण के लिए उपदान (सबसिडी) दिया जाता है। इस समय भारतीय तेल निगम द्वारा की गई सुविधाएं सामान्य रूप से अन्य तेल कम्पनियों की सुविधाओं के समान हैं।

निजी संस्थाओं के बारे में मैसूर की चिकित्सा संस्थाओं से शिकायतें

2066. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर की चिकित्सा संस्थाओं से गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं के चलाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) मैसूर राज्य के दो निजी चिकित्सा संस्थाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक मेडिकल कालेज, गुलबर्ग के छात्रों की है तथा दूसरी कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल के गैरअध्यापन कर्मचारियों की है।

गुलबर्ग मेडिकल कालेज के बारे में शिकायत यह है कि इस कालेज के प्रबन्धक प्रति व्यक्ति फीस (कैपीटेशन फीस) लेने के अलावा कालेज फीस भी बढ़ाकर ले रहे हैं। कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल के बारे में शिकायत का जहां तक सम्बन्ध है उसमें कहा गया है कि गैर-अध्यापन कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान ठीक तरह नहीं किया जा रहा है।

ये दोनों शिकायतें मैसूर राज्य सरकार के पास समुचित कार्यवाई के लिए भेज दी गई हैं। ये निजी संस्थाएं हैं अतः भारत सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इनके मामले में दखल दे।

सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी में प्रोत्साहन योजना

2067. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी फर्टीलाइजर फैक्टरी में कोई प्रोत्साहन योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस योजना की क्रियान्विति के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) भारतीय उर्वरक निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर यथासमय प्रस्तुत की जाएगी।

Reduction in the Price of Domestic Gas

2068. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether three months ago, Government had taken a decision to reduce the price of domestic gas by rupees three per cylinder;

(b) if so, the reasons for not putting into effect the said decision;

(c) whether the gas producers or suppliers are now exerting pressure on Government to allow them to increase the price of gas cylinders; and

(d) if so, the action taken by Government against the gas producers and suppliers for not putting into effect the previous decision of Government and the action being taken by Government to reduce the price of gas cylinder keeping in view the public interest and the changed use of gas plants?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) The Oil Prices Committee which examined the products pricing has recommended that the selling prices of L. P. Gas of the private Oil Companies be reduced all over India by Rs. 3.00 per cylinder and of the IOC by Rs. 2.14 per cylinder.

(b) The matter is still under consideration of the Government.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Property Owners Having Jhuggi-Jhonpri Plots in Delhi

2069. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether an assessment was made of the property of Jhuggi-Jhonpri dwellers of Delhi and it was discovered that about 50—55 thousand persons among them were such who have rented out their own houses and whose monthly income runs into thousands of rupees;

(b) if so, whether Government propose to take any stringent action against these anti-social elements ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. . K. Gujral) (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Seminar on Family Planning

2070. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Health and Family Planning be** pleased to state:

(a) whether the Institute of Public Administration, Delhi had organised a three-day seminar on "Family Planning Administration and Policy" in Delhi ;

(b) if so, the subjects discussed and conclusions reached therein ; and

(c) the new approach to Family Planning programme is likely to adopt as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes.

(b) and (c) The subjects discussed related to various aspects of family planning administration and policy. The report of the Seminar has not yet been received and its recommendations, when received, will be taken into consideration.

दिल्ली में गृह निर्माण समितियों को भूमि का आबंटन

2071. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री गृह निर्माण योजना के बारे में 31 अगस्त 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरावाला आवास निर्माण समिति के सभी सदस्यों को 225, 200 और 178 गज के प्लाटों की व्यवस्था के सम्बन्ध में न वताए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) 225/200/176 वर्ग गज के प्लाटों के आबंटन में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी ; और

(ग) वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों में अन्तर क्यों करने दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जो सदस्य 300 वर्ग गज के प्लाटों के पात्र थे, उन्हें 225,200 तथा 175 वर्ग गज के प्लाटों की पेशकश नहीं की जा सकी, क्योंकि वे प्लाट उन श्रेणियों के पात्र सदस्यों को उनकी वरीयता के अनुसार आबटित किये गये थे ।

(ख) उन श्रेणियों के पात्र सदस्यों को 225/200/175 वर्ग गज के प्लाट उनकी वरीयता के अनुसार लाटरी द्वारा आवंटित किए गये थे ।

(ग) सोसाइटी के अनुमोदित उपनियमों में एक उपबन्ध है जिसके अनुसार अपनी-अपनी श्रेणियों में सदस्यों की वरीयता के आधार पर प्लाटों का आबंटन किया जाना था ।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली को अतिरिक्त भूमि का आबंटन

2072. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली को आबंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का कब्जा समिति को दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भूमि का कब्जा कब दिया गया था तथा कब तक इसका विकास करके इसे समिति के सदस्यों को आबंटित कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) समिति को अतिरिक्त भूमि के आबंटन से सम्बन्धित मामला दिल्ली प्रशासन के अब भी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र द्वारा संचालित अस्पतालों का कार्यकरण

2073. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा संचालित अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के क्या नाम हैं, उसके विचारार्थ विषय क्या हैं ; और उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित दो अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त दो संस्थाओं के कार्य का अध्ययन करने के लिए जो कार्यकारी दल गठित किया गया था उसने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है :

1. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।
2. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली।
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, चण्डीगढ़।

(ख) इसके कर्मचारियों तथा विचारणीय विषयों का ब्यौरा दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

आशा है कि समिति अपना प्रतिवेदन लगभग एक महीने के समय में देगी।

विवरण

कार्यकारी दल के सदस्य

1. श्री पी० एल० वर्मा, आनरेरी कन्सलटेण्ट फार इंजिनियरिंग वर्क्स, अध्यक्ष स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़।
2. संयुक्त सचिव (यू) स्वास्थ्य विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार (स्वास्थ्य)।
4. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि।
5. चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।
6. चिकित्सा अधीक्षक, विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली।

7. निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ ।

8. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

9. मुख्य अभियन्ता (विद्युत के० सा० नि० वि०) ।

10. श्री जे० सी० मेहता (अभियन्ता स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़) ।

कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय :

(1) अस्पताल प्रशासन और इंजीनियरी सेवाओं की वर्तमान स्थिति और भविष्य में उनके उद्देश्य और विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार करना तथा उसमें उपयुक्त परिवर्तन सुझाना और प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(2) वर्तमान वित्तीय प्रतिमानों पर विचार करना और द्रुत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निम्न स्तरों को शक्तियों के हस्तान्तरण सहित उपयुक्त परिवर्तन सुझाना ।

(3) उसकी रिपोर्ट में तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय अलग-अलग दिए जाएं ।

G. P. F. Statement of Hindon Airport (Ghaziabad) Civilian Employees

2074. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether the civilian employees working at Hindon Airport (Ghaziabad) are not given G. P. F. statement regularly every year;

(b) the number of such employees out of them who have been transferred there from other units and whose G. P. F. statement showing the last balance has not been sent to them;

(c) the action proposed to be taken by Government to keep the G. P. F. account up-to-date;

(d) whether at present there are some employees, out of them. who have not been intimated their balance in the G. P. F. account receipts; and

(e) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) The Annual Statements of G. P. Fund Accounts are despatched to the units concerned regularly every year for handing over to the subscribers.

(b) There are 26 cases of individuals transferred from other units to Hindon Airport who have not been given their G. P. Fund statements which are awaited from their previous units.

(c) Office of the J. C. D. A. (Funds) has recently been strengthened. A programme of computerisation of the Fund accounts has been launched with a view to ensure expeditious rendition of fund accounts and maintaining them up-to-date.

(d) and (e) The annual statement of accounts shows the opening balance which is the closing balance for the previous year. No employee has pointed out the omission regarding his last balance in the G. P. Fund account received by him.

तट से दूर तेल की खोज करने के लिये निगम की स्थापना

2075. **श्री पी० के० देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तट से दूर तेल की खोज करने के लिये एक निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ; और

(ख) तट से दूर छिद्रण कार्य में नया निगम किस प्रकार सहायक सिद्ध होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इस समय नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डो-चीन के बारे में जेनेवा सम्मेलन

2076. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस की नवीनतम घटनाओं पर विचार करने के लिये इण्डोचीन-सम्बन्धी जेनेवा सम्मेलन पुनः बुलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या रूस ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) लाओस की सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया था कि उन्होंने जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्ष को लाओस में हुई हाल घटनाओं पर विचार करने के लिये सम्मेलन को पुनः बुलाने का सुझाव दिया है ।

(ख) इस मामले पर दोनों सह-अध्यक्षों ने भारत सरकार से अभी तक सम्पर्क स्थापित नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्रों का निर्माण करने के लिये धन का नियतन

2077. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्रों के निर्माण के लिये सरकार ने कुल कितनी राशि मंजूर की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : 1971-72 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को अनन्तिम रूप से 100.00 लाख रुपये नियत किये गये हैं ।

बंगला देश के बारे में समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधीवादी संस्थाओं के प्रतिनिधि-मंडलों का संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व की राजधानियों में जाना

2078. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की गांधीवादी संस्थाओं का विचार, बंगला देश के बारे में समर्थन प्राप्त

करने के उद्देश्य से एक प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त-राष्ट्रसंघ और विश्व की अन्य राजधानियों में भेजने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के श्री जय प्रकाश नारायण न्यूयार्क समेत विश्व की बहुत-सी राजधानियों और नगरों का दौरा करने के लिये 16 मई, 1971 को भारत से गये थे और आशा है कि जून के अन्त तक वापस आ जाएंगे। सम्भव है कि वह न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के नेताओं और संगठनों से भेंट करें।

(ख) जी हां, हमारे मिशनों द्वारा भ्रमणकारी भारतीय महानुभावों को दी जानेवाली सामान्य मदद और शिष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से।

ग्रामीण क्षेत्रों में वैद्यों की कमी

2079. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या कितनी है और क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में वैद्यों की कमी है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Exploration of Oil in Madhya Pradesh

2080. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether various experts on the basis of various survey reports have expressed the opinion that the possibilities of locating oil in Madhya Pradesh should be explored.;

(b) if so, the schemes undertaken by Government in this regard ;

(c) the results of the initial explorations where these have been started ; and

(d) the schemes proposed to be undertaken for locating oil in other prospective areas ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) In such of the other regions, as are considered prospective, the steps regarding exploration work include geological, gravity, magnetic and seismic surveys. Where the results of any of the aforesaid surveys give indications of the presence of favourable structural conditions, exploratory drilling operations would be undertaken.

Opening of Sainik School in Madhya Pradesh

2081. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the Government have received any representation from the Government of Madhya Pradesh for setting up Sainik Schools in the State ;

(b) if so, the action taken thereon ; and

(c) the number of such schools proposed to be set up by Government during the current year ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There is already a Sainik School at Rewa in Madhya Pradesh since July 1962. No representation has been received from the Madhya Pradesh Government for setting up any additional Sainik School in that State.

(b) and (c) Do not arise.

रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सैनिक समाचार में काम करने वाले अधिसंख्यक अनुवादक

2082. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "सैनिक समाचार" में काम करने वाले अधिसंख्यक अनुवादकों के बारे में 2 सितम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5083 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय 'सैनिक समाचार' में नियुक्त अधिसंख्यक अनुवादकों के भविष्य में पदोन्नति के अवसर क्या हैं ; और

(ख) क्या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अधिसंख्यक अनुवादकों को अपनी नियुक्तियों पर ही रहना है ।

(ख) अधिसंख्यक अनुवादकों के भविष्य को सुधारने की संभावनाओं का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

बंगला देश के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये विदेशों में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि

\+

2083. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : **श्री बी० के० दासचौधरी** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के मामले में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये विदेश सचिव को ईरान भेजा था ;

(ख) क्या मध्य पूर्व तथा यूरोपीय देशों को भी इस प्रकार के भारतीय प्रतिनिधि भेजे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के दौरों के क्या परिणाम निकले हैं और क्या किसी मुस्लिम देश ने भारत के दृष्टिकोण की सराहना की है और बंगला देश के स्वतंत्रता संग्रामियों की सहायता देने का आश्वासन दिया है ।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश सचिव ने ईरान की यात्रा की, जहां पर उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों तथा बंगला देश के प्रश्न पर आपसी विचार विनिमय किया । अन्य देशों में भी प्रतिनिधि गये हैं ।

(ग) इन यात्राओं तथा सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों के फलस्वरूप, सरकार को इस बात पर विश्वास करने का औचित्य है कि विश्व की राजधानियों में भारत के रवैये तथा पूर्व बंगाल

की घटनाओं को, भली प्रकार समझा जा रहा है। संयुक्त अरब गणराज्य और ईरान जैसे कुछ इस्लामी देशों ने पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों के लिये दवाइयों के रूप में सहायता देने की घोषणा की है।

दिल्ली में मैसर्स नियामतुल्ला और परमजीत सिंह को उत्खनन कार्य (रेत) का आबंटन

2084. **श्री अचल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली में गत 12 वर्षों से केवल मैसर्स नियामतुल्ला और परमजीत सिंह को उत्खनन कार्य (रेत) बिना निलामी के आबंटन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आबंटन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली में उत्खनन (रेत) के चार स्थान हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन चार स्थानों में से कितने खुले हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) उत्खनन के अधिकारी का नीलाम 26 मई, 1965 को मदनपुर खादर की ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था। सर्वश्री परमजीत सिंह नियामतुल्ला को उनकी अधिकतम बोली के कारण 34,200/-रुपये की पट्टे की वार्षिक राशि पर पांच वर्ष के लिये पट्टा दिया गया था।

(ग) और (घ) 1967 तक चार स्थान थे किन्तु अब केवल तीन स्थान हैं। तथापि उत्खनन कार्य इन तीन स्थानों में से केवल एक पर ही किया जा रहा है।

देश में लूप लगवाने वाली स्त्रियों की संख्या में कमी

2085. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 'लिप्पीज लूप' का प्रयोग कम होता जा रहा है और लूप लगवाने वाली स्त्रियों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ख) क्या बन्ध्यकरण कराने की लागत 120 से बढ़कर 170 रुपये हो गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) यह सही है कि लूप पहनने वाली महिलाओं की संख्या में गिरावट आई थी। इस गिरावट के रुख पर काबू पा लिया गया है जैसा कि निम्नलिखित ब्यौरे से स्पष्ट है :—

वर्ष	लप पहनने वाली महिलाओं की संख्या
1965-66	812,713
1966-67	909,726
1967-68	668,979
1968-69	478,781
1969-70	458,726
1970-71	458,185 (अपूर्ण)

(ख) और (ग) सरकार नहीं जानती कि प्रत्येक नसबन्दी पर 120 रुपये और 170 रुपये की लागत का हिसाब किस तरह से लगाया गया है। फिर भी 1968-69 और 1969-70 के व्यय के आंकड़ों के आधार पर नसबन्दी की औसतन लागत वर्ष 1968-69 में 125.08 रुपये और 1969-70 में 176.03 रुपये बैठती है।

बंगला देश से घायल लोगों के भारी संख्या में आ जाने के कारण जी० बी०अस्पताल, अगरतल्ला के कर्मचारियों पर काम का अधिक भार

2086. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये बहुत से घायल व्यक्तियों को जी० बी० अस्पताल, अगरतल्ला में भेजा जाता है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सफाई कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण उन पर भारी कार्यभार को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) शल्य चिकित्सकों की बताई गई कमी को पूरा करने के लिये 12 शल्य चिकित्सकों तथा विसंज्ञा शास्त्रियों का एक दल त्रिपुरा भेजा गया था। इस दल ने अगरतल्ला में 15 दिन के दौरान रुके हुये काम को पूरा कर दिया तथा जिन रोगियों का उपचार किया जा रहा है उनके लिये 3 विशेषज्ञ यानी 1 विकलांग शल्य चिकित्सक तथा 2 विसंज्ञा शास्त्री, को वहीं छोड़कर 6, 7 और 8 जून 1971 को तीन बैचों में दिल्ली वापस आ गया। अन्य कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय तौर पर की जा रही है।

डेरा इस्माइल खां, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली के नक्शे

2087. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डेरा इस्माइल खां हाउस बिल्डिंग सोसायटी के नक्शों को हाल ही में मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो (एक) रिहायशी/वाणिज्यिक प्लाटों की संख्या तथा उनका आकार क्या है; (दो) पूर्ण स्वामित्व पट्टे पर दिये जाने वाले रिहायशी/वाणिज्यिक प्लाटों की संख्या कितनी है ; (तीन) सोसायटी के सदस्यों को रिहायशी/वाणिज्यिक और पूर्ण स्वामित्व पट्टे पर प्लाटों का आबंटन किस कसौटी के आधार पर किया गया है ;

(ग) क्या सोसायटी के सब सदस्यों को प्लाटों का आबंटन किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बाकी लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) ले-आउट प्लान में 626 रिहायशी प्लाटों की व्यवस्था की गई है । इनमें से 133.30 वर्ग गज के आकार के 285 प्लाट तथा 268.2 वर्ग गज के आकार के 341 प्लाट हैं । ले-आउट प्लान में व्यापारिक प्लाटों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । तथापि, सुविधाजनक शापिंग के लिये 0.32 एकड़ क्षेत्र की व्यवस्था की गई है ।

(ख) (ii) सोसाइटी द्वारा तैयार किये गये ले-आउट प्लान में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) (iii), (ग) तथा (घ) अपने सदस्यों में उपलब्ध भूमि के वितरण के लिये, उसके सदस्यों द्वारा स्वीकार्य न्यायसंगत सिद्धान्त बनाने का कार्य समिति का है । सोसाइटी ने अपने 1080 सदस्यों के विपरीत 626 रिहायशी प्लाट काटे हैं तथा दिल्ली प्रशासन से अतिरिक्त भूमि के आबंटन के लिये अनुरोध किया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डेरा इस्माइल खां हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को आबंटित की गई भूमि का विकास

2088. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटियों को आबंटित की गई भूमि पर विकास कार्य करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या नीति है ;

(ख) क्या डेरा इस्माइल खां हाउस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली ने उसको आबंटित की गई भूमि पर विकास कार्य करने के लिये, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है;

(ग) क्या सरकार ने कोई तिथियां निर्धारित की हैं जिन तिथियों तक भूमि का विकास कर लेना चाहिये और शेयर होल्डरों को प्लाट सौंप देने चाहियें ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली में सहकारी आवास निर्माण समितियों को आबंटित भूमि के विकास के कार्य को दिल्ली विकास प्राधिकरण नहीं करता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विकास कार्य पूरा करने तथा समिति के शेयर-होल्डरों को प्लाटों के देने की निश्चित तिथि निर्धारित करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है ।

सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में सिर में चोट लगने के मामले

2089. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 और 1970 में सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में सिर में चोट लगने के कितने मामलों में उपचार किया गया;

(ख) उनमें से कितने मामलों में रोगियों की मृत्यु हुई; और

(ग) क्या उक्त मामलों का निदान और उपचार करने के लिये अस्पताल में सब प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस प्रकार के मामलों के निदान तथा उपचार के लिये सभी प्रकार की बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं। फिर भी, इन सुविधाओं में आगे और सुधार करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

सफदरजंग अस्पताल में सिर की चोट लगने के जिन रोगियों का उपचार किया गया उनकी संख्या दर्शाते हुए विवरण।

वर्ष	सिर की चोट वाले जिन रोगियों का उपचार किया गया उनकी संख्या	मृत मामलों की संख्या	चोट लगे मामलों में मृतकों की प्रतिशतता
1968	787	83	10.54
1969	779	82	10.53
1970	791	90	11.3

स्वास्थ्य पर दही का प्रभाव

2090. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि दही का प्रयोग मनुष्य तथा पशु दोनों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है;

(ख) क्या इस बारे में भारत में भी कोई अनुसन्धान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एक अधिकारी को शान्ति क्षेत्र में रखने की अवधि

2091. **श्री फतहसिंह गायकवाड़** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अधिकारी को नियमों के अन्तर्गत शान्ति क्षेत्र में विशेष पद पर अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रखा जा सकता है;

(ख) नेशनल डिफेंस कालेज, दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या और नाम क्या हैं जिनके मामलों में समय से अधिक ठहरने की अवधि 7 वर्ष से अधिक है; और

(ग) कनिष्ठ अधिकारियों की उपेक्षा कर इनके मामलों में नियमों में ढील देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेना के अफसर का शांति क्षेत्र में सामान्य कार्यकाल की अवधि 2 से 3 वर्षों के मध्य होती है। कुछ मामलों में सेवा की आवश्यकताओं, उदाहरणार्थ तकनीकी/विशेष जानकारी के कारण अफसर को शांति क्षेत्र में कुछ अधिक अवधि के लिए भी रखा जा सकता है।

(ख) और (ग) कर्नल प्यारालाल ही एक ऐसे अफसर हैं जो कि नेशनल डिफेंस कालेज में 7 वर्षों से अधिक काल तक रहे। कर्नल प्यारालाल 18--8--1966 को सेवा से निवृत्त हुए, परन्तु उनके विशेष ज्ञान एवं अनुभव के कारण उनकी पुनः नियुक्ति कर ली गई है।

राजस्थान के जयपुर डिवीजन और बिहार के तिरहुत डिवीजन में इंडेन गैस के वितरक

2092. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जयपुर प्रभाग में और बिहार के तिरहुत प्रभाग में इंडेन गैस के वितरकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में इन दो प्रभागों में वितरक बनाने और उनके चुनाव हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे; यदि हां, तो विशिष्ट स्थानों के लिये जिन नामों की सिफारिश की गई और जो चुने गये उनकी सूची क्या है; और

(ग) क्या दरभंगा में भी इन्डेन की एजेंसी स्थापित की जा रही है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) राजस्थान के जयपुर प्रभाग और बिहार के तिरहुत प्रभाग में इंडेन के वितरकों की संख्या क्रमशः तीन एवं एक है।

(ख) पिछले दो वर्षों की अवधि में जयपुर प्रभाग के लिए वितरकों की नियुक्ति हेतु, कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये थे। तथापि मुजफ्फरपुर (बिहार) में वितरकों की नियुक्ति के लिए बेरोजगार इन्जीनियर/स्नातकों से आवेदन पत्र मांगे गये थे किन्तु कोई भी आवेदक सुयोग्य न पाये जाने के कारण यह वितरक पद भूतपूर्व सेना कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया।

(ग) दरभंगा में, जहां एक वितरक की नियुक्ति को पहले से ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है, इन्डेन की बिक्री शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी।

न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

2093. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री न्यू मोतीबाग, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में 18 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बूस्टर पम्प" देने का कार्य इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप गत वर्षों की तुलना में पानी की सप्लाई में कोई वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Auditing of Accounts of Adarsh Netra Hospital, New Delhi

2094. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5284 on the 6th April, 1970 regarding auditing of accounts of Adarsh Netra Hospital, New Delhi and state:

(a) whether Government take a serious view of the audit objections mentioned in the reply to the aforesaid question;

(b) if so, the action taken by Government after the receipt of the audit report ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) The Delhi Administration who are concerned with the grants in question have been requested to supply information on these points. The information will be laid on the Table of the Lok Sabha.

बटाला बाजार, अगरतल्ला में म्यूनिसिपल मार्किट के निर्माण के लिये निधि

2095. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने बटाला बाजार, अगरतल्ला में म्यूनिसिपल मार्किट का निर्माण करने के लिये धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोबिन्द बल्लभ अस्पताल, अगरतल्ला के कर्मचारियों की मांगें

2096. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोविन्द बल्लभ अस्पताल, अगरतल्ला, त्रिपुरा के कर्मचारियों द्वारा असन्तोषजनक परिस्थितियों में काम करने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या नर्सों के संघ ने त्रिपुरा सरकार को एक ज्ञापन दिया है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाओं के लिये वृहद् योजना

2097. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सेवाओं की व्यवस्था के लिये 31 करोड़ रुपये की एक वृहद् योजना बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इंजीनियरिंग की अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को सेना में कमीशन

2098. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में सेना में इंजीनियरिंग की अर्हता (डिग्री और डिप्लोमा) प्राप्त कुल कितने उम्मीदवार कमीशन के लिये आये और सब केन्द्रों से कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : कुल 19,245 डिग्री-प्राप्त व्यक्ति सेना में कमीशन के लिए उम्मीदवार के रूप में 1968, 1969 और 1970 में आए और उनमें से 1,140 उम्मीदवारों का चयन किया गया। डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मेरठ कैन्ट में सेवा में कमीशन के लिये एक चयन केन्द्र

2099. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ कैन्ट में सेना में कमीशन के लिये एक चयन केन्द्र था, जिसे बन्द कर दिया गया है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : एक चयन केन्द्र मेरठ में था। इसे बन्द नहीं किया गया है वरन् इसका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों के लिए रुरकी कर दिया गया है।

तमिलनाडु में राजसहायता प्राप्त बागान श्रम आवास योजना के लिये धन का नियतन

2100. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में राजसहायता प्राप्त बागान श्रम आवास योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) अन्य राज्यों को कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या तमिलनाडु को दी गई राशि अपर्याप्त है ; और

(घ) तमिलनाडु को इस योजना के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ) चौथी योजना में, असम, केरल, मैसूर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों तथा त्रिपुरा की संघ क्षेत्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही, बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास

योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। बागान कर्मचारियों के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये जाने वाले मकानों की आवश्यकताओं तथा राज्यों के उपयोग में लाने की समर्थता आदि का ध्यान रखते हुए राज्य सरकारों को वर्षवार नियतन किये जाते हैं।

तमिलनाडु सरकार ने 1970-71 के वर्ष के लिये केवल 50,000 रु० के नियतन के लिये कहा था, जो कि उन्हें उपलब्ध कर दिया गया।

1970-71 के वर्ष के दौरान अन्य राज्यों को किये गये नियतन तथा उन द्वारा ली गई राशि निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपयों में)

			केन्द्रीय सहायता	
			नियत की गई	ली गई
1-	असम	–	30.30	30.30
2-	केरल	–	अपेक्षित नहीं	
3-	मैसूर	–	5.00	5.00
4-	पश्चिम बंगाल	–	6·00	6.00
5--	त्रिपुरा (संघ क्षेत्र)		0.20	0.20
		जोड़ :-	41.50	41.50

Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Indian Foreign Service

2101. **Shri C. R. Shailani** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Category-wise number of Indian Ambassadors, High Commissioners, Counsellors, First Secretaries and Consul-Generals ;

(b) the percentage of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them ;

(c) whether the said representation is satisfactory ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a)	Ambassadors	**53**
	High Commissioners	**15**
	Counsellors	**22**
	First Secretaries	**140**
	Consul-Generals	**15**

(b) *Category*

	Percentage	
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Ambassadors	NIL	NIL
High Commissioners	6.67	NIL
Counsellors	NIL	NIL
First Secretaries	3.57	2.86
Consul-General	NIL	NIL

(c) The representation is not unsatisfactory though we hope that more persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes will find representation in these posts in the future.

भारतीय सेना में हिमाचल रेजीमेन्ट

2102. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार के अभ्यावेदन पर हिमाचल रेजीमेंट बनाने के संबंध में निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की रेजीमेंट को कब तक बनाया जायेगा ।

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिकों को विभिन्न प्रकार की पेंशनें

2103. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिकों को प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या युद्ध में लड़ते हुए मारे गये सैनिकों या अधिकारियों के निकट सम्बन्धियों को विशेष पेंशन देने की कोई व्यवस्था है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 409/71**]

(ख) जी हां । सैनिक अफसरों/कार्मिकों को जो कि लड़ाई में मारे जाते हैं, उनके परिवार/आश्रितों को विशेष रूप से बढ़ी हुई दरों पर पेन्शनरी एवार्डस दिए जाते हैं । इस विषय में विवरण 'सशस्त्र सेना-कार्मिकों तथा रक्षा स्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर पुस्तक, 1970' में दिए गए हैं । इसकी एक प्रति रक्षा मंत्रालय की 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद् के पुस्तकालय को दी गई थी ।

सेना के जवानों और अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान

2104. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवानों तथा अधिकारियों, जिनमें जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी आदि शामिल हैं, के वर्तमान वेतनमान क्या हैं और उन्हें विभिन्न स्थानों जैसे सामरिक कार्य, सीमा, पर्वत आदि के लिये कितने-कितने अतिरिक्त भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है;

(ख) उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण कब किया गया था ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेना के अफसरों एवं जवानों के वेतन और भत्ते का ब्यौरा "सशस्त्र सेना-कार्मिकों तथा रक्षा स्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर पुस्तक, 1970" नामक पुस्तिका के पृष्ठ 10 से 31 में उल्लेखित है । पुस्तक की प्रतिलिपियां रक्षा मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के साथ गत वर्ष बजट के सत्र के दौरान लोक सभा के प्रत्येक सदस्यों के बीच वितरित की गयी थीं । एक विवरण उसमें सुधार दिखलाते हुए संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 410/71**]

(ख) (1) 1 सितम्बर, 1965 मेजर-जनरल के पद और उससे ऊपर के पदों के लिए ;

(2) 1 जुलाई, 1969 कर्नल पद के अफसरों एवं जेनरल केडर के ब्रिगेडियर पद के अफसरों के लिए ;

(3) 1 अप्रैल, 1960 अन्य सभी सशस्त्र सैनिक अफसरों के लिए ;

(4) 1 जुलाई, 1959 अफसर पद से नीचे के कार्मिकों के लिए :

(ग) जी हां। सरकार वेतन आयोग की नियुक्ति कर चुकी है जिसके विचारार्थ विषयों के सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन के ढांचे का परियोजन भी शामिल है।

आंध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

2105. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ताडेपालीगुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) में गिराये गये हवाई अड्डे पर एक्स सर्विस (रक्षा) पीपल्ज फार्मिंग सोसाइटी को खेती योग्य भूमि देना स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सोसाइटी को कितनी भूमि पट्टे पर दी गई और किन शर्तों पर दी गई ;

(ग) क्या एक्स सर्विस पीपल्ज फार्मिंग सोसाइटी को पट्टे पर दी गई भूमि पर कुछ बड़े किसानों और ताडैपालीगुण्डम नगरपालिका के अध्यक्ष का अनधिकृत अधिकार है ;

(घ) क्या फार्मिङ्ग सोसाइटी के सदस्यों ने इस बारे में सरकार से शिकायत की है और अनुरोध किया है कि अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कराने वाले व्यक्तियों से उस भूमि को मुक्त कराया जाय ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका उस भूमि पर कब से कब्जा है और उसको खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) 6-11-67 को भारत सरकार ने पहले 2 वर्ष की अवधि के लिए एक्स सर्विसमेन कोआपरेटिव सोसायटी, ताडेपालीगुण्डम को ताडेपाली-गुण्डम एयर फील्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र जो कि 681.35 एकड़ है जिसमें 91.875 एकड़ रनवे इत्यादि की भूमि शामिल है पट्टे पर देने के लिए संस्वीकृति दी थी। पट्टे के निष्पादन से काफी पूर्व ही अनेक लोगों ने भूमि का अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण करने वालों में 17 नगरपालिका के सदस्य तथा नगरपालिका अध्यक्ष ताडेपालीगुण्डम शामिल हैं। पट्टा सामान्य शर्तों पर तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार था :—

(क) पट्टाधारी पूरे स्थान का 'उचित किराया' अदा करेंगे जिसमें अतिक्रमण किया हुआ भाग भी शामिल है। उचित किराया मिलिटरी एस्टेट अफसर निश्चित करेंगे।

(ख) अतिक्रमण करने वालों को भूमि पर से हटाने का उत्तरदायित्व पट्टेधारी का होगा तथा इस कारण कोई घटौती या मुआवजा नहीं दिया जायगा, केवल उनके द्वारा पट्टे के प्रथम वर्ष में उस पट्टे के भूभाग का किराया नहीं लिया जायगा जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है।

अक्तूबर 1968 में एक्स सर्विसमेन कोआपरेटिव क्लैक्टिव फार्मिंग सोसायटी ने अभ्यावेदन किया कि वह अतिक्रमणकारियों से बदखल कराने में असमर्थ हैं, अतः भूमि का प्रयोग नहीं कर सकी हैं। सोसायटी के द्वारा अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए राज्य शासन से सहायता प्राप्त करने के सब प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। अतः सोसायटी ने भारत सरकार से अतिक्रमणकारियों को यदि आवश्यक हो तो सोसायटी के व्यय पर हटाने का अनुरोध किया है। मिलिटरी एस्टेट अफसर ने रिपोर्ट दी है कि अतिक्रमणकारी बहुत प्रभावशाली हैं तथा बेदखल करवा पाना बहुत कठिन होगा। तथापि यह निर्णय किया गया कि मिलिटरी एस्टेट अफसर राजकीय परिसर से अतिक्रमण करने वालों को 1958 अधिनियम (अनधिकृत कब्जे से बेदखली) के अन्तर्गत कार्यवाही करें। मई 1969 में मिलिटरी एस्टेट अफसर को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए थे। उसी समय आंध्र प्रदेश सरकार से जिला प्राधिकारियों को अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने में मिलिटरी एस्टेट अफसर को हर संभव सहायता देने के लिए अनुरोध किया गया था।

अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर पाना संभव नहीं हो सका है क्योंकि उनमें से अनेकों ने बेदखली के विरुद्ध उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में रिट याचिका दायर कर दी है। अतः मामला न्यायाधीन है।

एच० एफ०-24 सुपरसोनिक विमान के लिए इंजन का विकास

2106. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एफ०-२४ सुपरसोनिक विमान के लिये इस बीच किसी इंजन का विकास किया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त इंजन का विकास कब किया जायेगा ;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(घ) इस परियोजना में सहयोग देने वाले देश का नाम क्या है और क्या इस परियोजना को आरम्भ करने के पहले सहयोग कर्ता देश की क्षमता का पता लगा लिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के असफल होने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एच० एफ० 24 यान अभी आरफ्यूज-703 इन्जिनों से चलित होता है और इन इन्जिनों का निर्माण लाइसेंस के अन्तर्गत होता है। इस इंन्जिन की शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से गैस टरवाइन एसटैब-लिशमेन्ट से रीहीट सिसटम का विकास किया गया है। परन्तु इस इन्जिन के साथ एच एफ-24 यान के पुरःस्थापन के विषय में निर्णय लेना अभी बाकी है।

(ग) यह सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) इ सप्रोजेक्ट में विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

'सुपरसोनिक' गति वाले भारताय विमानों का निर्माण

2107. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सुपरसोनिक गति वाले और आधुनिक युद्ध की क्षमता वाले भारतीय विमानों का डिजाइन तैयार करने और निर्माण करने संबंधी योजना की मुख्य वातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : भारतीय वायु सेना की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड विकसित वायुयानों के डिजाइन का अध्ययन कर रही है। और अधिक सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने का प्रस्ताव

2108. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे।

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के बारे में त्रिपुरा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

किसानों की सारी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर न खरीदा जाना

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं **कृषि** मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में किसानों की सारी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर न खरीदे जाने, खरीदी गई सारी उपज के न उठाये जाने और उसका विक्रय मूल्य किसानों को अदा न किये जाने का कथित समाचार"।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) : खेतिहर अपनी पैदावार का कुछ भाग खपत. बीज आदि जैसी अपनी जरूरतों के लिए आम तौर पर रख लेते हैं। इसके अतिरिक्त, खेतिहर सरकार को अपनी पैदावार बेचने के लिये बाध्य नहीं होता है। यदि उसे सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति मूल्य से अधिक मूल्य मिल सकता है तो वह उसे खुले बाजार में बेचने के लिये स्वतन्त्र है। अधिप्राप्ति मूल्य पर भी सरकार को बेचने के लिये बाध्य नहीं है लेकिन वह चाहे तो व्यापारी को बेच सकता है। सरकार इस बात के लिये वचनबद्ध है कि खेतिहर द्वारा बिक्री के लिये दिया गया सारा अनाज यदि विहित निर्दिष्टियों के अन्तर्गत आता है तो वह उसे अधिप्राप्ति मूल्य पर खरीद लेगी। इसलिये किसानों की सारी पैदावार खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय खाद्य निगम और अन्य अधिप्राप्ति एजेंसियां विहित निर्दिष्टियों में आने वाले किसानों के सारे अनाज को सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति मूल्य पर तुरन्त ही खरीदती रही हैं। चालू रबी मौसम के दौरान लगभग 8 जून तक 33 लाख मी० टन गेहूं खरीदा जा चुका है जबकि 1970-71 और 1969-70 की उन्हीं अवधियों में क्रमशः 18 लाख और 17.5 लाख मी० टन गेहूं खरीदा गया था। अब तक की गई अधिप्राप्ति गत वर्ष के दौरान की गई कुल अधिप्राप्ति से पहले ही अधिक है। इतनी अधिक अधिप्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि सरकार उत्पादक को घोषित अधिप्राप्ति मूल्य स्तर पर साहाय्य मूल्य प्रदान कर कुल मिला कर अपने वायदे को निभा रही है।

2. जैसाकि सदन को मालूम ही है, अप्रैल और मई के महीनों के दौरान बेमौसमी वर्षा होने से खलिहानों में रखे गेहूं को क्षति पहुंची है। उत्पादकों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने गेहूं की अधिप्राप्ति सम्बन्धी निर्दिष्टियों में ढील दे दी है और अधिप्राप्ति एजेंसियां ढील दी गई निर्दिष्टियों के अन्तर्गत आने वाले क्षतिग्रस्त गेहूं को खरीद रही हैं।

3. क्योंकि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा मंडियों में आमद लगभग दुगुनी हुई है और अधि-प्राप्ति भी 14 लाख मी० टन अधिक की गई है, इसलिये इससे भण्डारण और संचलन की समस्याएं पैदा हो गई हैं। पूर्वी क्षेत्र में जहां भारी संख्या में शरणार्थियों के आने से स्थिति विषम हो गयी है वहां अनाज भेजने की कठिनाइयों के कारण संचलन सम्बन्धी समस्या और भी गम्भीर बन गई है। तथापि, यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में रेल द्वारा अनाज भेजने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। सड़क से भी अधिक से अधिक संचलन किया जाता है। जिन राज्यों में अधिप्राप्ति की गई है वहां गोदामों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कर और यथासम्भव अधिक से अधिक गोदाम किराये पर लेकर भण्डारण क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि शेष अनाज का भण्डारण किया जा सके।

4. अधिप्राप्ति अनाज की किस्म के अनुसार समूचे अधिप्राप्ति मूल्य की तुरन्त अदायगी करने के लिये भी प्रबन्ध किये गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर, कुल मिला कर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की विपणन प्रणाली में दो प्रकार के एजेन्ट कार्य करते हैं। कच्चा आढ़तिया किसानों से सीधे खरीदारी करता है और पक्का आढ़तिया जोकि थोक एजेंसी का प्रतिनिधित्व करता है, कच्चा आढ़तिया से अनाज खरीदता है। एक ही समय में दो बिचौलियों के होने से कदाचार को बढ़ावा मिलता है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार ने यथासंभव अधिक से अधिक ऐसे कदाचारों को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध मजबूत किये हैं। इन प्रबन्धों में सहकारी समितियों द्वारा अधिप्राप्ति करना और उत्पादकों से सीधी खरीदारी का क्षेत्र बढ़ाना जैसे प्रबन्ध शामिल हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में राज्य सरकार से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे राज्य में विपणन प्रणाली को सुधारने के लिये उपाय शुरू करें।

5. किसानों को मूल्य साहाय्य देने के लिये भारी अधिप्राप्ति करने का कार्य चल रहा है। सरकार अनाज की अधिप्राप्ति, सम्भालने और उसे इधर-उधर भेजने की समस्याओं पर बराबर निगरानी रखे हुये है और इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है कि किसानों को घोषित अधि-प्राप्ति मूल्य का पूरा-पूरा लाभ मिलता रहे।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या यह सच नहीं कि सरकार ने कई स्थानों पर पर्याप्त एजेन्ट नियुक्त नहीं किये और खरीद के पश्चात् किसानों को समय पर मूल्य अदा नहीं किया जाता ? क्या यह भी सच नहीं कि किसानों को निर्धारित मूल्य से कम मूल्य दिया जाता है ? सरकार किसानों की इन कठिनाइयों को दूर करे, जिससे कि किसानों को पूरा पैसा समय पर मिल सके।

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : उत्तर प्रदेश सम्बन्धी शिकायतों में कुछ सच्चाई है। परन्तु अधिकतर खरीद पंजाब और हरियाणा से की जाती है। उत्तर प्रदेश में उपज की खरीद के बारे में प्रक्रिया में दोष होने के कारण सरकार ने परीक्षण के तौर पर किसानों से सीधी खरीद प्रारंभ की है। खरीद प्रक्रिया के दोषों को दूर करने के लिये अनाज मण्डियों के ढांचे में भी परिवर्तन किया

जा रहा है। मण्डियों में लोकप्रिय समितियों की स्थापना की जा रही है और जिलाधीशों को पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। किसी भी झगड़े की अवस्था में जिलाधीश का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा।

Shri R. C. Vikal (Bhaghpat): The statement made by the hon. Minister is not satisfactory. There are certain villages in Saharanpur and Muzaffarpur districts where neither procurement price has been fixed nor any procurement is being made. There are many other complaints regarding non-payment of fixed price, charging of commission at the rate of 2½ kg. per quintal, issuing of bogus cheques by agents of Food Corporation, etc. Payments are not made to farmers in time. Shri Shinde had gone to Bulandshahr and witnessed all these things himself, but still no action has been taken, as a result of which discontentment is prevailing amongst farmers which should be removed. Government is committed to purchase the whole produce but no responsibility has been entrusted to State Governments in this regard. Govt. should take effective measures to check all these things.

Mr. Speaker: You have not asked any question. I would like to point out that there is a prescribed rule with regard to Calling attention notice. It details that there should merely be a question from the sponsorer of the item. But it should not turn into a debate.

Shri R C. Vikal: I would like the Government to remove the complaints mentioned by me.

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : किसानों के हितों के प्रति सरकार भी जागरूक है। जाली चैक के संबन्ध में जांच का आदेश दे दिया गया है। इस वर्ष मण्डियों में खाद्यान्नों की आमद पिछले वर्ष से लगभग दोगुनी हुई है। यदि खाद्य निगम द्वारा अधिक मात्रा में न खरीद की जाती तो किसानों के हितों की बहुत अधिक हानि हुई होती। कुछ शिकायतें हो सकती हैं, परन्तु हम उनकी जांच करेंगे। मण्डियों में खरीद की पद्धति को भी सुधारने के हम प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena): Food grains brought to the Mandis are checked by Inspectors of Food Corporation and in this process 70—75 per cent goods are rejected by them. Then these rejected goods are purchased from farmers by Traders at cheaper rates. These traders in collusion with the Agents dispose of these purchases at higher rates and profits are shared by Trader and Agents. Is Government aware of this and what steps have been taken to check it?

Food grains have been procured at the rate of Rs. 54/- per quintal in Vidisha district of Madhya Pradesh. Even this money was not paid in time and farmers had to 'Gherao' the collector for the money. Is Government aware that food grains were procured at less price?

Co-operative Banks and Societies have loaned a sum of Rs. 3 crores to farmers. They are demanding repayment. But farmers are not able to dispose of their produce. Govt. should procure the produce so that they can repay their loans.

Different methods have been adopted to exploit farmers. Govt. should take effective steps to check these.

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : प्राकृतिक आपदाओं के लिये सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। जहां तक किसानों के हितों की बात है सरकार उनके लिये जागरूक है। विदिशा में कम मूल्य पर गेहूं खरीदे जाने संबंधी शिकायत पर मध्य प्रदेश को जांच करने के लिये कहा जायेगा।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : माननीय मन्त्री का वक्तव्य भ्रामक है। जहां तक खाद्यान्न की वसूली की बात है भारतीय खाद्य निगम को, जो कि सरकारी उपक्रम है, इस सम्बन्ध

में एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार की स्थिति में किसी भी संस्था में जो बुराइयां व्याप्त हो जाती हैं वह इस संस्था में भी हैं। प्रतिदिन इसके पक्षपात, भ्रष्टाचार, अनियमित अदायगियां, मिल मालिकों, क्रय-एजेन्टों और किसानों को तंग करने आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। एक जिले में वसूली मूल्य कुछ है तो उसके साथ के राज्य के पड़ौस के जिले में उसी के समान किस्म के खाद्यान्न का मूल्य कुछ और नियत है। इन सब दोषों का कारण खाद्य-जोन आदि नीतियां हैं। देश में खाद्यान्नों के वर्तमान उत्पादन स्तर को देखते हुए इन खाद्य-जोनों, नियन्त्रणों आदि को समाप्त किया जाना चाहिये और खुले व्यापार को छूट दी जानी चाहिये।

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा कही गई कुछ बातें, विशेष रूप से खुले व्यापार की बात गलत है। इस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से कितनी ही मात्रा में गेहूं का क्रय कर सकता है। राशन के अन्तर्गत आने वाले कलकत्ता तथा हावड़ा के क्षेत्रों को छोड़कर गेहूं और मोटे अनाज कहीं भी ले जाये जा सकते हैं। यह तो किसानों के हित की बात है कि हम उसके उत्पाद निर्धारित मूल्य पर खरीदते हैं। धान के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं। उन पर भी समय-समय पर विचार किया जाता है। सितम्बर में हम स्थिति का फिर से पुनरीक्षण करेंगे।

पंजाब विधान सभा के विघटन के बारे में

Re. Dissolution of Punjab Assembly

अध्यक्ष महोदय : पंजाब विधान सभा को भंग किये जाने के बारे में मुझे कुछ सदस्यों ने नियम 377 के अधीन एक प्रस्ताव दिया है। मैंने उसे मद संख्या 7 (अ) के रूप में रखा है व उचित समय पर हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Such matters are not discussed under rule 377. If you give permission for a discussion under rule 377, opportunity should be given to others also to participate in the discussion.

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : इसे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिये स्वीकार किया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee We are not against taking it under rule 377. But we should also be given an opportunity to express our views.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह एक ऐसा विषय है जिस पर सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये। नियम 377 के अधीन केवल वह प्रश्न उठाये जा सकते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न न हों।

अध्यक्ष महोदय : उचित यह होगा कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा करते समय हम इस मामले पर चर्चा करें। हां, संक्षिप्त टिप्पणियां करने की अनुमति दी जा सकती है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृहमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : प्रतिवेदन हमें अभी-अभी प्राप्त हुआ है और हम उसका अध्ययन नहीं कर पाये हैं। अतः मैं यह नहीं समझती कि इस मामले पर इस समय चर्चा करना ठीक होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में प्रतिवेदन अभी-अभी प्राप्त हुआ है, अतः इस मामले को आज नहीं उठाया जायेगा।

बंगला देश से आये शरणार्थियों को राहत

Re : Relief Consignments for Evacuees from Bangla Desh

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिन पूर्व डा० रानेन सेन ने डमडम हवाई अड्डे पर पड़ी राहत सामग्री को उठाने के बारे में पूछा था और मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर देते हुये बताया था कि राहत सामग्री उठा ली गई है। मैंने माननीय सदस्य को कहा था कि वह किसी अन्य दिन प्रश्न पूछ सकते हैं। अब डा० रानेन सेन कृपया प्रश्न पूछें।

डा० रानेन सेन (बारसाह) : कुछ दिन पूर्व श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया था कि डमडम हवाई अड्डे पर पड़ी सारी राहत सामग्री उठा ली गई है। अगले ही दिन कलकत्ता दैनिक 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' ने इस वक्तव्य का खंडन किया था। 'अमृत बाजार पत्रिका' और दिल्ली के 'स्टेट्समैन' में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि ब्रिटिश राहत एजेन्सी-ऑक्सफेम ने अपने लंदन स्थित कार्यालय को तार द्वारा सूचित किया था कि वह और राहत सामग्री न भेजे क्योंकि पहले भेजी गई सामग्री ज्यों की त्यों ही पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्तिम स्थिति क्या है और हवाई अड्डे से सामान उठाने और शरणार्थियों के शिविरों में वितरित करने का काम किस एजेन्सी के हाथ में है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शरणार्थियों को अन्य राज्यों में भेजने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एयर इण्डिया के चेयरमैन ने एक वक्तव्य जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी राजकोष को 8.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मैंने इस सम्बन्ध में एक नोटिस दिया था (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpavee (Gwalior): I have submitted an adjournment motion regarding the failure of the Government to check the prices of the commodities on which tax was not imposed:

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं कल वहीं पर था। नार्वे से आई सूखी मछलियों और कुछ औषधि-सामग्री सीमा-शुल्क कारणों से वहां पड़ी है। इसके अतिरिक्त सारी सामग्री उठा ली गई है (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना समारोह सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1971

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 193 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी—395/71]

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़, तथा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडोगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत **चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी—396/71]

(2) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी— 397/71]

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969--70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी—398/71]

(2) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969--70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी—398/71]

साबुन के मूल्यों के बारे में वक्तव्य

Statement Re : Prices of soaps

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, 10 जून को मैंने सामान्य बजट पर की जा रही चर्चा के दौरान बताया था कि लक्स, रेक्सोना और लाइफब्वाय साबुनों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है । पर मुझे खेद है कि जिस सूचना के आधार पर मैंने वक्तव्य दिया था, वह सही नहीं थी । अब मुझे पता चला है कि तीनों प्रकार के साबुनों का मूल्य प्रति साबुन 2 पैसे (स्थानीय कर रहित) बढ़ा दिया गया है । आज ही मुझे जानकारी मिली है कि उत्पादकों ने लाइफब्वाय पर बढ़ाए गए मूल्य को वापिस ले लिया है । अब उसकी कीमत वही रहेगी जो बजट पेश करने से पूर्व थी ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि कपड़े धोने के साबुन के मूल्य नहीं बढ़ाए गए । लेकिन यह सच नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कपड़े धोने के साबुन पर कर नहीं लगाया गया है। यदि खुदरा व्यापारियों ने इस साबुन के मूल्य बढ़ा दिए हैं, तो इस मामले की जांच की जाएगी। मैं इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकता।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के निदेशक बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनियों की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

Statement Re: Appointment of Representatives of workers on the Board of Directors of Hindustan Steel Limited.

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : इस्पात के उत्पादन में कमी सरकार तथा इस सदन के लिए बड़ा चिन्ता का विषय रहा है। जैसा कि सदन को मालूम है उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। जिन कारणों से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है उनमें एक कारण यह है कि हिंदुस्तान स्टील लि० के कई एककों में मालिक मजदूर सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं रहे हैं।

(2) इस संदर्भ में यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हाल में इस्पात उद्योग—संयुक्त वेतन वार्ता समिति ने द्विपक्षीय बातचीत द्वारा मजदूरी के बारे में किये गये समझौते से न केवल 1 सितम्बर 1970 से 4 वर्ष के लिए मजदूरी का प्रश्न हल कर लिया है बल्कि और भी कई सम्बन्धित मामलों पर समझौता हो गया है। यह समिति एक प्रतिनिधि-युक्त संगठन है जिसमें मालिकों की ओर से इस्पात के चार मुख्य उत्पादकों (हिन्दुस्तान स्टील लि०, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० और मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०) के चार प्रतिनिधि हैं और मजदूर पक्ष के 15 प्रतिनिधि है—केन्द्रीय मजदूर संघों अर्थात् इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा के तीन-तीन प्रतिनिधि तथा जमशेदपुर, बर्नपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और भद्रावती की मान्यता प्राप्त यूनियनों का एक-एक प्रतिनिधि है।

(3) इस समिति ने अपना कार्य जारी रखने का निश्चय किया है ताकि यह इस बात की देखभाल कर सके तथा यह सुनिश्चित कर सके कि इस समझौते का सद्भावना से पालन किया जाय तथा मालिक-मजदूर सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहें तथा उत्पादिता बढ़ाने के लिए हर कोशिश की जाय। मैंने इस समिति से वार्ता की है तथा विचार-विनियम करते समय उनकी सद्भाव तथा सहयोग की भावना को देखकर में प्रभावित हुआ हूं। मैंने समिति से अपना दायित्व, विशेषत: उत्पादन में वृद्धि करने का अत्यावश्यक दायित्व संभालने का निवेदन किया है। परिणामस्वरूप इस समिति का नाम बदल कर इस्पात उद्योग संयुक्त वार्ता समिति रखा गया है।

(4) इस पृष्ठभूमि में तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धक वर्ग और मजदूरों में आपसी सम्बन्धों को और अच्छा बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस समिति में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के सम्मुख हिन्दुस्तान स्टील लि० के निदेशक मण्डल में मजदूरों के दो प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। मजदूरों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने के लिए अपने सुझाव भेजने का वचन दिया है।

(5) सरकार आशा करती है कि इस कदम से हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में उत्पादन बढ़ाने हेतु मजदूरों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी और इस

प्रकार यह कदम हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने तथा हमारी योजनाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा ।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

Personal Explanation by Member

राजमाता विजय राजे सिंधिया (भिड) : 23 मार्च, 1971 को ध्यानाकर्षण सूचना पर हो रही चर्चा के दौरान श्री एस० एम० बनर्जी ने कहा था कि मुरैना में राजमाता ग्वालियर द्वारा गांव जलाए गए । माननीय सदस्य की यह बात गलत और दुर्भावनापूर्ण है और साथ ही मेरी जन सेवा पर कलंक है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारे सम्मान और सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा राजमाता से कोई विरोध नहीं है । वह मेरी बहन तुल्य हैं ।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : माननीय सदस्य को क्षमा याचना करने पर ही बोलने की अनुमति दी जाए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : नियम 357 में कहा गया है :—

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो; किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा ।"

इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आगे चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का शासी निकाय

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:—"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों, विनियमों और उप-विधियों के नियम 20 (16) और (17) और 24 (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति के, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों, विनियमों और उप-विधियों के नियम 20 (16) और (17) और 24 (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

पंजाब विधान सभा के विघटन के बारे में

Re : Dissolution of Punjab Assembly

अध्यक्ष महोदय : पंजाब विधान सभा के विघटन के सम्बन्ध में उठाए गए कुछ प्रश्नों के बारे में मद संख्या 7-क का सम्बन्ध है, जब मैं नियम 377 का उल्लेख कर रहा था तब माननीय प्रधानमंत्री ने उठकर कहा था कि उनको कुछ जानकारी मिली है ।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : आपको हमें विचार प्रगट करने से नहीं रोकना चाहिए । यह एक गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : हम बाद में इसके लिए समय नियत करेंगे ।

श्री बूटा सिंह : चर्चा तो बाद में की जा सकती है परन्तु पंजाब विधान सभा के विघटन के बारे में इस समय विचार तो प्रगट किए जा सकते हैं । सदन को स्थिति से अवगत होना चाहिए श्री दरबारा सिंह ने प्रस्ताव की सूचना भेजी थी । प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए इसको पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता । सदस्य इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं । मुझे इस विषय पर सोचना होगा कि बाद में संक्षिप्त चर्चा की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे विचार में यह मामला नियम संख्या '93 के अधीन आता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका सुझाव नोट कर लिया है ।

शेख मुजीबुर्रहमान के पते-ठिकाने के बारे में

Re : Whereabouts of Sheikh Mujibur Rahman

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सरकार का ध्यान बंगला देश के प्रधानमंत्री, श्री ताजुद्दीन के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने शेख मुजीबुर्रहमान के पते-ठिकाने के बारे में चिन्ता प्रगट की है और विश्व के सभी राष्ट्रों से उसके जीवन की रक्षा तथा शीघ्र मुक्ति के लिए अपील की है । समाचार पत्रों से पता चलता है कि शेख मुजीबुर्रहमान इस समय मुलतान जेल में हैं । उन्होंने गत दो महीनों से भूख हड़ताल कर रखी है और पाकिस्तान सरकार उन पर अत्याचार ढा रही है और उन पर दबाव डाल रही है कि वह बंगला देश की जनता के नाम वक्तव्य जारी करके यह कहें कि वह पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और शेख मुजीबुर्रहमान की जीवन रक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें मुक्त कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य जारी करेगी ?

बंगाल वित्त (विक्रय कर) (दिल्ली नियुक्ति तथा कार्यवाही विधिमान्यकरण) विधेयक—(जारी)

BENGAL FINANCE (SALES TAX) (DELHI VALIDATION OF APPOINTMENTS AND PROCEEDING) BILL—(Contd.)

अध्यक्ष महोदय : **श्री** ज्योतिर्मय बसु।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : हमारे दल की ओर से श्री अजीत साहा बोलेंगे। मैं विधेयक के तीसरे वाचन के समय बोलूंगा।

श्री ए० के० साहा (विष्णुपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिक्री कर वस्तुतः खरीद कर होता है। अतः इसको बिक्री कर कहना उचित नहीं। यद्यपि यह प्रत्यक्ष कर लगता है, फिर भी इसमें प्रत्यक्ष कर का कोई लक्षण नहीं है।

अलग-अलग राज्यों में कराधान तथा छूट की दर अलग-अलग हैं। इससे कर अपवंचन को बढ़ावा मिलता है।

अधिक राजस्व वाले स्रोत तो केन्द्रीय सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिए हैं और बिक्री कर, कृषि कर आदि की वसूली का काम राज्यों को सौंप दिया है। प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त राज्यों को लोगों के लिए सामाजिक और विकास सम्बन्धी कार्य करने पड़ते हैं। राज्य सरकारें हमेशा घाटे का बजट पेश करती हैं। इसका कारण वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य और केन्द्र की गलत आर्थिक नीति है। बजट के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री ने राज्यों से कहा है कि वे अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अधिक प्रयास करें, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि निर्माताओं पर कर लगना चाहिए न कि उपभोक्ताओं पर।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरनगर) : 1951 में इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन जारी की गई अधिसूचना दिल्ली पर लागू की गई थी और इस नियम के अधीन कर भुगतान की देयता नवम्बर, 1951 से लागू हुई थी। इसके अधीन अधिनियम को लागू करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा आयुक्तों आदि की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने की भी व्यवस्था की गई थी। बहुत ही खेद की बात है कि आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद कर निर्धारण सही ढंग से नहीं हुआ। यदि विधि न्यायालय में किसी ने इसको चुनौती न दी होती तो सम्भवतः ये सारी बातें प्रकाश में न आतीं। अतः मेरा सुझाव है कि इसमें त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए।

374 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अतः माननीय मन्त्री को इन नियुक्तियों को विधिमान्य ठहराना ही होगा। मेरे विचार में माननीय मन्त्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी बातों की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): It has generally been observed that the laws made by the Government are challenged in the law courts and declared null and void. The main reason of this is that the Government enacts such legislation which are not well drafted.

Secondly, I would like to say that inspite of the increase in the strength, the amount of recoveries of the taxes has not been increased.

Mr. Speaker : The hon. Member may continue his speech after lunch.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Four minutes Past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

(Mr. Speaker in the Chair)

Shri Ishaq Shambhali : It has become a common practice that whenever any action is taken against any Capitalist, he approaches the High Court and gets stay. But the poors are deprived of this. Keeping in view these points, it has become necessary to introduce this bill.

There are huge arrears in the shape of all types of taxes. Efforts have not been made to realise the same. I hope that the hon. Minister will see that taxes are realised in time. Whenever any question is raised regarding recovery of taxes in States, we are told that this is a State subject. But we should not forget that Delhi is a Union Territory and arrears of taxes in Delhi create bad precedent for other states.

The Bill, which has been introduced, is regarding validation of appointments. It was necessary that the Bill regarding the loop-holes in the Sales Tax Bill would have been introduced so that draw-backs regarding realisation of taxes could be removed. I would request the hon. Minister to come forward with such a Bill so that early action to aealise taxes could be taken. With these words, I support the Bill.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम 1941 संघशासित प्रदेश अधिनियम, 1950 की धारा 2 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके दिल्ली पर लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 3 के अधीन उप-राज्य पाल को विक्रय कर नियम बनाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। नियुक्तियां दिल्ली प्रशासन के विभिन्न सेवा नियमों के अधीन की गई थीं। तत्पश्चात् उप-राज्यपाल ने उनकी नियुक्तियों को पूर्वदर्शी प्रभाव से मानने सम्बन्धी एक आदेश जारी किया। परन्तु बाद में ज्ञात हुआ कि उनको ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। दिल्ली वुलन मिल्स ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें ऐसी नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। कार्यकारी परिषद् के परामर्श से दिल्ली प्रशासन ने पहल की ताकि अध्यादेश जारी किया जा सके क्योंकि 374 अधिकारियों की नियुक्तियों को विधिमान्य ठहराना और 5·55 लाख मामलों, जिसमें 15·25 करोड़ रुपये का केन्द्रीय तथा राज्य कर अन्तर्ग्रस्त था, की रक्षा करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से यह विधेयक सदन के समक्ष पेश किया गया है। ऐसे पूर्वोदाहरण हमारे सामने हैं जबकि अध्यादेश जारी करने के बाद सदन में विधेयक प्रस्तुत किए गए।

दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में नया विक्रय कर लागू करने के सम्बन्ध में पूछा था। मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय किए जाने के बाद विधेयक सदन में लाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 के अधीन कुछ अधिकारियों की नियुक्ति को विधिमान्य बनाने के लिए तथा ऐसे अधिकारियों द्वारा उस अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन की गई कार्यवाहियों को विधिमान्य बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 4, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 1 से 4, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1 to 4, The Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार अच्छ-अच्छे विधेयक संसद में ला रही है। सरकार का यह कार्य प्रशंसनीय है। परन्तु इन विधेयकों की क्रियान्विति संतोषजनक नहीं है।

प्रोफेसर कालदोर ने आयकर सुधार के सम्बन्ध में लिखी पुस्तक में कर अपवचंन के आंकड़े बताते हुए सम्भव उपाय, विशेषकर अनिवार्य लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षकों के महत्व पर, अपने विचार प्रकट किए हैं। सरकार के पास प्रो० कालदोर का प्रतिवेदन गत दस वर्षों से पड़ा है। परन्तु सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

वस्तुत: सरकार जिसे विक्रय कर कहती है, वह खरीद कर है। वस्तुओं पर उस समय कर लगाया जाना चाहिए जब वह उत्पादक के कारखाने से बाहर आती हैं। परन्तु सरकार पूंजीपतियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं करती और कर खुदरा व्यापारियों पर लगाया जाता है।

दिल्ली के चावड़ी बाजार, सदर बाजार और खारी बावली में बड़े पैमाने पर कर अपवंचन होता है। ग्राहकों को वे बिना रसीद दिए माल बेचते हैं। इस प्रकार आय कर अधिकारी को यह पता नहीं चल सकता कि अमुक व्यापारी की दैनिक बिक्री क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विधेयक के चर्चा-विषय से बाहर न जाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह ऐसे विधेयक सदन में न लाएं जिसमें मुख्य मामलों को छुआ तक न गया हो।

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पेश करने का कारण पहले ही बता चुका हूं। यह विधेयक आयकर अधिकारियों की नियुक्तियों को विधिमान्य ठहराने के उद्देश्य से पेश किया गया है। माननीय सदस्य ने विक्रय कर के सामान्य प्रश्न और कर अधिकारियों के सम्बन्ध में जो बातें कहीं, वे चर्चित विषय के अन्तर्गत नहीं आतीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक परित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक
GOLD (CONTROL) AMENDMENT BILL

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम 1968 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक द्वारा स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 में कुछ संशोधन करने का प्रयास किया गया है और इसका पेश किया जाना उच्चतम न्यायालय द्वारा 31 मार्च, 1971 को दिये गये निर्णय के कारण आवश्यक हो गया है।

जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण से ही स्पष्ट है, दलालों द्वारा विवरणी भरने, व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक स्वर्ण के अधिकार पर, घोषणा-पत्र के भरे जाने, घोषणा न करने के लिये तलाशी करने, जुर्माने लगाने, जब्त करने और मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में नियम 71 (1) के अन्तर्गत स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 के कुछ उपबन्धों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम और अधिकर्ताओं द्वारा विवरणी भेजने, व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक स्वर्ण के अधिकार में रखने, घोषणा-पत्र के भरे जाने तलाशी लेने, जुर्माना करने और घोषणा न करने के लिए मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में उपबन्धों को वैध ठहराया। इसके साथ ही यद्यपि न्यायालय ने सोने की जब्ती अथवा अन्य बात से सम्बन्धित धारा 71 को अवैध करार दिया है क्योंकि ऐसा लगता है कि स्वर्ण की वस्तुओं और स्वर्ण के आभूषणों को अर्जित करना, उन्हें अधिकार में रखना और बेच देने आदि के सम्बन्ध में लगाया गया प्रतिबन्ध अनुचित है और बिना भेद-भाव किये वह लागू नहीं किया जा सकता। अतः इस विधेयक को अवैध घोषित धारा 71 के स्थान पर लाने का प्रयास किया गया है तथा इसके अन्तर्गत भोले-भाले स्वर्ण स्वामियों की रक्षा करने का एक नया उपबन्ध जोड़ा गया है। इस प्रकार जब्ती के स्थान पर अधिकतम जुर्माने की व्यवस्था, धारा 73 के अन्तर्गत की गई है। क्योंकि जब्ती के स्थान पर जो जुर्माने की व्यवस्था की गई थी वह काफी कड़ी थी। अतः धारा 73 में यह संशोधन करने का प्रयास किया गया है कि स्वर्ण के दुगुने मूल्य पर जो अधिकतम जुर्माना लगाया जाता है, कम कर दिया गया है। अब जुर्माने का मूल्य दुगुने से घटा कर स्वर्ण के मूल्य जितना ही कर दिया गया है।

इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि जिन पुराने मामलों में जब्ती का आदेश या धारा 71 तथा 73 के अन्तर्गत जुर्माने का आदेश दिया गया है, और जो इन उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं, उन पर पुनर्विचार किया जा सके।

मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन संशोधनों का उद्देश्य उन भोले-भाले मालिकों के हितों की रक्षा करना है, जिन का सोना किसी अन्य व्यक्ति के कारण जब्त

के अधीन आ जाता है। इसके साथ ही उसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि जिन मामलों में जब्ती के बदले जुर्माना किया जा सकता है, वह जुर्माना अधिक नहीं होगा। अतः इन परिस्थितिय में, मैं समझता हूं कि संशोधन विधेयक के उपबन्धों के बारे में कोई विशेष विवाद नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि विधेयक पर विचार जानने के लिए, इसे 16 सितम्बर, 1971 तक परिचालित कर दिये जाये।"

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री माधुर्य्य हाल्दार।

श्री माधुर्य्य हाल्दार (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य छिपाये गये सोने को बाहर लाना तथा सोने की तस्करी को रोकना था। परन्तु क्या वर्तमान अधिनियम द्वारा उक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका ? भारत में हमेशा ही चोरी-छिपे सोना लाया जाता रहा है। अभी हाल ही में राज्यमन्त्री, श्री मोहन धारिया ने कहा है हमारे देश में 7000 करोड़ रुपये का सोना छिपा पड़ा है और यदि यह सोना बाहर आ जाये तो हमें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये इतनी चिन्ता न करनी पड़े। परन्तु हमारी सरकार ऐसा छिपा हुआ सोना बाहर क्यों नहीं निकालती ? उत्तर स्पष्ट है कि सरकार अमीर लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती। आज भी सरकार को अमीर लोगों से 700 करोड़ रुपये का आयकर का बकाया लेना है परन्तु वह उसे वसूल करने में असमर्थ है। इस विधेयक से सोने की तस्करी को मुश्किल बनाने की बजाय उसे अधिक आसान और लाभप्रद बनाने में सहायता मिलेगी। क्योंकि अब सोने को जब्त करने के बजाय केवल दोषी व्यक्ति को जुर्माना किया जायेगा और इस जुर्माने की राशि की मांग भी केवल सोने के मूल्य जितनी ही होगी। अतः हम संशोधन विधेयक और उसके साथ ही मूल अधिनियम, जिसे कि अनेक बार वापिस लेने की मांग की गई है, विरोध करते हैं। यह संशोधन विधेयक निश्चय ही वापिस लिया जाना चाहिये क्योंकि इससे केवल तस्करों को ही लाभ होने वाला है। यदि सरकार वास्तव में तस्करों को दण्ड देना चाहती है, यदि वह छिपे हुये सोने को बाहर निकालना चाहती है, तो उसे इसके लिये कठोर दण्ड वाले उपबन्ध बनाने चाहिये और उसके लिए यदि आवश्यकता हो, तो संविधान में संशोधान करने से भी नहीं चूकना चाहिये।

Shri M. C. Daga The very purpose of the Gold Control Act was to check smuggling of gold. Has this purpose been achieved? It is stated by the Government that Gold worth Rs. 4,100 crores is in India, has this gold been brought out? No, none of these objects has been achieved.

On the other hand, this Act has merely thrown 22 lakhs of gold-smiths out of employment and some of them have been compelled to commit suicide. Even after passing this Act, smuggling of gold is continuing. The Govt. officers are in hand and glove with gold smugglers. The poor goldsmiths are being harassed by the Inspectors and other officers of Excise Department. I strongly feel that before passing any law, Government should ensure that it could be implemented. In case, the Government feels that implementation of a certain law is not possible, such a law should not be passed at all.

The amending bill provides that in case the confiscated gold of a person is not returned to him, he will be paid an amount equal to the value of the gold. But there is no mention in the provision of the circumstances in which the gold can be recovered and the intention of the person concerned. In the circumstances if any person is carrying the gold for the purpose of making ornaments, and the officers of the Government are satisfied that he is violating the law, then that person can be held guilty. Does the Government think that all their officers are honest and their judgment cannot be wrong ? To provide such a blank check to Government officers is gross injustice to the people.

I strongly feel that Government must mention the circumstances under which Gold can be confiscated. The provision of judicial officers' satisfaction should also be added in the Bill.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Mr. Deputy Speaker, Sir, It is a matter of pleasure that Government has come forward with an amendment in the Gold Control Act. It indicates that Government is serious to form a policy about gold and I hope the Government will come forward with more similar bills.

I strongly feel that our consitution should be so amended that the individuals' right to property, which is the main cause of many difficulties, is abolished. There is huge amount of gold with the rulers of princely states. There is gold worth 1,500 crore rupees in the country. The Government must take positive steps to take out the gold so that it could be utilized for the constructive purposes.

The foreign banks in the country indulge in many kinds of mal-practices and a huge amount of money is going out of the country. Consequently, the value of rupee is going down. The Govt. should keep a strict watch over the dealings and activities of foreign banks. The Government should not permit higher officers to accept the Advisorship of foreign banks or foreign companies. Such legislation should be framed under which Government should be empowered to encroach upon the rights of rich people without harming the poor. Stringent measures should be enforced to stop smuggling which is a drain on our economy. With these words, I fully support the Bill.

श्री डी० के० पन्डा (भन्जनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि भारत के हर कोने से कड़े विरोध के उपरान्त भी सरकार ने इस अधिनियम के वापिस लेने का साहस नहीं किया है । अभी भी यह मालूम नहीं है कि सरकार इसमें अभी और कितने संशोधन करेगी ।

30-4-1969 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त इस अधिनियम से सम्बद्ध 8 धाराओं यथा 5 (2), 8, 27 (2), 27 (6), 32, 46, 88 और 100 में संशोधन किया गया । इसके बाद जब 30-3-71 को उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया । तो फिर कुछ धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । परन्तु इतने संशोधनों के बावजूद भी यह एक ऐसा अपूर्ण अधिनियम है जिसने कि हमारी पुरातन तथा परम्परागत कला की जड़ों को ही काट डाला है । कलात्मक प्रवीणता पर आधारित, इस देश की हस्तकला को ही इस विधेयक ने समाप्त कर दिया है । जब इस अधिनियम को लागू किया गया, तो लगभग 45000 लोगों को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा । राष्ट्रपति ने 7500 लोगों को 500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ऋण दिया । 200 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली और लगभग 25000 लोगों को बन्दी बनाया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या इस अधिनियम के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किये जा सके हैं ? क्या सोने की तस्करी समाप्त हो गई ? क्या इसके द्वारा मूल्य वृद्धि को

रोका जा सका ? क्या इस अधिनियम के लागू होने के बाद छिपाये गये सोने को बाहर लाया जा सका ? नहीं, इनमें से एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इतना ही नहीं, इस बात की भी कोई गारन्टी नहीं कि आज जिन धाराओं का संशोधन किया जा रहा है, वह भी समय के अनुकूल सिद्ध होगी।

मेरा यह विचार है कि इस विधेयक में जितने अधिक संशोधन किये जायेंगे, उतनी ही अधिक समस्यायें हमारे समक्ष आयेंगी। अतः मैं समझता हूं कि ऐसे संशोधन करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह विधेयक आदि से अन्त तक सर्वथा राष्ट्र विरोधी है, इसलिए मैं न केवल इस संशोधन का विरोध करता हूं बल्कि सरकार से मांग करता हूं कि इस सम्पूर्ण अधिनियम को ही समाप्त किया जाये।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Let the hon. member, who has just finished his speech, bear it in mind that law always follows the crime i.e. as the crime increases the law also expands its sphere. So, it would be wrong to abolish the law itself to end the crime. Therefore, the amendment brought here is quite valid and necessary. Huge quantities of gold are being smuggled into India. The international price of the gold is about Rs. 50 to Rs. 60 a tola but it is selling at the rate of Rs. 230 a tola in India. Therefore, the Government have to be very vigilant about the smuggling on our sea-shore. Then the present provisions of punishments to the smugglers are quite inadequate, and the Supreme Court has also desired that more strict laws should be framed. We should honour the judgment of the Supreme Court.

The present amendment to the Gold Control Order is meant not for only the Rajas and Maharajas, but for the entire country. The Maharaja's, I believe, do not have very much gold and whatever is left with them, they are spending on elections etc. So, we should not bother much about these Maharajaas but about those 'new Maharajas' who are collecting wealth day by day. I, therefore, suggest that we should first find out as to how much gold is there with a person, and then, let the quantity of the gold which exceeds the prescribed limit, be confiscated.

Gold is not a personal property, it is a national property just like the foodgrains. So the Government should come forward to procure the gold as they do in the case of foodgrains. Let the gold be declared as National property and let us put a ceiling thereon as we do on the property.

One has to go through many phases to achieve a gold on an ideal and there come across several difficulties at every stage. There are a number of political parties which create obstacles in a good work just for political purposes.

So, the hon. Minister should make all efforts to stop the leakage of foreign exchange which goes out of our country in the shape of smuggling of gold into India. It is a national issue. If some gold has to come to India, let it come through the Government, and not at individual level; and also at the rate of Rs. 60 a tola.

I, therefore, support the amendment put by the Government.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : इस चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान अधिनियम अपने उद्देश्य में पूरी तरह असफल रहा है। वस्तुतः सरकार इस अधिनियम के जन्मदाता, तत्कालीन वित्त मन्त्री से तो मुक्ति पा गई परन्तु इस विचित्र स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम से नहीं पास की।

हमें बताया गया था कि इस अधिनियम के लागू होने से स्वर्ण की तस्करी रुक जायेगी, छुपा हुआ स्वर्ण बाहर निकल आयेगा तथा स्वर्ण के मूल्य भी नियन्त्रित हो जायेंगे। क्या ये उद्देश्य पूरे हो सके ? सोने की तस्करी अब भी चल रही है और सरकार इसे रोक नहीं सकती। यदि सरकार यह आश्वासन दे कि उक्त संशोधन करने से देश में सोने की तस्करी बन्द हो जायेगी तो मैं इस विधेयक का समर्थन करने को तैयार हूं। परन्तु गत तीन-चार वर्ष में भी यह नहीं कर सकी तो अब इस संशोधन मात्र से क्या होगा ?

इस अधिनियम ने असली उत्पत्ति के समय से देश भर में तूफान मचा रखा है। इसके कारण असंख्य स्वर्णकार बेरोजगार हो गये और अनेकों ने आत्महत्या कर डाली। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि इस अधिनियम में प्रतिवर्ष अथवा हर छः मास बाद संशोधन करने की बजाय इसे बिल्कुल ही समाप्त कर देना उचित होगा। इस पीली धातु के प्रति लोगों के दिल में इच्छा कम नहीं हुई है और शायद न ही कभी कम या खत्म होगी। अब क्योंकि इस अधिनियम को अपने उद्देश्यों में कोई सफलता नहीं मिली है, अतः इसमें समय-समय पर संशोधन करने का कोई लाभ नहीं। सरकार अपने विधेयक को वापस ले ले।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsor): Many a time laws are made and also done away with to properly run the administration within the democratic set up. But it is not so that the Government have suggested this amendment either on their own or to the benefit of the masses. It has been put helplessly just because of a decision of the Supreme Court.

From its very origin this entire legislation has been very controversial. This law not only caused great hardships to the goldsmiths but also shattered away a class of artistes under much discontent and distress. Although the Govt. agreed to give relief to these displaced goldsmiths, still the problems could not be solved and lure of the people towards gold did not diminish. Smuggling of gold could also not be checked. People still love gold. Then, it it not the way of changing the mentality of the people and building their national character also.

I have not stood here to oppose this amendment since it has become necessary to amend the Act because of the decision of the Supreme Court. But certainly, the whole Act should be reviewed. Amendment is also necessary to be made in clause 66 "under which the Excise Officers are empowered to enter into any house and harass even the poor people without caring for whether the gold found is their own or not. The officers misuse the power. Therefore this Act can be of any use only when it is perfectly designed to be beneficial according to the needs of the time, otherwise it will cause harm to the nation. Our country had been known as a golden bird in the world and only out of lure of getting gold. several foreign intruders invaded and looted our country. They took away quite a good amount of gold from here but still we have got enough. Now if the Government want to bring out hidden gold and utilise if for the sake of the country, then, such a law, as they are having now, will not do. So, it is very necessary the present law is thoroughly reviewed so as to make it conducive to improve our economic condition and national life.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : इस विधेयक का उद्देश्य स्वर्ण नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1971 का स्थान लेने का है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि क्योंकि इसके फलस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, अतः इस में कोई निरन्तर होने वाला व्यय भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य स्वर्ण की तस्करी रोकना था परन्तु क्योंकि पुराने अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया, सरकार ने तस्करी को रोकने के लिये वर्तमान अध्यादेश जारी करना उचित समझा।

मन्त्री महोदय का कहना है कि स्वर्ण की तस्करी को रोकने के लिये वर्तमान कर्मचारी पर्याप्त हैं। परन्तु स्थिति ऐसे नजर नहीं आती। सब जानते हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों किलो सोना भारत में चोरी छिपे आ रहा है। बड़े नगरों, जैसे दिल्ली, मद्रास, तथा बम्बई में सोने की तस्करी बन्द नहीं हुई है। काला धन रखने वाले लोग यह स्वर्ण खरीदते हैं। चाहे सरकार किसी दिन बैंकों में सेफ़ डिपाजिट बोल्टों को खोलकर देख ले, तो उसमें न जाने कितने मन सोना मिल जायेगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

आजकल दिल्ली की दुकानों पर "बिस्कुट बाला सोना" के नाम से "शुद्ध स्वर्ण" बिकता है। केन्द्रीय गुप्तचर दल पहले वित्त मंत्रालय के अधीन था, परन्तु अब गृह मन्त्रालय के अधीन है। परन्तु उसका सीमाशुल्क बोर्ड, उत्पादन शुल्क बोर्ड आदि से यथोचित समन्वय न होने के कारण वे ठीक-ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकते। इस समय केन्द्रीय गुप्तचर बोर्ड का कोई महानिदेशक भी नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस पद से स्थानांतरित किया जाता है तो महीनों तक उसके पद को भरा नहीं जाता। इसी प्रकार अन्य कई महत्वपूर्ण पद भी रिक्त रहते हैं। पता नहीं सरकार किस प्रकार तस्करी को रोक सकेगी। सरकार बैंक डिपाजिटों से सोना बरामद करने तथा तस्करी को भी रोकने के लिये कानून बनाये।

नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से सोना लिये पकड़ा जाये तो उस सोने को जब्त कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में धारा 76 के अधीन शक्तियां दी गई। परन्तु क्या इन शक्तियों का उचित रूप में प्रयोग किया जाता है? कई अधिकारी तो ईमानदार होते हैं और कई नहीं होते, जिनके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है।

इन शब्दों के साथ मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि सरकार संशोधन करना चाहती है तो इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करे तथा उचित प्राधिकारी को यथोचित शक्तियां प्रदान करे ताकि तस्करी कृत स्वर्ण के प्रसार को रोका जा सके।

श्री के० श्रार० गणेश : यह एक साधारण-सा विधेयक है जिसका उद्देश्य उच्चतम न्यायाद्वारा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की धारा 71 को अवैध ठहराये जाने के निर्णय की आवश्यकताओं को पूरा करना है। परन्तु चर्चा में स्वर्ण की तस्करी तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित अन्य मामले भी उठाये गये। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विपक्ष की ओर से दो मत सामने आये। श्री हाल्दार ने देश भर के सारे स्वर्ण को अधिकार में लेने का जिक्र किया तो श्री पन्डा ने स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की असफलता तथा इसके फलस्वरूप स्वर्णकारों की कठिनाइयों के बारे में कहा।

श्री शशि भूषण ने महाराजाओं तथा अन्य धनिक वर्ग के लोगों के पास स्वर्ण का जिक्र किया। परन्तु इस विधेयक का अभिप्राय तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार धारा 71 को सुदृढ़ करने का है। स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम का उद्देश्य मूल स्वर्ण को अनधिकृत व्यक्तियों के हाथों में जाने से रोकने का तथा उसे देश की अर्थव्यवस्था में शामिल करने का है। परन्तु उच्चतम

न्यायालय के निर्णय के कारण उनकी क्रियान्विति नहीं की जा सकी। अतः इस विधेयक के द्वारा धारा 71 की कमियों को दूर करने का हमारा प्रयोजन है।

श्री के० आर० गणेश : उच्चतम न्यायालय ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को रद्द नहीं किया अपितु इसे विधिमान्य ठहराया है। उक्त न्यायालय ने केवल धारा 71 पर आपत्ति की है। इस विधेयक द्वारा अधिनियम की उस कमी को दूर करने की चेष्टा की जा रही है।

यदि सोने की तस्करी को रोकना है तो स्वर्ण नियंत्रण विधेयक महत्वपूर्ण है। भारत रक्षा नियमों के हटाये जाने पर यह अधिनियम अनिवार्य हो गया है। निजी व्यक्तियों के पास शुद्ध स्वर्ण न जमा होने देने के लिये यह कानून सर्वथा अनिवार्य है।

तस्करी तथा तस्करी रोकने वाले कार्यक्रमों की पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। भारत का समुद्र तट बहुत विशाल है और तस्करी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। तस्करी रोकने के लिये जो कुछ भी सम्भव है किया जा रहा है।

लगभग 1.90 लाख स्वर्णकारों ने प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं और 1.70 लाख स्वर्णकारों को पुनर्वास-सहायता दी जा चुकी है।

श्री जी० विश्वनाथन : ऋणों के लिए अभी कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ?

श्री के० आर० गणेश : मैं इस बारे में पता करके सूचित करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि सभा विधेयक का अनुमोदन करे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डों के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 से 6, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

***Clauses 2 to 6, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : इस देश में सोना रखने की परम्परागत आकांक्षा के अतिरिक्त, पिछले 23 वर्षों के कांग्रेसी शासन में रुपये के मूल्य के निरन्तर घटते रहने के कारण भी सोना रखने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है। बीमे अथवा भविष्य निधि में जब धन दिया जाता है तो उसका मूल्य अधिक होता है और जब वह धन वापिस मिलता है तो उसका मूल्य घटा हुआ होता है। धन के मूल्यों में इस प्रकार जो ह्रास होता है उससे लाभ किसे पहुंचता है ? उसका पूरा लाभ पूंजीपतियों एवं एकाधिकारियों को मिलता है। गरीबी हटाने का नाम लेने वालों के माध्यम से यह लाभ उन्हें पहुंचता रहा है।

सोने का अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मूल्य 70 रुपये प्रति 10 ग्राम बैठता है जबकि भारत में वास्तविक मूल्य 180 से 200 रुपये प्रति तोला है।

वित्त मन्त्रालय के एक हिन्दी अधिकारी प्रायः रंगे हाथ पकड़े गये थे परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा अप्रैल 1970 में आश्वासन देने के पश्चात् भी अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं की गई लगती।

तस्करों ने कोलाबा, बम्बई में अपनी हवाई पट्टी स्थापित की है। मैं समझता हूं कि भारत में 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष सोने की तस्करी होती है। वित्त मन्त्री ने स्वीकार किया है कि कम राशि के और अधिक राशि के बीजक बनाने से 75 करोड़ रुपया की वार्षिक हानि होती है। परन्तु वास्तविकता यह है कि उसकी ठीक राशि 300 से 400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है और उसके बदले वीयना आदि से 70 रु० तोला की दर से सोने की तस्करी होती है। सरकार ने अप्रैल, 1970 में तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही करने का वचन दिया था। हम इन बातों का उत्तर अभी चाहते हैं। आप तस्करी रोकने के लिये प्रभावी विधेयक क्यों नहीं ला रहे हैं। शायद इसलिये कि इससे जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है वे उनके संरक्षक हैं।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जिनकी तत्काल जानकरी मेरे पास नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करके उन्हें दे दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने तस्करी रोकने के लिये प्रभावी विधेयक लाये जाने के बारे में पूछा है।

श्री के० आर० गणेश : मैंने प्रशासनिक, विधायक और आर्थिक स्तर पर तस्करी रोकने के लिये सभी संभव उपाय किये हैं। तस्करी अब दोषी समाज का अंग बन गई है। आप समाज को दोषमुक्त करके ही इन कदाचारों को रोक सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता सरकार विभिन्न विधेयक लाती रहेगी।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तस्कर चाहे कोई भी हों, हम उन्हें पकड़ने का यत्न करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adoted

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1971-72

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY), 1971-72

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे मुझे 15 मिनट में उनकी संख्या की सूचना भेज दें। उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

(श्री के० एन० तिवारी **पीठासीन हुए**)

Shri K. N. Tiwary in the Chair

अनुदानों की मांगों (रेलवे) 1971-72 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	1.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	किसी भी अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वेतन की अधिकतम सीमा केवल 1200 रुपये निर्धारित करके मितव्ययता	2,00,000 ०
14	9.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	बर्दवान–कटवा और कटवा–अहमदपुर छोटी लाइन सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने तक इनके डीजलीकरण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रु०
,,	10.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	बी० के० और ए० के० रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता।	100 रु०
15	11.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	कटवा स्टेशन के निकट बाल्डेल बरहरवा रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	100 रु०
,,	12.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे की बंडेल-कटवा लाइन पर गुप्तीपारा के निकट फाटक पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	,,
,,	13.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे के बंडेल-कटवा सैक्शन का विद्युतीकरण करने में असफलता।	,,
,,	14.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे के बंडेल-कटवा सैक्शन में चलती गाड़ियों में चोरी की घटनायें रोकने में रेलवे पुलिस अधिकारियों की असमर्थता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
15	15.	**श्री सरोज मुखर्जी**	पूर्व रेलवे में बंडेल से कटवा जा रही रेल गाड़ी में कटवा रेलवे स्टेशन के निकट 15-4-71 को स्त्रियों और बच्चों सहित यात्रियों पर सशस्त्र गिरोह द्वारा हमला किये जाने की घटना के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा उपेक्षा।	100 रु०
,,	16.	**श्री सरोज मुखर्जी**	रेलवे बोर्ड को जो समस्त रेलवे व्यवस्था में भ्रष्टाचार और भारी अत्याचार का मूल कारण है बनाये रखना।	राशि घटा कर एक रु० कर दी जाये
1	17.	**डा० रानेन सेन**	पूर्व रेलवे के सियाल्दा डिवीजन के शणाधार बनगांव खंड में गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय।
,,	18.	**डा० रानेन सेन**	प्रशासन में अपव्यय को कम करने में असफलता।	,,
,,	19.	**डा० रानेन सेन**	पूर्व रेलवे की सियाल्दा डिवीजन के बनगांव खंड में अधिकांश स्टेशनों पर कर्मचारियों द्वारा पीने के पानी का प्रबन्ध करने में असफलता।	,,
,,	20.	**डा० रानेन सेन**	मनोहरपुर गांव में जो पूर्व रेलवे के सियाल्दा डिवीजन के बनगांव खंड में चांदपारा और बनगांव स्टेशनों के बीच में है हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	21.	**डा० रानेन सेन**	काजीपारा में, जो कि सियाल्दा डिवीजन के बनगांव खंड में बारासमट स्टेशन से 3 मील की दूरी पर है, किसी, उपयुक्त स्थान पर हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
4	25.	**श्री सरोज मुखर्जी**	तीसरी श्रेणी के यात्री किराये को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय।
,,	26.	**श्री सरोज मुखर्जी**	चौथी श्रेणी के कर्मचारियों समेत दंडित रेलवे कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	27.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों तथा उनके विवादों का शीघ्र निपटारा कर उनके अच्छे श्रमिक सम्बन्धों को बनाने तथा उन्हें अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सहायक होने देने में असफलता।	100 रु०
,,	28.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	यात्री सुविधाओं की कमी, यद्यपि इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यय 2.4 करोड़ रुपये से बढ़ कर 4 करोड़ रुपये हो गया है।	,,
,,	29.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे में बंडेल कटवा लाइन पर ठीक समय पर गाड़ियां चलाने में असफलता।	,,
,,	30.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	अधिकारियों द्वारा गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने में असफलता तथा इसका दोष गलत ढंग से रेलवे कर्मचारियों पर डालना।	,,
5	31.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	गार्डों तथा रेलवे पुलिस पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद रेलवे सम्पत्ति की लगातार तथा व्यापक चोरी को रोकने में असफलता।	,,
,,	32.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे पर बन्देल–कटवा लाइन पर चलने वाली प्रायः सभी रेलों में रोशनी, पंखों, खिड़कियों, पाखानों, बेंचों आदि की सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा मरम्मत करवाने में असफलता।"	,,
10	33.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	रेलवे कर्मचारियों को सामान्य रूप से तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष रूप से कल्याण-सुविधायें देने में असफलता।	,,
14	34.	**डा० रानेन सेन** :	पूर्व रेलवे के सियाल्दह डिवीजन में डमडम जंकशन से बनगांव तक रेलवे लाइन को दुहरी बनाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय।
,,	35.	**डा० रानेन सेन** :	पूर्व रेलवे से सियाल्दह डिवीजन के बनगांव खण्ड में गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने में असफलता।	,,
15	36.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के 11,000 नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी न बनाना जहां कि इस समय 4,000 स्थान (श्रेणी–4) रिक्त हैं।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
15	37.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	यात्री सुविधाओं सम्बन्धी स्थिति बिगड़ती जा रही है।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय।
14	129.	**विजय मोदक** :	पूर्वी रेलवे में हुगली जिला (पश्चिम बंगाल) के आराम बाग उप-मण्डल स्थित संतरागाछी को बांकुरा से बारास्ता खानकुल-कमापुकनोर मिलाने के लिये एक सीधा रेल लाइन स्थापित करने में असफलता।	
14	130.	**विजय मोदक** :	पूर्व रेलवे के ताराकेखर खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता।	100 रु०
15	134.	**विजय मोदक** :	पश्चिम बंगाल में हावड़ा--आमता लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय।
,,	135.	**विजय मोदक** :	पूर्व रेलवे के बांडेल रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	137.	**विजय मोदक** :	पूर्व रेलवे के बांडेल-नैहाटी खंड पर अधिक रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	138.	**विजय मोदक** :	पूर्व रेलवे के बांडेल--कटवा खंड का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।	,,
,,	139.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे के बांडेल--कटवा खंड के विभिन्न स्टेशनों, विशेषकर कटवा पर रेल कर्मचारियों को पानी, रोशनी, शौचालय, आदि सुविधाओं सहित पर्याप्त संख्या में क्वार्टर देने में असफलता।	,,
,,	140.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	रेलवे संस्था को दिये गोदामों के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा, और जिसे स्थान व कर्मचारियों के नियंत्रणाधीन नहीं रखा गया, चलाने में असफलता।	,,
,,	141.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्व रेलवे के बांडेल--कटवा खंड पर रेलगाड़ियों को सुचारु रूप से चलाने और इस लाइन की भार-यातायात समस्या को हल करने के लिए वहां पर अधिक संख्या में रेलगाड़ियां चलाने के लिए दोहरी लाइन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
15	142.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	बांडेल–कटवा खंड (पूर्व रेलवे) में कटवा तक विद्युतीकरण न होने की अवधि में त्रिवेणी तक रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्यक्रम को तुरंत शुरू करने में असफलता।	100 रु०
,,	143.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्वी रेलवे के कटवा रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने में असफलता और प्लेटफार्म पर प्रतीक्षालयों और काफी अन्य सुविधाओं का अभाव होने के कारण गाड़ियों की प्रतीक्षा करने वाले तीसरे दर्जे के सैकड़ों यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	,,
,,	144.	**श्री सरोज मुखर्जी** :	पूर्वी रेलवे के अम्बिका—कालना रेलवे स्टेशन का जहां पर यात्रियों के लिए सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है, नवीकरण करने में असफलता।	,,
4	145.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	धनबाद (पूर्व रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों को दिया गया दण्ड वापस लेने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
,,	146.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	रेलवे विद्युतीकरण विभाग, बिलासपुर, दक्षिण-पूर्व रेलवे में छंटनी किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को बहाल करने में सरकार की असफलता।	100 ,,
,,	147.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	होमगार्ड के उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, जिन्होंने 8 अप्रैल, 1971 को बिलासपुर में प्रदर्शनकारी श्रमिकों पर बिना किसी चेतावनी के लाठी प्रहार किया था और लगभग 30 कर्मचारियों को, जिनमें बहुत सी महिलायें भी शामिल थीं, चोटें पहुंचाई थीं।	100 ,,
,,	148.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार के विभिन्न विभागों में की जा रही चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की गलत भर्ती को तुरन्त रोकने की आवश्यकता।	100 ,,
,,	149.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	रेलवे में कोयले और राख की ढुलाई में ठेके प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
6	150.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	उन सभी श्रमिकों को, जो 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि से ठेकेदारों के अधीन कोयले की ढुलाई का कार्य कर रहे हैं, स्थायी घोषित करने की आवश्यकता।	100 रु०
"	151.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	पूर्व रेलवे में गड़हरा (बरौनी) स्थित रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने में सरकार की असफलता, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों की समान मांग को मान लिया गया है।	100 "
"	152.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	रेलवे के लोको-रनिंग कर्मचारियों की इस मांग को, कि उन्हें प्रतिदिन 8 घण्टे की लगातार ड्यूटी दी जानी चाहिए, स्वीकार करने में सरकार की असफलता।	100 "
"	153.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	रेलवे के लोको-रनिंग कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने में, जिसका सुझाव रेलवे बोर्ड ने 1946 में दिया था, जिसे 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया गया, सरकार की असफलता।	100 "
"	154.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	रेलवे कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक छुट्टी सहित 48 घण्टे की ड्यूटी निर्धारित करने और उन्हें 180 रुपये का न्यूनतम वेतन देने का आवश्यकता।	100 "
4	169.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	दक्षिण मध्य रेलवे के डोरनाकल लोको शैड के 120 नैमित्तिक कर्मचारियों को, जिनकी अगस्त, 1969 में अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से छंटनी कर दी गई थी, नौकरी पर बहाल करने में सरकार की असफलता।	100 "
"	170.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	दक्षिण मध्य रेलवे के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, जिन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का उल्लंघन कर दक्षिण मध्य रेलवे के चिमालपाडू स्टेशन पर नियुक्त एक कर्मचारी की नौकरी से छंटनी कर दी है।	100 "

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	171.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	दक्षिण मध्य रेलवे के चिमालपाडू स्टेशन पर नियुक्त एक कर्मचारी को पुनः नौकरी पर बहाल करने में सरकार की असफलता, जिसकी अधिकारियों ने अवैध रूप से नौकरी से छंटनी कर दी थी।	100 "
"	172.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के लोको संगचल कर्मचारियों को बहाल करने में जिन्हें दण्ड दिया गया था, सरकार की असफलता।	100 "
6	174.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, जिन्होंने कारण बताने वाली 'सेवा समाप्ति सूचना' जारी किये बिना तथा 'छंटनी क्षतिपूर्ति' की अदायगी किये बिना अगस्त, 1969 में डारनाकल लोको शेड, दक्षिण मध्य रेलवे, में 120 नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी कर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का उल्लंघन किया।	100 रुपये
"	175.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	भूतपूर्व एम० एस० एम० रेलवे के गुंटाकल जिले में 1930 से 1947 तक एक व्यक्ति द्वारा की गई सेवा के सम्बन्ध में उसे भविष्य निधि परिसम्पत्तियों की अदायगी करने में सरकार की असफलता।	100
"	176.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	उन नैमित्तिक मजदूरों के लिए, जो रेलों में कोयला उतारते-चढ़ाते हैं, 48 घण्टे का सप्ताह तथा एक साप्ताहिक छुट्टी देने में सरकार की असफलता।	100 "
"	177.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	रेलों में कोयला उतारने-चढ़ाने का काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों के लिए, 120 रुपये प्रति मास न्यूनतम वेतन स्वीकार करने में सरकार की असफलता।	100 "
"	178.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	रेलों में कोयला उतारने-चढ़ाने का काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों को चिकित्सा की सुविधाएं तथा छुट्टी देने में असफलता।	100 "

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
6	179.	**श्री हाजरा मनोरंजन**	रेलों में कोयला उतारने-चढ़ाने का काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों के साथ नियमित रेलवे कर्मचारियों के समान बर्ताव करने में सरकार की असफलता।	100 रु०
,,	180.	**श्री हाजरा मनोरंजन**	उन प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, जिन्होंने डारनाकल लोको शेड, दक्षिण मध्य रेलवे के मजदूरों को, जिनकी 90 दिन की अथवा 6 महीने की लगातार सेवा थी, अस्थायी कर्मचारियों का भी दर्जा नहीं दिया और इस प्रकार 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा रेलवे नियमों का उल्लंघन किया।	100 ,,
,,	181.	**श्री हाजरा मनोरंजन**	उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता जिन्होंने डारनाकल लोको शेड, दक्षिण मध्य रेलवे, में मजदूरों को ऐसे कामों पर भी नैमित्तिक दरों पर लगाया, जहां स्थायी कार्य है, और इस प्रकार इस सभा में सरकार के बार-बार दिये गये इस वचन का उल्लंघन किया कि जब तक कार्य बिल्कुल नैमित्तिक अथवा सामयिक न हो मजदूरों को नैमित्तिक दरों पर नहीं लगाया जायगा।	100 ,,
,,	182.	**श्री हाजरा मनोरंजन**	रेलवे के लोको संगचल कर्मचारियों के संगचल (मील) भत्ते सम्बन्धी नियमों में उनके प्रतिनिधियों के परामर्श से आमूल परिवर्तन करने में सरकार की असफलता।	100 ,,
,,	183.	**श्री हाजरा मनोरंजन**	भारतीय रेलों के लोको संगचल कर्मचारियों की समस्याओं पर सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाये, इस उद्देश्य से लोको संगचल कर्मचारी एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने में सरकार की असफलता।	100 ,,
,,	184.	**श्री हाजरा मनोरंजन**	डारनाकल लोको शेड, दक्षिण मध्य रेलवे में काम करने वाले वसिक फिटरों को स्थापनापन्न भत्ते देने में सरकार की असफलता।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
6	185.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	अन्डुल-कलकत्ता कार्डलिक परियोजना के परियोजना से सम्बन्धित नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी।	100 रु०
15	186.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली सभी लाइट रेलों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता।	,,
	187.	**श्री हाजरा मनोरंजन** :	बन्द लाइट रेलों के कर्मचारियों को भारतीय रेलों के विभिन्न सेक्शनों में नौकरी पर लगाने में सरकार की असफलता।	,,
3	213.	**श्री आर० वी० बड़े** :	खंडवा से इन्दौर जाने वाली गाड़ी का कोदल्याखेड़ो स्टेशन पर, जहां नये प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है, न रुकना।	,,
,,	220.	**श्री आर० वी० बड़े** :	अजमेर-खंडवा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना।	,,
,,	221.	**श्री आर० वी० बड़े** :	सभी आदिवासी क्षेत्रों, पश्चिमी नेमाद और झबुआ से होती हुई खड़वा से दोहद तक नई लाइन के निर्माण में असफलता।	,,
,,	235.	**श्री दशरथ देव** :	त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने में असफलता।	,,
,,	236.	**श्री दशरथ देव** :	त्रिपुरा में अगरतला से सबरुम तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने हेतु सर्वेक्षण-कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	237.	श्री **दशरथ देव** :	पूर्वोत्तर क्षेत्र, अर्थात् आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और नेफा में नई रेल लाइनें बिछाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता।	,,
1	243.	**श्री पी० के० देव** :	निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कटक-पारादीप रेल लाइन का निर्माण करने में असफलता।	,,
,,	244.	**श्री पी० के० देव** :	उड़ीसा राज्य में तालचेर-बिमलगढ़-कोयरा घाटी रेल लाइन की स्वीकृति देने में असफलता।	,,
,,	245.	**श्री पी० के० देव** :	दक्षिण पूर्व रेलवे पर केंसिंगा रेलवे स्टेशन के निकट एक ऊपरी पुल का शीघ्रतापूर्वक निर्माण किया जाना।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	246.	**श्री पी० के० देव** :	दक्षिण पूर्व रेलवे के दण्डकारण्य क्षेत्र में अमगुरा-लानजीगढ़ रेल लाइन का तुरन्त निर्माण करने की वांछनीयता ।	100 रु०
,,	247.	**श्री पी० के० देव** :	टिटलागढ़ से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से टिटलागढ़ तक पहले और तीसरे दर्जे का एक संयुक्त रेल डिब्बा चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	248.	**श्री पी० के० देव** :	नौ सेना मुख्यालयों को जोड़ने के लिए बम्बई नागपुर एक्प्रेस गाड़ी को विशाखापटनम तक बढ़ाने और उसका नाम ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ी रखने की आवश्यकता ।	,,
,,	249.	**श्री पी० के० देव** :	मद्रास-टाटा एक्सप्रेस गाड़ी को हावड़ा तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	250.	**श्री पी० के० देव** :	दक्षिण पूर्व रेलवे के केसिंगा स्टेशन के प्लेटफार्म पर लगे शेड का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	251.	**श्री पी० के० देव** :	केसिंगा रेलवे स्टेशन पर केसिंगा टाउन की ओर एक दूसरा प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	289.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे बोर्ड का असन्तोषजनक कार्य ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय ।
,,	290.	**श्री रामावतार शास्त्री**:	रेलवे बोर्ड द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा ।	,,
,,	291.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	सभी श्रेणियों के यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने की ओर पूरा ध्यान देने में असफलता ।	,,
,,	292.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलों में चोरियां रोकने में असफलता ।	,,
,,	293.	**श्री रामवतार शास्त्री** :	रेलवे बोर्ड द्वारा नौकरशाही नीति को बढ़ावा ।	,,
,,	294.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे बोर्ड की मजदूर-विरोधी नीति ।	,,
,,	295.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे में हुई हानि को रोकने में असफलता ।	,,
,,	296.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे बोर्ड द्वारा असन्तोषजनक ढंग से कार्य का संचालन करने के कारण रेलवे में हुई हानि ।	,,
,,	297.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे मजदूरों को परियोजना भत्ता देने में असफलता ।	
,,	298.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	एवजी के रूप में कार्य कर रहे मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	299.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलों से सैलून हटाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दीजाय।
,,	300.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	,,
,,	301.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे में श्रेणीवार संघों (विभागीय) को मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	302.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	संघों को मान्यता प्रदान करने के लिये गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाने में असफलता।	,,
,,	303.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	304.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे बोर्ड पर फिजूल खर्ची।	,,
4	305.	**श्री बिजय मोदक** :	बंडेल (पू० रे०) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टरों को नया रूप देने में असफलता।	100 रु०
,,	306.	**श्री बिजय मोदक** :	रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार हावड़ा डिवीजन में कर्मचारियों के विश्राम काल में काम करने वाले तथा छुट्टी रिजर्व कर्मचारी बनाये रखने में असफलता।	100 ,,
,,	307.	**श्री बिजय मोदक** :	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक से भिन्न क्यार्टरों के सम्बन्ध में किराये की अधिक रकम की वसूली रोकने की आवश्यकता।	
,,	308.	**श्री बिजय मोदक** :	बंडेल (पू० रे०) में रेल कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक प्रसूति कक्ष खोलने की आवश्यकता।	100 ,,
,,	309.	**श्री बिजय मोदक** :	डिवीजनल चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय (हाबड़ा) में नेत्र-परीक्षण के नाम पर कर्मचारियों को व्यर्थ सताये जाने को रोकने में असफलता।	100 ,,
,,	310.	**श्री बिजय मोदक** :	बंडेल (पू० रेलवे) में रेल कर्मचारियों को नगर भत्ता देने की आवश्यकता, क्योंकि यह महत्वपूर्ण चुंगी स्टेशन तथा जंकशन स्टेशन है।	100 ,,
,,	311.	**श्री बिजय मोदक** :	रेल टिकट परीक्षकों को संगचल कर्मचारी मानने की आवश्यकता।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	312.	**श्री बिजय मोदक**	हावड़ा-अमला लाइट रेलवे के कर्मचारियों को तुरंत नौकरी में लगाने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	313.	**श्री बिजय मोदक**	लोको-शेड को फैक्टरी मानने तथा उस पर फैक्टरी अधिनियम लागू करने की आवश्यकता।	,,
,,	314.	**श्री बिजय मोदक**	विद्युतीकरण के लिए रेलगाड़ियों के अत्यधिक यातायात के कारण गैंगमेनों का कार्यभार कम करने की आवश्यकता	,,
,,	315.	**श्री बिजय मोदक**	विभिन्न वर्गों में रिक्त स्थानों को भरने तथा नई भरती आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	316.	**श्री बिजय मोदक**	रेलों में लोको-शेड में कोयला उठाने-धरने तथा उतारने का काम करने वाले ठेकेदार द्वारा रखे गये मजदूरों को रेल-कर्मचारी मानने की आवश्यकता।	,,
1	317.	**श्री रामावतार शास्त्री**	धनबाद के नौ रेलवे कर्मचारियों के निलम्बन सम्बन्धी आदेश को रद्द करने में असफलता।	100 रु०
,,	318.	**श्री रामावतार शास्त्री**	धनबाद के रेलवे कर्मचारियों की सेवा में किये गये व्यवधान को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	319.	**श्री रामावतार शास्त्री**	धनबाद डिवीजन के डिवीजन कर्मचारियों की समन्वय समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी मांगों को स्वीकार करने में असफलता।	,,
,,	320.	**श्री रामावतार शास्त्री**	टेटूलमारी, सिजना, प्रधान खूंटा और सिंदरी रेलवे स्टेशनों से रेल के डिब्बों में स्टोन चिप्स के नाम पर कोयला भेजे जाने के कारण रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार।	,,
,,	321.	**श्री रामावतार शास्त्री**	सरकार द्वारा दिल्ली-सहारनपुर, आरासहसराम, फतुआँ-इस्तलामपुर और बंगाल लाइट रेलवे को चलाने की आवश्यकता।	,,
	322.	**श्री रामावतार शास्त्री**	लाइट रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलों में नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	323.	**श्री रामावतार शास्त्री**	बरौनी-गडहरा रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान पैदा करने वाले आदेश को समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रु०
"	324.	**श्री रामावतार शास्त्री**	बरौनी-गडहरा रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दायर मामलों को वापस लेने की आवश्यकता।	"
"	325.	**श्री रामावतार शास्त्री**	बरौनी-गडहरा रेल कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता मंजूर करने में असफलता।	"
"	326.	**श्री रामावतार शास्त्री**	बरौनी-गडहरा रेल कर्मचारियों की 33 दिन की हड़ताल की अवधि को छुट्टी की अवधि मानने में असफलता।	"
"	327.	**श्री रामावतार शास्त्री**	फरक्का, खजूरिया, हाटिया (रांची), मोकामेह, मोकामेह घाट, बेगुसराय, नंगल (पंजाब) और कोरापुट के कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता मंजूर करने में असफलता।	"
"	328.	**श्री रामावतार शास्त्री**	गडहरा-बरौनी रेल कर्मचारियों के निलम्बन सम्बन्धी आदेश को समाप्त करते की आवश्यकता।	"
1	340.	**श्री टी० किरुतिनन**	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता।	100 रु०
"	341	**श्री टी० किरुतिनन**	क्षेत्रीय बोर्ड या निगमें स्थापित करने में असफलता।	"
"	342.	**श्री टी० किरुतिनन**	क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अधिक शक्तियां प्रदान करने में असफलता।	"
"	343.	**श्री टी० किरुतिनन**	केन्द्रीय वेतन आयोग को रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनकी संख्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या का 50 प्रतिशत है, अलग प्रतिवेदन देने के लिये कहने की आवश्यकता।	"
"	344.	**श्री टी० किरुतिनन**	जी० एस० डी मद्रास के चतुर्थ श्रेणी के खलासियों के पदों की प्रतिशतता में वृद्धि करके दक्षिण रेलवे के पैरम्बूर शाप में नौकरी लगाने की आवश्यकता।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	345.	**श्री टी० किरुतिनन**	नागापट्टिनम् के सामग्री डिपो को गोल्डन राक में तथा तंजौर लोको शैड को दक्षिण रेलवे के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को छोड़ देने की आवश्यकता।	100 रु०
4	346.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिणी रेलवे के लोको शैडों में लिपिक-वर्ग कर्मचारियों के स्थान पर शिक्षित मैकेनिकल खलासियों को नियुक्त करने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	347.	**श्री टी० किरुतिनन**	रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या पी० सी० 62/पी एस--5 एस० एस०/1, दिनांक 27-9-1963 को क्रियान्वित करने और ई० डब्लू एस०/एर्कोनम दक्षिण रेलवे के स्टोर और टूल कीपरों की पदोन्नति की तारीख से रु० 60--130 (पुराना) वेतनमान निर्धारित करने में असफलता।	,,
,,	348.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या पी०सी--60/पी एस 5/सी ई 1/पी टी, दिनांक 14--8--1961 को कार्यान्वित करने तथा सिविल इंजीनियरी विभाग के मिस्त्रियों को उस आदेश की तारीख से रु० 150--5--175--6--205-ई०बी--7--290 का प्राधिकृत वेतनमान देने में असफलता।	,,
,,	349.	**श्री टी० किरुतिनन**	पैरम्बूर अस्पताल में उप-चिकित्सा अधिकारियों, सहायक चिकित्सा अधिकारियों और नर्सों की संख्या में वृद्धि होने के कारण ड्रेसरों और वरिष्ठ ड्रेसरों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
,,	350.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे के पैरम्बूर रेल अस्पताल में काम करने वाले रसोइयों के ड्यूटी के घंटे 12 की बजाय 8 करने की आवश्यकता।	,,
,,	351.	**श्री टी० किरुतिनन**	पैरम्बूर अस्पताल के जिन दंडित रसोइयों की पदोन्नति की गई है, उनके स्थान पर रसोइयों की पदोन्नति करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3 4	5
4	352.	**श्री टी० किरुतिनन** : रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को रात्री भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रु०
,,	353.	**श्री टी० किरुतिनन** : रेल कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उनके विवादों को निपटाने में असफलता ।	,,
,,	354.	**श्री टी० किरुतिनन** : प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की अनावश्यक अधिक भर्ती ।	,,
,,	355.	**श्री टी० किरुतिनन** : रेलवे में काम कर रहे प्रतिस्थापन श्रमिकों को खपाने में असफलता ।	,,
,,	356.	**श्री टी० किरुतिनन** : रेलवे में विद्यमान रिक्त पदों को भरने की असफलता ।	,,
,,	357.	**श्री टी० किरुतिनन** : नैमित्तिक श्रमिकों को खपाने में असफलता ।	,,
,,	358.	**श्री टी० किरुतिनन** : दक्षिण रेलवे त्रिची डिवीजन रेलवे की कर्मचारी प्रगतिवादी यूनियन के सदस्यों को परेशान किया जाना ।	,,
,,	359.	**श्री टी० किरुतिनन** : रेलवे कर्मचारी प्रगतिवादी यूनियन के सदस्यों का दक्षिण रेलवे के दूरस्थ स्थानों में अनावश्यक स्थानातंरण रोकने की आवश्यकता ।	,,
,,	360.	**श्री टी० किरुतिनन** : स्थानान्तरण और पदोन्नति सम्बंधी तालिकाएं तैयार करने के सिद्धांतों का पालन किये बिना तिरुनिलवेलि पी० डब्लू० आई० खंड के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिये अनुचित आदेश जारी किये जाना ।	,,
,,	361.	**श्री टी० किरुतिनन** : दक्षिण रेलवे में तिरुनिलवेलि लोको शैड में लम्बी अवधि से रिक्त अतिदक्ष, अर्धदक्ष पदों और प्रारम्भिक भर्ती ग्रेड के पदों को भरने की आवश्यकता ।	,,
,,	362.	**श्री टी० किरुतिनन** : दक्षिण रेलवे के त्रिची यार्ड तथा अन्य स्थानों पर पर्याप्त संख्या में प्वाइंट्समैन रखने की आवश्यकता ।	,,
5	363.	**श्री टी० किरुतिनन** : दक्षिण रेलवे में सामान्य स्टोर विभाग, मद्रास के लिए इमारतों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5	364.	**श्री टी० किरुतिनन**	सामान्य स्टोर विभाग, मद्रास के भीतर सड़कों का निर्माण करने में असफलता।	100 रु०
,,	365.	**श्री टी० किरुतिनन**	सामान्य स्टोर विभाग, मद्रास के भीतर नलों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	366.	**श्री टी० किरुतिनन**	सामान्य स्टोर विभाग, मद्रास में कैन्टीन के लिए एक अच्छी इमारत की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	367.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे रामनाड, रामेश्वरम खण्डों में बलनथरावाई के निकट कर्मचारी रहित रेलवे फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने में असफलता।	,,
,,	368.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में मदुरै मनमदुरै खंड में तिरुप्पुवनम और पिरुप्पाचेट्टी के बीच परपांकुलम के निकट कर्मचारी रहित एक रेलवे फाटक बनाने में असफलता।	,,
,,	369.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में रामानाथापुरम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शैड की व्यवस्था करने की अवश्यकता।	,,
,,	370.	**श्री टी० किरुतिनन**	रामानाथापुरम रेलवे स्टेशन को जाने वाले मार्ग का उचित अनुरक्षण करने की आवश्यकता।	,,
,,	371.	**श्री टी० किरुतिनन**	मनमदुरै के निकट राष्ट्रीय राजपथ 49 की उपसड़क पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
6	372.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या में कटौती को रोकने में असफलता।	,,
,,	373.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में मितव्ययता के नाम पर वाणिज्यिक क्लर्कों के त्यक्त पदों को बहाल करने में असफलता।	,,
'	374.	**श्री टी० किरुतिनन**	वाणिज्यिक क्लर्कों को 20 साल की सेवा के बाद भी उचित पदोन्नति देने में असफलता।	,,
,,	375.	**श्री टी० किरुतिनन**	टिकट परीक्षकों की शिकायतों को दूर करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
6	376.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति में अवरोध।	100 रु०
7	377.	**श्री टी० किरुतिनन** :	कोयले के सम्बन्ध में समान मूल्य नीति बनाने में असफलता।	,,
10	378.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे में रेलवे क्वार्टरों के सम्बन्ध में बिजली लगाने के खर्च की वसूली को रोकने में असफलता, क्योंकि बिजली लगाने का व्यय इमारत की लागत में शामिल किया जाता है और किराया इमारत की लागत के अनुसार निर्धारित किया जाता है।	,,
,,	379.	**श्री टी० किरुतिनन** :	प्रोत्साहन योजना को समुचित रूप से क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	380.	**श्री टी० किरुतिनन** :	त्रिची रेलवे अस्पताल में एक कान-नाक-गला विशेषज्ञ की नियुक्ति करने में असफलता।	,,
,,	381.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे में सामान्यतः तथा मनमदुरै में विशेषतः कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण करने में असफलता।	,,
,,	382.	**श्री टी० किरुतिनन** :	मनमदुरै रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र में पुरुष डाक्टर के साथ-साथ एक महिला डाक्टर की नियुक्ति करने में असफलता।	,,
,,	383.	**श्री टी० किरुतिनन** :	पेराम्बूर रेलवे अस्पतालमें सरकारी अस्पताल तथा स्टेनले अस्पताल से रोगियों की किसी प्रविष्टि तथा किसी खर्च की वसूली के बिना गैर-सरकारी तौर पर प्रविष्ट करना।	,,
,,	384.	**श्री टी० किरुतिनन** :	पेरम्बूर रेलवे अस्पताल में महिला टी० बी० कक्ष में महिला मेहतर की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	385.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे में पेरम्बूर क्षेत्र में क्वार्टरों की संख्या में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिक मेहतरों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।	,,
,,	386.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे में मेहतरों के पदनाम को आई० सी० एफ० में दिये गये पदनाम की तरह सफाई कर्मचारी का नाम देना करना।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
10	387.	**श्री टी० किरुतिनन** :	पेरम्बूर रेलवे अस्पताल में ज़लपान गृह निर्माण के लिए स्वीकृत 10 हजार रुपये की रकम का उपयोग करने में असफलता ।	100 रु०
,,	388.	**श्री टी० किरुतिनन** :	प्रत्येक वर्ग में छुट्टी रिजर्व सम्बन्धी स्थिति का पूर्ण अध्ययन करने तथा सांविधिक छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	389.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे में गडुर के काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जब तक क्वार्टर अलाट नहीं किये जाते तब तक उनसे नाममात्र का किराया लेकर उन्हें उन्हीं झोपड़ियों में रहने दिया जाये, जो उन्होंने रेलवे की भूमि पर बना रखी हैं ।	,,
,,	390.	**श्री टी० किरुतनन** :	दक्षिण रेलवे के जिन नगरों में नगर-पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों द्वारा परिरक्षित जल सप्लाई किया जाता है उनमें स्थित रेलवे बस्तियों में परिरक्षित जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	391.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों से त्यौहार ऋण की वसूली पांच किश्तों में करने के बजाय दस किश्तों में करने की आवश्यकता ।	,,
,,	392.	**श्री टी० किरुतिनन** :	जो लोको संचल कर्मचारी 100 किलो मीटर की न्यूनतम दूरी तक गाड़ियों के साथ चलते हैं उनके लिये एक रोस्टर तैयार करने तथा मुख्यालय पर 24 घण्टे का विश्राम तथा अन्य स्टेशनों पर 8 घण्टे का विश्राम देने में असफलता ।	,,
,,	393.	**श्री टी० किरुतिनन** :	दक्षिण रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को और विशेषतः पेरम्बूर रेलवे अस्पताल के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश लेने में कठिनाई ।	,,
,,	394.	**श्री टी० किरुतिनन** :	अन्य सरकारी अस्पतालों की तरह उन थियेटर कर्मचारियों और एक्सरे तकनीशियनों को जिन्हें 'जब चाहो बुलाओ' ड्यूटी के लिये रखा जाता है, थियेटर भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
10	395.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे की जी० टी० और सदर्न एक्सप्रेस गाड़ियों में काम करने वाले भोजन कर्मचारियों को गर्म वर्दी देने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	396.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे के ताम्बरम के, जिसे तमिलनाडु सरकार के आदेशानुसार मद्रास शहर का निकटस्थ स्थान घोषित किया गया है, रेलवे कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देने में असफलता।	,,
,,	397.	**श्री टी० किरुतिनन**	जिन इंजीनियरी तथा चिकित्सा कर्मचारियों को ब्रेक-डाउन स्पेशल गाड़ियों में ड्यूटी पर लगाया जाता है, उन्हें मैकेनिकल तथा बिजली कर्मचारियों की तरह "ब्रेक डाउन भत्ता" देने की आवश्यकता।	,,
,,	398.	**श्री टी० किरुतिनन**	जी० एस० डी० मद्रास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किसी लिखित परीक्षा तथा प्रशिक्षण के बिना पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर, तृतीय श्रेणी में पदोन्नत करने की आवश्यकता।	,,
,,	399.	**श्री टी० किरुतिनन**	मद्रास सेन्ट्रल के रेलगाड़ी विद्युत् विभाग के मिस्त्रियों की लगा- तार दो सप्ताह रात्रि ड्यूटी रोस्टर को बदल कर, एक सप्ताह रात्रि ड्यूटी रोस्टर करने में दक्षिण रेलवे प्रशासन की असफलता।	'
,,	400.	**श्री टी० किरुतिनन**	यार्ड कर्मचारियों को न्यायोचित साप्ताहिक विश्राम से वंचित किया जाना।	,,
,,	401.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे शिवगंगा, मनमदुरै खण्ड में शिवगंगा, कालेज के निकट एक झंडी स्टेशन खोलने में असफलता।	,,
,,	402.	**श्री टी० किरुतिनन**	मदुरै-मनमदुरै खण्ड में राजागमतीराम के निकट झंडी-स्टेशन खोलने में असफलता।	,,
,,	403.	**श्री टी० किरुतिनन**	विरुदुनगर से अरुपुक्कट्टाई-मनमदुरै-त्रिचीं और कोर्ड होकर मद्रास तक जाने वाली एक सीधी एक्सप्रैस गाड़ी चलाने में असफलता।	,,
,,	404.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में मनमदुरै जंक्शन को प्रथम श्रेणी का कोटा अलाट करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
14	405.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में तिरुनेलवली और कन्या-कुमारी के बीच रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	100 रु०
,,	406.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में त्रिवेन्द्रम से नागरकोयल होकर तूतीकोरिन तक रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।	,,
,,	407.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में करुर, डिन्डो, गुल, मदुरै और तूतीकोरिन के बीच बड़ी लाइन बनाने में असफलता ।	,,
,,	408.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में अरंथांकी, ठांडी, राम-नाथपुरम् से तूतीकोरिन तक नई रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण करने में असफलता ।	,,
,,	409.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में ठांडी, इलायंगेर्डी, मनमदुरै, कमुटनी और तूतीकोरिन के बीच नई रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण करने में असफलता ।	,,
,,	410.	**श्री टी० किरुरिनन**	दक्षिण रेलवे में मदुरै, मेलुर, तिरुपाथुर और कराईकुडी के बीच नई रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण करने में असफलता ।	,,
,,	411.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में डिंडीगुल और कराईकुडी के बीच नई रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	412.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में तंजौर और पट्टूकोटाई के बीच नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
	413.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में मदुरै से कोट्टायम तक नई रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
15	414	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में मद्रास और अरकोना के बीच विद्युतीकरण का कार्य करने में असफलता ।	,,
,,	415.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में मद्रास और विजयवाडा के बीच विद्युतीकरण कार्य करने में असफलता ।	,,
,,	416.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में त्रिची तक बिजली लगाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
15	417.	**श्री टी० किरुतिनन**	दक्षिण रेलवे में शिवगंगा-मनमदुरै लाइन पर बन्द नैडुरगुलम रेलवे स्टेशन को पुनः चालू करने में असफलता ।	100 रु०
1	418.	**डा० सरदीश राय**	पूर्व रेलवे में विशेषतः हावड़ा, आसनसोल और सियालदह डिवीजनों में रेल सम्पत्ति की व्यापक चोरी को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय ।
4	422.	**श्री अजीत कुमार साहा**	समय-सारणी के अनुसार गाड़ियों को ठीक समय चलाने में असफलता ।	100 रुपये
,,	425.	**श्री अजीत कुमार साहा**	चक्रधरपुर से हावड़ा तक बरास्ता आद्रा और खड़गपुर एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाना ।	,,
,,	426.	**श्री अजीत कुमार साहा**	आसनसोल-पुरी यात्री गाड़ी को एक्सप्रैस गाड़ी में बदलने की आवश्यकता ।	,,
1	427.	**डा० सरदीश राय**	सूरी और हावड़ा के बीच एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
5	429.	**डा० सरदीश राय**	पूर्व रेलवे के ए० के० और बी० के० खंड में रेलवे स्टेशनों का सुधार करने में असफलता ।	,,
15	433.	**श्री अजीत कुमार साहा**	आद्रा-खड़गपुर डिवीजन में बांकुवा क्षेत्र सहित रेलवे क्षेत्र का विद्युतीकरण ।	,,
,,	434.	**श्री अजीत कुमार साहा**	बी० डी० आर० रेल में छोटी लाइन का जो बॉकुआ से रैना तक जाती है, बड़ी लाइन में बदलना ।	,,
,,	435.	**श्री अजीत कुमार साहा**	टाटा नगर से दुर्गापुर तक पश्चिमी बंगाल के जिला दक्षिण बांकुआ होती हुई एक नई लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
15	437.	**श्री सरदीश राय**	सूरी-बुलपुर मार्ग पर सूरी स्टेशन (पूर्व रेलवे) के निकट एक ऊपरी पुल का निर्माण करने में असफलता ।	,,
4	455.	**श्री अजीत कुमार साहा**	दुर्गापुर और आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये दुर्गापुर होती हुई बर्दवान और आसनसोल के बीच पारी-कार रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	100 रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	456.	**श्री अजीत कुमार साहा**	कलकत्ता उपनगरीय खण्ड का बर्दवान से आसनसोल तक विस्तार करने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	457.	**श्री अजीत कुमार साहा**	पूर्व रेलवे के खाना जंक्शन से शेबगंज लूप खण्ड एक दुहरी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	458.	**श्री अजीत कुमार साहा**	इकलाखी और बलूरघाट के बीच एक नई बड़ी लाइन का निर्माण करने में असफलता।	,,
,,	459.	**श्री अजीत कुमार साहा**	शान्तपुर कृष्णनगर—सिटी-नवद्वीप-घाट खण्ड को बड़ी लाइनमें बदलने में असफलता।	,,
,,	460.	**श्री अजीत कुमार साहा**	दम-दम जंक्शन—बोनगांव खण्ड को सताबरा तक दुहरी लाइन में बदलने में असफलता।	,,
,,	461.	**श्री अजीत कुमार साहा**	लक्ष्मी—कामतापुर और नामखाना के बीच काकद्वीप होती हुई एक नई लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
15	462.	**श्री अजीत कुमार साहा**	भेदिया और बनपास स्टेशनों पर ऊपरी पुलों के निर्माण की आवश्यकता।	,,
,,	463.	**श्री अजीत कुमार साहा**	भेदिया और बनवास स्टेशनों पर प्लेट फार्म बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	464.	**अजीत कुमार साहा**	रणघाट—लालगोता खण्ड को बी० ए० के० लूप लाइन के साथ मिलाने के लिए जयगंज और आजिमगंज के बीच एक पुल बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	465.	**श्री अजीत कुमार साहा**	त्रिवेणा स्टेशन को नया रूप देने के साथ-साथ बी० वी० के० लूप लाइन में विद्युतीकरण कार्य के विस्तार और डीजल इंजनों को चलाने की आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
13	474.	**श्री मनोरंजन हाजरा**	पूर्व रेलवे के उपनगरीय खण्ड में रेलों में अधिक ई० एम० यू० डिब्बे लगाने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	475.	**श्री मनोरंजन हाजरा**	लम्बी और कम दूरी तय करने वाली दोनों प्रकार की गाड़ियों में अधिक उपयुक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
13	476.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	पूर्व रेलवे को बन्डेल--कटवा खण्ड का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	477.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	वास्तविक छात्रों द्वारा खरीदे गये मासिक टिकटों के किराये को कम करने की आवश्यकता।	,,
,,	478.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	वस्तुतः बेरोजगार युवा व्यक्तियों को मासिक टिकट जारी करने की आवश्यकता।	,,
,,	479.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	पूर्व रेलवे के हावड़ा-बन्डेल और कटवा खण्ड की उपनगरीय गाड़ियों में यात्रा करने वाले फेरीवालों के लिये यात्रा भाड़ा कम करने की आवश्यकता।	,,
,,	480.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	दमदम से प्रिंसेप घाट (कलकत्ता) तक विप्रथम लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	481.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	हावड़ा, अमता और शेखाला लाइन के स्थान पर एक नई बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	182.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	चितरंजन लोकोमोटिव मजदूर संघ को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
,,	483.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	पूर्व रेलवे के हावड़ा-बन्डेल खण्ड में बाली से सेरमपुर तक एक और लाइन बिछाने की आवश्यकता।	,,
,,	484.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	बंडेल, शीराफुली और कोननगर उपमार्ग को नया रूप देने की आवश्यकता।	,,
,,	485.	**श्री मनोरंजन हाजरा** :	सेरमपुर जी० टी० रोड रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता।	,,
1	516.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास करने हेतु गाजीपुर की मुख्य रेलवे लाइन (दिल्ली-हावड़ा) के साथ जोड़ने के लिए गंगा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	517.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण निलम्बित किये गये पूर्वोत्तर रेलवे में इजतनगर के कर्मचारियों को उनकी निलम्बित अवधि वेतन देने में असफलता।	100 रु०
,,	518.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पूर्वोत्तर रेलवे में इजतनगर के रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने में असफलता।	,,
,,	519.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	सप्ताह में दिल्ली से हावड़ा तक बरास्ता पटना एक और डिलक्स गाड़ी चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	520.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पटना (पूर्व रेलवे) के राजेन्द्र नगर स्टेशन को चालू करने की आवश्यकता।	,,
,,	521.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पटना के निकट मीठापुर पर एक पक्का ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	,,
,,	522.	**श्री रामावातार शास्त्री** :	पटना अथवा दानापुर में रेलवे सेवा आयोग का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
,,	523.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	दक्षिण पटना के विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए पटना जंक्शन स्टेशन के दक्षिण भाग में यात्रियों के लिए एक रेलवे टिकट घर खोलने और वहां पर लकड़ी के एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
5	547.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	मुख्य इंजीनियर और मंडल अधीक्षक, हावड़ा द्वारा सियालदह, आसनसोल और हावड़ा मंडल के रेल-पथ निरीक्षकों और सहायक रेल-पथ निरीक्षकों की प्रार्थना की सुनवाई न करना, जब वे कार्य-संचालन सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत करने हेतु उनसे मिले थे।	,,
,,	548.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग और शाखा अध्यक्षों तथा सहायक अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व बताकर और उन उत्तरदायित्वों को इंजीनियरिंग विभाग के सामान्य नियम में शामिल करके, कसने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5	549.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेल-पथ निरीक्षकों और सहायक रेल-पथ निरीक्षकों की, जो 24 घंटे रेलवे की सेवा के लिए तत्पर हैं ड्यूटी के घन्टे निर्धारित करने में असफलता।	100 रु०
,,	550.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	आज के सभ्यता के युग में रेल-पथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों को अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	551.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	गंगमैन की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	,,
,,	552.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	104 मंडल रेल पथ डिपुओं को चरण-बद्ध करने के लिए कुशलता ब्यूरो के अध्ययन प्रतिवेदन संख्या 2/66 में दी गई सिफारिश संख्या 35 को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	553.	**श्री रामवतार शास्त्री** :	रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेल-पथ निरीक्षकों का क्षेत्राधिकार निर्धारित करने हेतु कुशलता ब्यूरो के अध्ययन प्रतिवेदन संख्या 2/ 66 में दी गई सिफारिश संख्या 30 को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	554.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रिक्लेमेशन डिपुओं की व्यवस्था हेतु कुशलता ब्यूरो के अध्ययन प्रतिवेदन संख्या 2/ 66 में दी गई सिफारिश संख्या 23 को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	555.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	लिलुआ के रेलपथ निरीक्षक और उसके कर्मचारियों को गैर-कानूनी ढंग से बन्दी बनाने की घटना में ईस्टर्न रेलवे मैन्स कांग्रेस की हावड़ा शाखा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	,,
,,	556.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	बामनगाछी, पूर्व रेलवे के रेलपथ निरीक्षक 1968 से पड़ी हुई अपील का पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अधिकारियों द्वारा निबटारा करने में असफलता।	,,
	557.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	वांचू समिति की सिफारिशों के पैरा 105 (I), (II), (III), और (IV), को लागू करने में असफलता, अर्थात् रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5			निरीक्षकों को दर्जा और प्राधिकार देकर उन्हें प्रबन्ध के कनिष्ठ सदस्य माना जाये।	
,,	558.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेल पथ समाग्री की सप्लाई में कमी के बारे में कुंजरू समिति की सिफारिशों को संख्या 242/82, पैरा 81 को लागू करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप रेलपथ के घटिया नमूने प्राप्त होना।	100 रु०
,,	559.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	1962 में हुए मुख्य इंजीनियरों के सम्मेलन में किये गये इस प्रस्ताव को कि रेलपथ निरीक्षक का कार्य क्षेत्र लगभग 40 मील तक का होना चाहिए और उसके अधीन दो सहायक रेलपथ निरीक्षक होने चाहिए, शीघ्रता से लागू करने सम्बन्धी कुंजरू समिति की सिफारिश की मद संख्या 242/113, पैरा 161 को लागू करने में असफलता।	,,
,,	560.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	प्रत्येक रेलपथ निरीक्षक पर भंडारों की देखरेख और उनके हिसाब-किताब सम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्धारित करने और उन्हें अपेक्षित राहत देने की सिफारिश करने के सम्बन्ध में कुंजरू समिति की रिफारिशों की मद संख्या 242/14 को लागू करने में असफलता।	,,
,,	561.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे दुर्घटनाओं जांच सम्बन्धी कुंजरू और वांचू समिति द्वारा रेलों पर रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों के हक में की गई सिफारिशों को लागू करने में असफलता।	,,
,,	562.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलपथ निरीक्षकों को उनके भण्डार सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्त करने सम्बन्धी रेलवे कुशलता ब्यूरो के अध्ययन प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने में असफलता।	,,
2	579.	**श्री सी० जनार्दनन** :	कुट्टीपुरम और गमक्यर के बीच लाइन का सर्वेक्षण करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये।
,,	580.	**श्री सी० जनार्दनन** :	तेलीचेरी और मैसूर के बीच लाइन का सर्वेक्षण करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	584.	**श्री सी० जनार्दनन**	ओल्लूर रेलवे स्टेशन (केरल) में रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	585.	**श्री सी० जनार्दनन**	कोचिन से मंगलोर तक सुबह एक तेज गाड़ी चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	586.	**श्री सी० जनार्दनन**	कोचिन से मद्रास तक सुबह एक तेज गाड़ी चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	587.	**श्री सी० जनार्दनन**	वादक्कांचे रेलवे फाटक एक पर ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	588.	**श्री सी० जनार्दनन**	लाइसेंस शुदा रेलवे कुलियों को उपयुक्त मजदूरी तथा अन्य सुविधायें देने में असफलता।	,,
2	589.	**श्री सी० जनार्दनन**	रेलवे विश्राम गृहों का किराया कम करने की अवश्यकता।	,,
3	590.	**श्री सी० जनार्दनन**	ओल्लूर रेलवे स्टेशन तथा उसके माल गोदाम का पुनर्निर्माण करने में सरकार की असफलता।	,,
,,	591.	**श्री सी० जनार्दनन**	कलकत्ता से कोचिन तक एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	592.	**श्री सी० जनार्दनन**	दिल्ली से कोचिन तक एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	593.		कोचिन से बम्बई तक एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
13	598.	**श्री रामावतार शास्त्री**	तृतीय श्रेणी का रेल किराया बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्तावों को वापस लेने की आवश्यकता।	,,
,,	599.	**श्री रामावतार शास्त्री**	तृतीय श्रेणी के यात्रियों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।	,,
1	609.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिविजन में जावरा, रतलाम और मन्दसौर स्टेशनों के निकट ओ० टी० पुलों का निर्माण करने में असफलता।	,,
,,	610.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन में मंदसौर यात्री प्रतिक्षालय और प्लेट फार्म में समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
,,	611.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिविजन में हसपुरा स्टेशन पर सभी यात्री गाड़ियों (डाक गाड़ियों को छोड़ कर) के न रुकने के कारण यात्रियों को असुविधा।	100 रु०
,,	612.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेल लाइनों के विद्युतीकरण में करोड़ों रुपये का गोलमाल।	,,
,,	613.	**श्री रामावातर शास्त्री**	रेल विद्युतीकरण, इलाहाबाद के छंटनी किये गये कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे वापस लेने के बावजूद उन्हें बहाल करने में असफलता।	,,
,,	614.	**श्री रामावाा र शास्त्री**	रेलवे विद्युतीकरण, इलाहाबाद के छंटनी किये गये कर्मचारियों के सम्बध में रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में असफलता।	,,
,,	615.	**श्री रामावातर शास्त्री**	सराय रोहिल्ला, दिल्ली उत्तर रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक की मजदूर-विरोधी कार्यवाही।	,,
,,	616.	**श्री रामावतार शास्त्री**	उत्तर रेलवे के सराय रोहिल्ला के सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उनसे छुआ-छूत का व्यवहार।	,,
,,	617.	**श्री रामावतार शास्त्री**	उत्तर रेलवे के सराय रोहिल्ला स्टेशन के सफाई कर्मचारियों को आवश्यक सामान देने में असलफता।	,,
,,	618.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के दानापुर स्टेशन पर एक विश्राम गृह के निर्माण की आवश्यकता।	,,
,,	619.	**श्री रामावातर शास्त्री**	पूर्व रेलवे के दानापुर के विद्यमान पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता।	,,
,,	620.	**श्री रामावतार शास्त्री**	दानापुर (खगोल) नगरपालिका को और अधिक आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता।	,,
,,	621.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के नेवरा प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता।	,,
,,	622.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के नेवरा स्टेशन पर एक ऊपरी पुल के निर्माण की आवश्यकना।	,
,,	623.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के नेवरा स्टेशन पर एक पार्सल कार्यालय खोल आवश्यकता।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	624.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के सदीसोपुर, नेवरा फुलवाड़ी शरीफ और बांगाघाट रेलवे स्टेशनों के प्लेट फार्मों के दोनों ओर शेडों के निर्माण की आवश्यकता।	100 रु०
,,	625.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन स्टेशन का नाम बदलकर पाटलीपुत्र रखने की आवश्यकता।	,,
,,	626.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के पटना सिटी स्टेशन का नाम बदलकर पटना साहेब रखने की आवश्यकता।	,,
,,	627.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर तारेगना स्टेशन के सामने एक शेड के निर्माण की आवश्यकता।	,,
,,	628.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के तारेगना स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के निकट एक शेड के निर्माण की आवश्यकता।	,,
,,	629.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना गया लाइन पर तारेगना स्टेशन पर एक श्रेणी के एक प्रतीक्षालय के निर्माण की आवश्यकता।	,,
,,	630.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना-गया लाइन पर परसा बाजार, पोठाही, नदवां, तारेगना स्टेशनों पर पेय जल की अपर्याप्त व्यवस्था।	,,
,,	631.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर परसा बाजार, पठाही, नदवां स्टेशनों के प्लेट फार्मों को ऊचा करने की आवश्यकता।	
,,	632.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के बिहटा, सदीसोपुर और नेवर स्टेशनों पर पेय जल की कमी।	
,,	633.	**श्री रामावतार शास्त्री**	"इंडियन रेलवे लोको मकैनिकल स्टाफ ऐसोसिएशन की पांच सूत्री मांग स्वीकार करने की आवश्यकता।	
,,	634.	**श्री रामावतार शास्त्री**	जमालपुर रेलवे कारखाने में पीतल की चोरी रोकने में असफलता।	
,,	635.	**श्री रामावतार शास्त्री**	जमालपुर रेलवे कर्मशाला (वर्कशाप) में होने वाली चोरी में रेलवे अधिकारियों का हाथ।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	636.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इंडिया रेलवे परमानेन्ट वे इंस्पेक्टर्स एण्ड असिस्टेंट परमानेन्ट वे इन्स्पेक्टर्स ऐसोसिएशन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 रु०
,,	637.	**श्री रामावतार शास्त्री**	उन सभी अमान्य यूनियनों को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	638.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आवश्यकतानुसार गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने की आवश्यकता ।	,,
,,	639.	**श्री रामावतार शास्त्री**	विद्युतीकरण का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराने की बजाय विभागीय आर० बी० ओ० के माध्यम से कराने की आवश्यकता ।	,,
,,	640.	**श्री रामावतार शास्त्री**	विद्युतीकरण करने के लिए दिए गये ठेकों को रद्द करने की आवश्यकता ।	,,
,,	641.	**श्री रामावतार शास्त्री**	ठेकेदारों द्वारा विद्युतीकरण के नाम पर की जा रही लूट को समाप्त करने में असफलआ ।	,,
,,	642.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इण्डिया रेलवे मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ ऐसोसिएनशन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	643.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इण्डिया रंगिन स्टाफ ऐसोसिऐशन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	644.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इण्यिा कैरेज एण्ड बैगन स्टाफ कौंसिल को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	645.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इण्डिया चेकिंग स्टाफ ऐसोसिएशन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	646.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इण्डिया गार्ड कौंसिल को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
2	647.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अजमेर-खंडवा रेलगाड़ी के डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये
,,	648.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	अजमेर और खंडवा के बीच एक नई रेल गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
,,	649.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	इंदोर दोहाद रेलवे लाइन के सर्वेक्षण तथा निर्माण में विलम्ब ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	650.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	विक्रमगढ़ अलाट स्टेशन पर के यात्रियों लिये उचित सुविधाओंकी व्यवस्था करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय।
,,	651.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	अजमेर और खंडवा के बीच एक नई मेल गाड़ी चलाने में असफलता।	,,
,,	652.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	नीमच लोको शेड का विस्तार करने में असफलता।	,,
,,	653.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	तीसरी श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	654.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रेलवे कर्मचारियों को गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्था करके अपनी मर्जी के किसी संघ में सम्मिलित होने की अनुमति देने में असफलता।	,,
,,	655.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिविजन में जओरा और ढोढर रेलवे स्टेशनों के बीच झंडी-स्टेशन बनाने में असफलता।	,,
,,	656.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिविजन में कचनारा झंडी स्टेशन को हाल्ट स्टेशन में बदलने में असफलता।	,,
,,	657.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गये कर्मचारियों के परिवारों कोपर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता।	,,
,,	658.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रेलवे में सामान की चोरी रोकने में असफलता।	
4	659.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था किये बिना रेल के किरायों में वृद्धि।	,,
,,	660.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिविजन को जानेवाली और वहां से आने वाली गाड़ियों (मीटर गेज और ब्राड गेज) के समय में जो अन्तर पड़ जाता है उससे यात्रियों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने में असफलता।	,,
,,	661.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	नीमच, मंडसोर, रतलाम और जओरा (पश्चिम रेलवे, रतलाम डिविजन) में कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी की समस्या को हल करने में असफता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
,,	662.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** :	यात्री गाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में पर्याप्त संख्या में परिचरों की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रु०
,,	663.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** :	रेलवे में सामान की चोरी रोकने में असफलता ।	,,
6	664.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	सिग्नल तथा दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
,,	665.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	यात्री-गाड़ियों के साथ रद्दी इंजनों का लगाया जाना ।	,,
,,	666.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार रेलों को कोयला सप्लाई करने में असफलता ।	,,
7	667.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	कोयले की चोरी तथा बरबादी ।	,,
,,	668.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलों के लिए निजी खान मालिकों से कोयला खरीदने की बजाय उसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से खरीदने की आवश्यकता ।	,,
,,	669.	**श्री रामावातार शास्त्री** :	विद्युत् विभाग के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
,,	670.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** :	रेल के डिब्बों, विशेष कर तीसरे दर्जे के रेल के डिब्बों में रोशनी की व्यवस्था करने में असफलता ।	
,,	671.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** :	मध्यप्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध होने पर भी भोपाल से रतलाम तक विद्युत चालित गाड़ियों का न चलाया जाना ।	,,
,,	672.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** :	रतलाम डिवीजन में मंदसौर, नीमच, सुवासरा, नागदा, खचरोड़ और जावरा स्टेशनों के रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था में असफलता ।	,,
,,	673.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** :	रतलाम डिवीजन में जावरा, मंदसौर, नीमच और रतलाम में सभी श्रेणियों के आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की नई भर्ती करने में असफलता ।	,,
9	674.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेल दुर्घटनाओं में ग्रस्त कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा देने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम / कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3 4	5
9	675.	**श्री रामावतार शास्त्री** : विभागीय कैंटीनों में रद्दी खाना दिया जाना।	100 रु०
,,	676.	**श्री रामावतार शास्त्री** : रेलवे में निजी कैंटीनों को बन्द करने में असफलता।	,,
,,	677.	**श्री रामावतार शास्त्री** : इटावा रेलवे स्टेशनों पर रद्दी खाना सप्लाई करने के कारण निजी कैंटीन को बन्द करने और विभागीय कैंटीन चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	678.	**श्री रामावतार शास्त्री** : टटिहार स्टेशन पर निजी कैंटीनों को बन्द करने और विभागीय कैंटीनों को चलाने की आवश्यकता।	,,
10	679.	**श्री रामावतार शास्त्री** : रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करने में विलम्ब।	,,
1	686.	**श्री रामावतार शास्त्री** : नार्दर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
,,	687.	**श्री रामावतार शास्त्री** : पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
,,	588.	**श्री रामावतार शास्त्री** : आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कनफेडरेशन को मान्यता की आवश्यकता।	,,
,,	689.	**श्री रामावतार शास्त्री** : ऑल इण्डियन स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन को मान्यता देने की आवश्यता।	,,
,,	690,	**श्री रामावतार शास्त्री** : इण्डियन रेलवे लोको-मैकैनिकल स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
4	691.	**श्री रामावतार शास्त्री** : सभी रेलों में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए आठ घण्टे की ड्यूटी निर्धारित करने की आवश्यकता।	,,
10	692.	**श्री रामावतार शास्त्री** : पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर में एक हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता।	,,
11	693.	**श्री रामावतार शास्त्री** : पेंशन के भुगतान में अनियमितताएं।	,,
,,	694.	**श्री रामावतार शास्त्री** : सभी रेल कर्मचारियों को क्वार्टर देने में असफलता।	,,
,,	695.	**श्री रामावतार शास्त्री** : रेलवे क्वार्टरों में पंखों की कमी।	,,
,,	696.	**श्री रामावतार शास्त्री** : चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवास की असन्तोषजनक व्यवस्था।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
11	697.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेल कर्मचारियों के इलाज की असन्तोषजनक व्यवस्था।	100 रु०
2	698.	**श्री रामावतार शास्त्री**	विक्रम, पालीगंज, अरवाल और कुरथा होते हुए बिहटा से जहांबाद तक एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षणकी आवश्यकता।	,,
,,	699.	**श्री रामावतार शास्त्री**	इस्लामपुर होते हुए जहांबाद से राजगीर तक एक नई रेललाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता।	,,
,,	700.	**श्री रामावतार शास्त्री**	दानापुर से डहरी-आन-सोन तक नदी के साथ-साथ रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता।	,,
,,	701.	**श्री रामावतार शास्त्री**	केन्द्रीय जांच ब्यूरो का असन्तोषजनक कार्य।	,,
4	702.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेलवे प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन में असफलता।	,,
,,	703.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इण्डिया मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन की मांगों को स्वीकार करने में असफलता।	,,
,,	704.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना-गया लाइन पर जहानाबाद के पश्चात् तारेगाना (मसौरची) स्टेशन पर राची एक्सप्रैस गाड़ी के रुकने की आवश्यकता।	,,
,,	705.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना से धनबाद तक प्रातः एक रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	706.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना से धनबाद तक एक सीधी रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	707.	**श्री रामावतार शास्त्री**	दक्षिण एक्सप्रैस गाड़ी के पटना शहर स्टेशन पर रुकने की आवश्यकता।	,,
,,	708.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना-गया लाइन पर बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता।	,,
,,	709.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना-गया लाइन पर चलने वाली यात्री-गाड़ियों में जल तथा रोशनी की असन्तोषजनक आवश्यकता।	,,
,,	710.	**श्री रामावतार शास्त्री**	गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता।	,,
,,	711.	**श्री रामावतार शास्त्री**	गाड़ियों से बिजली के बल्ब, पंखे तथा अन्य वस्तुओं की चोरी को रोकने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	712.	**श्री रामावतार शास्त्री**	तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	100 रु०
,,	713.	**श्री रामावतार शास्त्री**	दानापुर तथा पटना जंक्शन स्टेशनों पर सफाई की असन्तोषजनक व्यवस्था।	,,
,,	714.	**श्री रामावतार शास्त्री**	बरौनी से मुगलसराय तक सीधी यात्री गाड़ी अथवा शटलगाड़ी चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	715.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्वी रेलवे में पटना-गया लाइन पर सभी स्टेशनों पर रुकनेवाली गाड़ी चलाने की आवश्यकता, जो पटना 6 बजे म० प० पहुंचे।	,,
15	716.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	जावरा, मंदसौर तक नीमच स्टेशनों के रेल प्लेटफार्मों पर उपयुक्त और पर्याप्त शैडों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	717.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन के मुख्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए क्वाटरों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	718.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में प्राय: सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलम्ब।	,,
,,	719.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन से सभी रेल प्लेटफार्मों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने में विलम्ब।	,,
,,	720.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	अजमेर-खंडवा लाइन का विकास करने और उसे नया रूप देने में विलम्ब।	,,
,,	721.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में जावरा, मंदसौर और नीमच रेल स्टेशनों पर माल-गाड़ियों के शैडों में पर्याप्त सुविधाओं (अर्थात् शैड पक्के प्लेटफार्म टेलीफोन आदि) की व्यवस्था करने में विलम्ब।	,,
1	731.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लाभों का न दिया जाना।	,,
	732.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	पश्चिम रेलवे के विक्रमगढ़, आलोट, रतलाम और मंडसार में कई स्थानों पर रेलवे फाटक पर गेटमैन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	733.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	दिल्ली-हैदराबाद मोटर लाइन पर एक और गाड़ी चलाने में विलम्ब ।	100 रु०
,,	734.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में मंडसौर, नीमच और जवरा स्टेशनों पर महिलाओं के लिए पृथक और उपयुक्त तृतीय श्रेणी विश्राम गृहों का न होना ।	,,
,,	735.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	दिल्ली और बम्बई के बीच एक और यात्री गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
,,	736.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रेल गाड़ियों में लूट और चोरी की घटनाओं को रोकने में विलम्ब ।	,,
2	737.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	,,
	738.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में दीर्घकाल से काम करते आ रहे तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थाई करने में विलम्ब ।	,,
,,	739.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में मंडसौर और नीमच पर उपयुक्त रेलवे विश्राम गृहों की आवश्यकता ।	,,
4	740.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में श्यामगढ़, सुवासरा, जवरा, मंडसौर और नीमच पर कार्यभार को देखते हुये कर्मचारियों की कमी को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	741.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में बड़ी लाइनों और मीटर लाइनों पर डीजल इंजनों की व्यवस्था करने में विलम्ब ।	,,
,,	742.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	सीधी भर्ती के प्रतिशत को न्यूनतम करके रेलवे कर्मचारियों केलिये विभागीय पदोन्नति के अवसर बढ़ाने में असफलता ।	,,
,,	743.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	रतलाम डिवीजन में जवरा, मंदसौर और नीमच पर भारी कार्य भार के बावजूद कर्मचारियों की कमी दूर करने में असफलता ।	,,
,,	744.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे**	सुवासरा (रतलाम डिवीजन) और सीतामाऊ (जिला मंडसौर) के बीच एक रेलवे आउट-एजेन्सी की व्यवस्था करने में विलम्ब ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	745.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन में जवरा और पिपलौदा के बीच एक रेलवे आउट-एजेन्सी की व्यवस्था करने में विलम्ब।	100 रु०
,,	746.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन के रतलाम और अजमेर के बीच नये रेलवे स्टेशन बनाने में असफलता।	,,
,,	747.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	देहरादून एक्सप्रेस को बंमरीद (रतलाम डिवीजन) पर रोकने की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	748.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये नये डिब्बे लगाने में विलम्ब।	,,
,,	749.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की असुविधा को देखते हुए दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली प्रत्येक गाड़ी में रतलाम से एक और डिब्बा जोड़ने में विलम्ब किये जाने के परिणामस्वरूप यात्रियों में व्याप्त असंतोष को दूर करने में असफलता।	,,
6	750.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन में मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में कंडक्टरों की कमी को दूर करने में असफलता।	,,
,,	751.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन में रतलाम और अजमेर के बीच रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता।	,,
10	752.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन के लोको शेड कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी एशोसिएशन बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	753.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन में रतलाम और नीमच पर लोकों शेड कर्मचारियों के काम के घंटों को कम करने की असफलता।	,,
,,	754.	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे**	रतलाम डिवीजन में रतलाम-नीमच में स्थित रेलवे अस्पतालों में विशेषज्ञों की नियुक्ति में विलम्ब।	,,
1	770.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन**	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर तेल्लिचेरी नगर में एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	771.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर पेडाकाड (जिला कन्नानोर—केरल) में दो ऊपरी रेल पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रु०
,,	772.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	कोचीन से मंगलौर तक प्रात: एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	773.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	कोचीन से मद्रास तक प्रात: एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	774.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	मंगलौर जाने वाली तीन बोगियों सहित कोचीन से बम्बई तक एक सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	775.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	कोचीन से दिल्ली तक तथा कोचीन से कलकत्ता तक सीधी गाड़ियां चलाने की आवश्यकता जिनमें प्रत्येक के साथ मंगलौर से तीन बोगियां जोड़ने की व्यवस्था हो ।	,,
,,	776.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	कोचीन बन्दरगाह के अन्तिम स्टेशन तथा त्रिवेन्द्रम के बीच दुहरी रेल लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	777	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
14.	778.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	तेल्लीचेरी से मैसूर तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	779.	**श्री के० सी० चन्द्रप्पन**	कोचीन से क्विलोन तक बरास्ता ऐल्लेप्पी तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	780.	**श्री मोहम्मद ताहिर**	इस्लामी संस्थाओं को दी जाने वाली रियायती सुविधाएं बन्द करना ।	,,
,,	785.	**श्री मोहम्मद ताहिर**	पूर्णिया जंक्शन के निकट राष्ट्रीय राजपथ पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
14	790.	**श्री मोहम्मद ताहिर**	पूर्वोत्तर तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में बरौनी से बारसोई तक बड़ी लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
3	793	**श्री सी० जनार्दनन**	त्रिचुर स्टेशन के लिए निर्माण हो रही नई इमारत में रेल कुलियों के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था करने में असफलता ।	
	801.	**श्री प्रसन्न भाई मेहता**	प्रशासनिक व्यय कटौती ।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3 4	5
4	802.	**श्री प्रसन्न भाई मेहता** : भावनगर डिवीजन के नियंत्रण कक्ष में लम्बी सेवा वाले कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे के अधिकारियों द्वारा स्थायी करने में असफलता।	100 रु०
5	803.	**श्री प्रसन्न भाई मेहता** : रेल डिब्बों और माल-डिब्बों का उपयुक्त अनुरक्षण करने में असफलता।	''
''	804.	**श्री प्रसन्न भाई मेहता** : विद्युत् सेवाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	''
1	834.	**श्री रामावतार शास्त्री** : रेलगाड़ी परीक्षकों तथा अन्य रेल कर्मचारियों की, जनता तथा शरारती रेल कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहार तथा मारपीट से. रक्षा करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय।
''	835.	**श्री रामावतार शास्त्री** : पूर्व रेलवे, में उच्च श्रेणी की पर्यटक गाड़ियों को, जिनका जनता द्वारा प्रायः कभी प्रयोग नहीं किया जाता, और जिनका प्रयोग केवल रेलवे अधिकारी करते हैं, कायम रखने के कारण होने वाले धन के अपव्यय को रोकने में असफलता।	,
''	836.	**श्री रामावतार शास्त्री** : दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे में बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों की कोयला खान साइडिंगों से और पूर्व रेलवे में नैहाटी, बन्देल, हावड़ा और कोननगर के आसपास के औद्योगिक संस्थानों की साईडिंगों से माल-गाड़ी के डिब्बों से पुराने तरीके की ब्रेक गियर फिटिंग और बक्सों की चोरियों को रोकने में असफलता।	''
''	837.	**श्री रामावतार शास्त्री** : चितपुर यार्ड में मालगाड़ी के डिब्बों को तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने में असलफता, यद्यपि डिब्बे तोड़ने वाले कुछ लोग चितपुर के रेलवे क्वार्टरों में ही रहते हैं।	''
''	840.	**श्री रामावतार शास्त्री** : रिक्त पड़े पदों पर अति कुशल मिस्त्रियों की पदोन्नति करने में सियालदाह डिवीजन के डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर (कैरेज एण्ड वैगन) का उपेक्षापूर्ण रवैया।	100 रुपये
''	841.	**श्री रामावतार शास्त्री** : मेकेनिकल कर्मशालाओं के कर्मचारियों के साथ उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के समान अवसर प्रदान	''

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	4
			करने से इंकार करके पूर्व रेलवे के कैरेज तथा वैगन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा मिस्त्रियों को सितम्बर, 1970 में काम बन्द करने के लिए मजबूर किया जाना।	
1	842.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	दक्षिण-पूर्व रेलवे में प्रचलित पदों के अनुपात में, पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा तथा पश्चिम रेलवे में 450-575 रुपये के वेतन क्रम में कैरेज तथा वैगन निरीक्षकों के पर्याप्त संख्या में पद बनाने से इंकार।	100 रु०
,,	843.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	सभी रेलों में 2 अप्रैल, 1966 को या उसके बाद 180-240 रुपये के वेतनक्रम, में नियुक्त अथवा पदोन्नत हुए गाड़ी निरीक्षकों ग्रेड 'डी' के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, यद्यपि उनके कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व उन गाड़ी-निरीक्षकों के बराबर हैं जो 1 अप्रैल, 1966 को या इससे पहले नियुक्त अथवा पदोन्नत हुए थे।	,,
,,	844.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	सभी भारतीय रेलों में वरिष्ठ गाड़ी-निरीक्षकों के प्रति किया गया अन्याय क्योंकि उन्हें 205-280 रुपये के वेतनक्रम में पदोन्नत किये जाने पर 1 अप्रैल, 1966 से 1 जुलाई, 1970 तक की अवधि के वेतन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, हालांकि उसी ग्रेड के कनिष्ठ व्यक्तियों के वेतन की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।	,,
,,	845.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	गाड़ी निरीक्षक के 100-180 रुपये के वेतनक्रम का 205–280 रुपये के ग्रेड में विलय करने में असफलता, हालांकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा रेलवे बोर्ड ने भी 18 तथा 19 अगस्त, 1970 को रेलवे मैन फैडरेशन के प्रतिनिधियों को ऐसा कर देने का वचन दिया था, जब गाड़ी निरीक्षक नियमानुसार काम करने का आन्दोलन चला रहे थे।	,,
,,	846.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	कैरेज तथा वैगन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विद्यमान रिक्त पदों पर न्यायोचित पदोन्नति देने में पूर्व रेलवे में के सियालदाह और आसनसोल डिवीजन के डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियरों (कैरेज एण्ड वैगन) का उपेक्षापूर्ण रवैया।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	890.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	स्टेशन कार्यालयों, कैबिनों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये छतों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
,,	891.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	कर्मचारियों के क्वार्टरों के बरामदों में लकड़ी अथवा सीमेन्ट की जाफरियां बनाने और खिड़कियों में पर धातुओं के चौड़े शेड बनाने में असफलता।	,,
,,	892.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	ऐसे कर्मचारी क्वार्टरों में जहां स्थानीय रूप से विजली उपलब्ध है बिजली तथा छतों के पंखों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	893.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	स्टेशन कार्यालयों तथा कैबिनों से संलग्न कर्मचारी-शौचालयों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	895.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :	नई रेलवे लाइनें बनाने के मामले में केरल की उपेक्षा।	,,
,,	896.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :	गत तीन योजनाओं के दौरान रेलों द्वारा खर्च की गई 3191 करोड़ रुपये की कुल राशि में से केरल में केवल 5.3 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये, जबकि केरल की जनसंख्या के अनुसार इसका समुचित हिस्सा 215 करोड़ रुपये बनता था।	,,
,,	897.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :	रेलवे लाइनों की मील-दूरी अपेक्षाकृत कम है क्योंकि रेलों और जनसंख्या के अनुपात के अनुसार अखिल भारतीय मध्यमान 10.915 किलोमीटर प्रति एक लाख व्यक्ति है जबकि केरल में रेलवे लाइनों की मील-दूरी इस अखिल भारतीय मध्यमान का केवल एक तिहाई है।	,,
,,	898.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :	केन्द्रीय कर्मशालाओं, स्टोर डिपो और मुख्यालयों के निर्माण के मामले में केरल की उपेक्षा।	,,
,,	899.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :	केरल में नई रेलवे लाइनें न बनाई जाना हालांकि वहां के यात्री तथा माल यातायात से रेलों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है जबकि भारत के अन्य भागों में अलाभप्रद रेल लाइनें बनाई जा रही हैं।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3 4	5
1	900.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में महत्त्वपूर्ण नगरों के बीच और अधिक एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	901.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में क्विलोन या त्रिवेन्द्रम में एक नया रेलवे डिवीजनल कार्यालय खोलने की आवश्यकता।	,,
,,	902.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : एक नया तथा अधिक बड़ा रेलवे स्टेशन क्विलोन में और दूसरा एर्णाकुलम जंकशन पर बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	903.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : एर्णाकुलम, क्विलोन, ओलवकोट, कन्नानूर, कोजीरोड, त्रिचूर और कोलायम में अधिक बड़े रेलवे अस्पताल बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	904.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में डीजल लोको-शेड बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	905.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : एर्णाकुलम, क्विलोन, त्रिवेन्द्रम सेक्शन में बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	906.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में ओलावाकोट और मदुरै डिवीजनों में गाड़ियों के चलाये जाने के समय में तालमेल रखने की और इन दोनों डिवीजनों के बीच सहयोग तथा तालमेल के अभाव के कारण एर्णाकुलम में यात्रियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें दूर करने की आवश्यकता।	,,
,,	907.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में गुरुवयुर और त्रिचूर को मिलाने वाली एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	908.	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में पुलालूर से कयनगुलाम तक एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	909.	**श्री रामावतार शास्त्री** : पुराने क्वाटरों को नया रूप देकर सब कर्मचारियों के लिये दो कमरों वाले क्वाटरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	910.	**श्री रामावतार शास्त्री** : चोरी की समस्या, मजदूरों और प्रबन्धकों के पारस्परिक सम्बन्धों और रेलों से सम्बन्धित अन्य आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिये रेलों में सभी कार्मिक संघों की संयुक्त बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	911.	**श्री रामावतार शास्त्री**	छोटे स्टेशनों वाले स्थानों पर बच्चों की शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए समुचित सुविधाएं प्रदान करने अर्थात् प्रत्येक डिवीजन में एक राजसहायता प्राप्त होस्टल खोलने और सभी स्टेशनों पर बच्चों के लिये पार्क बनवाने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	912.	**श्री रामावतार शास्त्री**	सभी स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए क्वाटरों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	913.	**श्री रामावतार शास्त्री**	स्टेशनों पर बने कुओं में छोटे पम्पों के प्रयोग द्वारा छोटे स्टेशनों पर बने स्टाफ क्वाटरों में पानी की सप्लाई की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	914.	**श्री रामावतार शास्त्री**	छोटे स्टेशनों पर समुचित चिकित्सा सुविधाओं की, जिसमें कीमती दवाइयां देना भी शामिल हो, व्यथवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	915.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेलवे चैकिंग स्टाफ का वर्गीकरण रनिंग स्टाफ की श्रेणी में करने की आवश्यकता।	,,
,,	916.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आर० एम० एस० गाड़ियों में पोस्टल कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।	,,
,,	917.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेलवे बोर्ड द्वारा समस्तीपुर महाविद्यालय को इस विचार से कि उसमें रेलवे कर्मचारियों के बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
,,	918.	**श्री रामावतार शास्त्री**	दरभंगा में स्थित सैनिक हवाई अड्डे के महत्त्व के विचार से समस्तीपुर से दरभंगा तक एक बड़ी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	919.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे पर गुलजारबाग स्टेशन में पूर्व की ओर जाने वाली जनता एक्सप्रैस को रोकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	920.	**श्री रामावतार शास्त्री**	गाड़ी के लिपिकों की उचित मांगों को पूरा करने तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	921.	**श्री रामावतार शास्त्री**	गाड़ी लिपिकों की वाणिज्यिक विभाग में पदोन्नति करने तथा उनके लिये प्रतिशत नियत करने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	922.	**श्री रामावतार शास्त्री**	गाड़ी लिपिकों के काम के अनुसार उनके पदनाम को वाहन संचलन नियंत्रक करने की आवश्यकता।	,,
,,	823.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेल कर्मचारियों को सार्वजनिक छुट्टियां देने की आवश्यकता।	,,
,,	924.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेल रेखा लिपिक ग्रेड 2 को उच्च श्रेणी में उनकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति देने में असफलता।	,,
,,	925.	**श्री रामावतार शास्त्री**	लेखा लिपिकों की प्रशिक्षुता **II–क** परीक्षा समाप्त करने तथा उन्हें सीधे प्रशिक्षुता-**III–क** में बैठने की अनुमति देने में असफलता।	,,
,,	926.	**श्री रामावतार शास्त्री**	लेखा लिपिक ग्रेड—2 को वरिष्ठता के आधार पर तथा उच्च ग्रेड में जब भी स्थान रिक्त हो सब-हेड (210–380) दर्जे तक पदोन्नति न करना।	,,
,,	927.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन, 1957 के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए स्टेशन मास्टरों और सहा-स्टेशन मास्टरों के लिए वेतन निर्धारण सिद्धांतों को निर्धारित करने में असफलता।	,,
,,	928.	**श्री रामावतार शास्त्री**	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये सेवाओं का वर्गीकरण करने की आवश्यकता।	,,
,,	929.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेल दुर्घटनाओं के संदर्भ से मानवीय असफलताओं को दूर करने के लिये निवारक उपाय करने की आवश्यकता।	,,
,,	930.	**श्री रामावतार शास्त्री**	सभी रेल कर्मचारी को विशेष वेतन देने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	931.	**श्रीरामावतार शास्त्री** :	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों और अन्य रेल कर्मचारियों द्वारा की गयी सेवा की अवधि को ध्यान में रख कर नये वेतन-मान नियत करने की आवश्यकता।	100 रु० ,,
,,	932.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेल कर्मचारियों की सभी वर्तमान यूनियनों को तीसरे वेतन आयोग के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
,,	933.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों और अन्य रेल कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार देने की आवश्यकता।	,,
,,	934.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये मुख्य कार्यालय द्वारा नियंत्रित पदों तथा अन्य पदों के सम्बन्ध में उचित स्थानान्तरण नियमों की आवश्यकता।	,,
,,	935.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	गाड़ियों को समय-सारिणी के अनुसार चलाने तथा उनके देरी से चलने को रोकने में असफलता।	,,
,,	936.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पूर्व रेलवे पर बख्तियारपुर से राजगीर तक गाड़ियों के देरी से चलने के कारण यात्रियों को असुविधा और रेलवे विभाग को लगभग पन्द्रह लाख रुपये की आय की वार्षिक हानि।	,,
,,	937.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	अखिल भारतीय रेल स्वीच-मैन, केबिन-मैन तथा लीवर-मैन संघ को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
,,	938.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पूर्व रेलवे में दानापुर डिवीजन के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के श्रमिक विरोधी व्यवहार को रोकने में असफलता।	,,
,,	939.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे में स्वचालन रोकने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	940.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	गैंग-मैनों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता ।	100 रु०
,,	941.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पूर्व रेलवे में बख्तियारपुर और राजगीर स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियों में पानी की कमी तथा अपर्याप्त रोशनी के प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	942.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पटना-गया लाइन पर गया और पटना के बीच वालीजयात्री गाड़ियों में पानी, रोशनी तथा पंखों की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	943.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेल कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की मांग स्वीकृत करने में असफलता ।	,,
,,	944.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	उत्तरी बिहार में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता ।	,,
,,	945.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पटना-गया लाइन पर पटना जंक्शन में सुबह 6 बजे पहुंचने वाली एक गाड़ी शुरू करने की आवश्यकता ।	,,
,,	946.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पूर्व रेलवे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के बुकिंग आफिस को जो कि इस समय काफी दूर स्थित है किसी सुविधा-जनक स्थान पर ले जाने की आवश्यकता ।	,,
,,	948.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज को दी गई सभी रेल सुविधाओं को वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
,,	949.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	समस्त रेल कर्मचारियों को मजदूर यूनियन बनाने का अधिकार देने तथा यूनियनों और सेवा सम्बन्धी संघों को मान्यता देने की नीति बनाने तथा उन्हें बातचीत के द्वारा झगड़े निपटाने की सुविधाएं देने की आवश्यकताएं ।	,,
,,	950	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेलवे कर्मचारियों की बुढ़ापे में सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	951.	**श्री रामवतार शास्त्री**	सभी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ देने की आवश्यकता।	100 रु०
,,	952.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेल कर्मचारियों को वर्दी तथा धूप आदि से बचाव के लिये कपड़े देने की आवश्यकता।	,,
,,	953.	**श्री रामावतार शास्त्री**	गोपनीय पंजिकायें समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	954.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में विद्यमान रिक्त स्थानों को भरने में असफलता।	,,
,,	955.	**श्री रामावतार शास्त्री**	दानापुर के ग्रेड 'क' फायर-मैनों को पदोन्नति तथा वर्दी देने की आवश्यकता।	,,
,,	956.	**श्री रामावतार शास्त्री**	परिचालन कर्मचारियों को आगमन हस्ताक्षर के स्थान से प्रस्थान हस्ताक्षर तक मील भत्ता देने की आवश्यकता।	,,
,,	957.	**श्री रामावतार शास्त्री**	सभी रेल कर्मचारियों के छुट्टी सम्बन्धी नियम बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	958.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेल कर्मचारियों के लिये बने सर-कारी कर्मचारी आचरण नियमों को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	959.	**श्री रामावतार शास्त्री**	सभी रेल कर्मचारियों को पास और अन्य छुट्टी यात्रा रियायतें देने की आवश्यकता।	,,
,,	960.	**श्री रामावतार शास्त्री**	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों सहित अनुशासन सम्बन्धी नियमों की आवश्यकता।	,,
,,	961.	**श्री रामावतार शास्त्री**	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति करने की आवश्यकता।	,,
,	962.	**श्री रामावतार शास्त्री**	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की परिलब्धियों और सेवा की शर्तों के ढांचों में परिवर्तन की आवश्यकता ताकि उन्हें युक्तिसंगत, सरल, एक समान तथा समकक्ष बनाया जा सके।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	963.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	वरीयता के आधार पर विद्यमान रिक्त स्थानों पर रेल कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति की आवश्यकता।	100 रु०
,,	964.	**श्री रामावतार शास्त्री**	संगचल कमरा, रसोइयों और बैरों को नियमित बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	965.	**श्री रामावतार शास्त्री** :	लोको शेड कर्मचारियों के लिये व्यावसायिक परीक्षा का प्रबन्ध करने में असफलता।	,,

*__डा० सरदीश राय__ (बोलपुर) : यह सच है कि रेलवे प्रशासन के कुछ क्षेत्रों में फालतू स्टाफ है। वर्ष 1950-51 में 2, 55, 137 सवारी डिब्बे थे जब कि 1968-69 में इनकी संख्या 4, 16, 150 हो गई। 1950-51 में सभी प्रकार के इंजनों की संख्या 8209 थी जब कि 1968-69 में इनकी संख्या 11,555 हो गई।

1950-51 में रेलवे में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 3,101 थी जो कि 1968-69 में बढ़ कर 6816 हो गई। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की संख्या में 355 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जबकि वास्तविक रूप से रेलवे का कार्य चलाने वाले कर्मचारियों की संख्या में हुई केवल 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तव में कार्य करने वालों की संख्या में वृद्धि 45 प्रतिशत हुई जबकि कार्य का पर्यवेक्षण करने वालों की संख्या में वृद्धि 222 प्रतिशत से 335 प्रतिशत तक हुई है। इससे स्पष्ट है कि रेलवे में वर्ग 3 व वर्ग 4 के कर्मचारियों का कार्यभार अधिक है।

रेलवे दुर्घटना जांच समितियों ने, जो कि 1962 तथा 1968 में नियुक्त की गई थीं, अपनी रिपोर्टों में कहा है कि यदि छुट्टी रिजर्व वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो कार्य क्षमता में सुधार होगा जिससे कि दुर्घटनाओं की संख्या घटने की संभावना है।

रेलवे तथा डाक तार विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी रिजर्व वाले कर्मचारियों के अभाव में छुट्टी के लिये झूठे प्रमाण-पत्र देने पड़ते हैं।

चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को एक रुपया वार्षिक वेतन-वृद्धि दी जाती है। परन्तु कई व्यक्तियों को उक्त वेतन-वृद्धि भी चार-चार, पांच-पांच वर्ष तक नहीं मिलती।

सामान्य चर्चा में बताया गया था कि विद्युतीकरण पर फालतू खर्च को रोकने के लिये कार्य ठेकेदारों द्वारा नहीं कराया जायेगा। परन्तु कई विभाग आज भी ठेकेदारों के माध्यम से माल खरीदते हैं। रेलवे द्वारा दवाइयां भी ठेकेदारों के माध्यम से खरीदी जाती हैं। डबल रोटी भी ठेकेदारों के माध्यम से खरीदी जाती है। तब भी वस्तुओं को अधिक मूल्यों पर बेच कर रेलवे लाभ उठाती है।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

आजकल माल डिब्बों को तोड़ने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। जब रेलवे सुरक्षा दल स्थापित नहीं हुआ था तब ऐसी घटनाएं अधिक नहीं घटती थीं। राजनीतिक कारणों से भी डिब्बे तोड़े जाते हैं।

रेल मंत्री ने सभा में बताया था कि रोजगार के साधन जुटाने के प्रयत्न किये जायेंगे। परन्तु उन्होंने राज्य सभा में बताया है कि प्रशासनिक व्यय में कमी लाने के लिये रेलवे में 3 राजपत्रित, 1156 तृतीय वर्ग तथा 1418 चतुर्थ वर्ग के पद कम कर दिये गये हैं। स्पष्ट है कि वास्तविक कार्यकर्ताओं की संख्या ही घटाई गई है।

रेलों में, विशेषत: कलकत्ता में रेलों में भारी भीड़ रहती है। मैं समझता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : देश में रेलवे सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है जिसमें 14 लाख से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। मुझे खेद है कि रेलवे जनता को सुख-सुविधा देने में विफल रही है। रेलवे बोर्ड में अधिकारी-तंत्र चल रहा है। हमें वहां तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। सरकार कुछ आदर्शों के प्रति वचनबद्ध है। प्रशासन में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति नये तकनीकी, तथा शिक्षित व्यक्तियों में से की जानी चाहिए। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय किये गये 3191 करोड़ रुपया में से केरल पर केवल 5 करोड़ रुपये व्यय किये गये। जनसंख्या के आधार पर मेरे राज्य पर 200 करोड़ रुपया व्यय होने चाहिए थे। केरल में केवल एक ही रेलवे लाइन है। हमारी राजधानी त्रिवेन्द्रम से कासरगोड जाने में दो दिन लग जाते हैं, जिसकी दूरी केवल 300 मील है। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि कोचीन को त्रिवेन्द्रम तक बरास्ता एरणाकुलम एक बड़ी लाइन होनी चाहिए। परन्तु वहां कोई बड़ी लाइन नहीं बनायी गई है। यह भी मांग की जाती रही है कि एरणाकुलम से अलप्पी तक एक तटीय रेलवे लाइन होनी चाहिए। रेलवे द्वारा केरल की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वरकाला एक तीर्थ स्थान है तथा वहां देश के सब भागों से 50 लाख से अधिक यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। वहां एक नया रेलवे स्टेशन बनाने की मांग की जाती रही है। परन्तु इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। इस समय तेज चलने वाली गाड़ियां वहां नहीं ठहरतीं। वहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

छोटी लाइन के लिये कोई डिवीजनल कार्यालय नहीं है। क्विलोन अथवा त्रिवेन्द्रम में एक डिवीजनल कार्यालय खोलने की मांग की जाती रही है। यदि त्रिवेन्द्रम में डिवीजनल कार्यालय खोला जाये तो अच्छा रहेगा।

गुरुवायूर में एक प्रसिद्ध मन्दिर है। जनता यह मांग करती रही है कि रेलवे लाइन को त्रिचूर से गुरुवायूर तक बढ़ाया जाये। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

रेलवे को त्रिवेन्द्रम अथवा क्विलोन में एक रेलवे वर्कशाप बनाने के विषय में विचार करना चाहिए। यदि उसे त्रिवेन्द्रम में बनाया जाये तो अधिक अच्छा रहेगा।

लोको ड्राइवरों के विरुद्ध कुछ मामले लंबित हैं। गरीब लोको ड्राइवरों के विरुद्ध मामले वापस लिये जाने चाहिए। रेलवे अधिकारियों द्वारा उनके संघ को मान्यता दी जानी चाहिए तथा उनकी वैध मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैं आशा रखता हूं मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

Shri N. K. Sinha (Muzaffarpur): There are a number of mineral deposits in Bihar, some of which are the largest in the whole world. But these mines are not being exploited properly and on economic lines, because proper arrangements for loading, unloading and transportation to the ports and factories do not exist there.

A bridge over Ganga at Patna was constructed a few years ago with the provision of single track line. It was then suggested that there should be double track. But the Railway Board did not agree to it. After years of use the necessity for second bridge at the same place has been felt and another bridge is under construction there. If it is being done by Bihar Government, the Central Govt. should give full co-operation.

Bihar is the State with least consumption of power. Dr. K. L. Rao in a speech referred to the construction of a thermal power station. He even named Muzaffarpur. For that purpose, the line between Samastipur and Muzaffarpur should be converted into broad gauge instead of the existing metre gauge line. It should be given priority.

I suggest the Hon. Railway Minister to look into these few things.

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : प्रति वर्ष सरकार रेलों के किराये तो बढ़ाती है परन्तु यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न नहीं करती।

सभी वर्गों के रेलवे कर्मचारी अच्छी सेवा की शर्तों के लिये सदा आन्दोलन करते रहे हैं, परन्तु सरकार अपने ही कर्मचारियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देती।

रेलवे में सबसे निम्न स्तर का वर्ग लाइसेंस-प्राप्त रेलवे कुली हैं। कोई भी उनकी कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देता। गत कई वर्षों से लोग अच्छी सेवा की शर्तों की मांग कर रहे हैं। इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की गई थी और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था, किन्तु उनकी सेवा की शर्तों में कुछ भी सुधार नहीं किया गया है।

रेलवे कर्मचारियों के बहुत से संघ हैं किन्तु वे मान्यता-प्राप्त नहीं हैं। उत्तरी रेलवे मजदूर संघ, पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ, इन्डियन रेलवेमेन्स फेड्रेशन, अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ आदि जैसे संघ मान्यता की मांग कर रहे हैं। सरकार जानबूझ कर उनकी मांग को स्वीकार नहीं कर रही, ताकि वे बातचीत में हिस्सा न ले सकें।

खान-पान की व्यवस्था सुधारने के कई सुझाव दिये गये हैं, परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

केरल के जो लोग दिल्ली या कलकत्ता जैसे दूर के स्थानों में रहते हैं उन्हें वर्ष में एक बार सुविधापूर्वक केरल जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सीधे जाने वाले डिब्बों में स्थान मिलने के कारण हजारों यात्रियों को निराश लौटना पड़ता है।

कोचीन और मद्रास के मध्य नई गाड़ियों के संबंध में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जब कोचीन से क्विलोन बरास्ता अलप्पी की प्रस्तावित नई लाइन के बारे में प्रश्न किया गया तब मंत्री महोदय ने बताया कि यह एक समानान्तर लाइन है। सरकार ने सर्वेक्षण करने के पश्चात् निर्णय किया है कि समान्तर लाइन होने के कारण उसे लिया नहीं जा रहा। यह विचित्र तर्क है। इस रेलवे लाइन की यात्री सेवा के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण क्षेत्र के अविकसित होने के

नाते भी उसकी आवश्यकता है । रेलवे लाइनें बनाये बिना आप किसी राज्य का औद्योगीकरण नहीं कर सकते । केरल सरकार ने आठ नई लाइनों का प्रस्ताव किया है परन्तु यह सरकार एक को भी स्वीकार नहीं कर रही । यदि आप भारत के लोगों को नई लाइनों की सुविधा नहीं देते तो आपको किराये-भाड़े बढ़ाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ।

Shri M.C. Daga (Pali): I have said repeatedly that various areas of Rajasthan are backward. When I proposed a new railway line from Faulad to Abu, I was told that it was not in the plan. That line would feed an extremely undeveloped area. Previously a plan was drawn for this line and bridges were also constructed. I fail to understand the reasons for giving it up.

Pali is an old industrial town. Pali Railway Station and its surroundings are so dirty that no body would like to stay there. When approached, Railway authorities stated that it was for the Municipality to undertake that work.

I have been constantly writing for raising the level of railway line leading to Maharajanj Amed Mill as it would save 300 houses from inundation. Construction of a small bridge would be of great help to the poor inhabitants of the area.

Persons who do not possess legal knowledge have been posted in the legal de partment of the railways and as a result of that neither the witnesses can come nor the procedural matters are followed. The railways thus meet with failure in ninety per cent of the cases.

I hope the hon. Minister would give due consideration to these points.

Shri Mohammad Tahir (Purnea): Sir, in brief I would like to suggest that the importance of the route should be taken into consideration before undertaking the construction of a railway line or converting any Metre Gauge line into a broad gauge railway line. There is no direct train from Delhi to Assam though the route is quite important. Assam being situated on the border it is desireable that metre gauge line from Barauni to at least Barsoi is converted into broad gauge line. It is of national importance to convert the existing meter gauge railway line from Barauni to Katihar into broad gauge railway line.

I would also like to submit that an over-bridge should be constructed at the level crossing in Purnea Town near Purnea junction. If you go to Purnea by road you will find that people have to wait there for a long time when the gate is closed and during that period a large number of vehicles have to line up at the national highway. I, therefore, request the hon. Minister that an over-bridge should be constructed there.

My third point is that the circular issued by the General Manager of Northern Railway regarding the withdrawal of railway concession given to the students of Islamic Institution of Moradabad, Saharanpur, Amroha, Lucknow etc. on the plea that these institutions are not recognised, should be withdrawan. I request that the practice of giving railway concession to these students should be continued. Whether these institutions are recognised or not, it is the constitutional right of the Muslims to form them and they have done it. Besides, large number of foreigners attend these institutions. It is, therefore, requested that the railway concession given to the students of these institutions should continue. With these words, I support these demands.

Shri R. V. Vade (Khargone): Sir, I have tabled three cut motions on the demands of Railways. One of them relates to the failure regarding the stoppage of the train running from Khandwa to Indore at Kodalya-Khedi station. This matter is pending for the last three months. Government should take early decision on it.

My second cut motion is regarding the conversion of Ajmer-Khandwa metre gauge line into a broad gauge one. There being a Military Training centre at Mhow, large number of military officers go there. But they have to change the train at Ratlam. The Railway line from Ratlam to Mhow is metre gauge and the trains running on it take a long time. Thus, to avoid the inconvenience caused to the military officers and others this line should be converted into broad gauge.

My third cut motion is on failure to construct a new line from Khandwa to Dahod covering all Adivasi areas of West Nemad and Zabua. It has been observed that no development work has been done for the 56 lakhs of Adivasi living in Madhya Pradesh. No railway link has been provided from Khandwa to Zabua and from Khargone to Zabua. Narmada valley area is a cotton and ground nut growing area an there are over 250 ginning mills and 250 oil mills. This matter was discussed with the then Railway Minister Dr. Ram Subhag Singh also, who told in 1962-63 that the proposed-railway line from Khandwa to Dabod had no importance from security point of view. We had also requested that Government should at least undertake the survey of the line but I am sorry to say that even the survey could not be done.

As a result of that the entire area is left undeveloped. With a view to develop this area it is therefore quite essential to provide the proposed railway line.

I may also mention that due to the absence of railway line from Bombay to Indore, Railway is sustaining heavy loss and the entire goods are being transported through Road transport. Govt. should look into it.

It should also be pointed out that the whole Adivasi area can be developed by laying Railway line from Raipur to Jagdalpur. The Japanese are not permitting us to carry iron ore from Belladella to the port and to transport other goods. They may be impressed upon to allow us to use that track.

If Government are really interested in the welfare of the Adivasi of Madhya Pradesh they will have to provide them with Railway lines.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar): Sir, We have repeatedly requested that twice a week service of the train running from Delhi to Utkal should be converted into daily service. But it is regretted that no heed is paid to this request. An over-bridge should also be constructed at Pakaraunia station between Sagar and Damoh, to avoid accidents. Similarly an over-bridge is also needed at Patharia level crossing.

New Railway lines should also be constructed from Sagar to Saigor and from Panna to Rewa to facilitate the people who have to face various difficulties, particularly in the rainy days when the road transport is closed.

We have requested the hon. Minister several times that railway links should be provided from Sagar to Badi Devari and from Barman to Karaily station. During the rainy days, the people of this area are put to serious difficulties because of the big rivers like Narmada. The Government have sanctioned more than ten new lines for each of the states whereas this backward area is being totally ignored by them.

Chauki station on Beena-Kota line should be re-opened. Similarly, Daugidar station which is closed at present on Sagar-Damoh line should also be-opened. Apart from these things, Govt. should also ensure full employment to the people belonging to the scheduled castes and scheduled tribes. The officers of the Railway Department are not sympathetic to them and never try to absorb them against the permanent vacancies. Railways being the department with highest employment potentiality, these people should be provided with suitable jobs therein. I hope my suggestion would be implemented by the Government.

Shri Mulki Raj Saini : (Dehra Dun) : Sir, I would like to refer to the paragraph 45 of the speech of the Hon-Minister. It was stated therein that the arrangements of drinking water have been made on all the Railway Stations. But it is quite strange that no arrangements of drinking water have so far been made on the two stations namely, Harrawala and Raiwala. In reply to a note given to the Hon-Minister, it was stated that pipelines have been laid there but the Dehra Dun Municipality could not provide drinking water and that they were contacting some other agency for this purpose.

Raiwala is an important junction. It in a timber centre also, Government's earlier policy regarding digging tubewells has failed and they are formulating another programme costing Rs. 83,000. Several attempts have been made by me to get the railway timings corrected. But no heed has been paid by them in this regard. It has been observed that the trains do not reach their destinations in time and I have personal experience in this regard.

I have also invited the attention of the Hon-Minister to this matter but no steps have been taken so far. We are public representatives but our requests are not acceded to by the Government.

The Shahadara-Saharanpur Light Railway has been closed by the Government on the plea that it was uneconomical. If it is the criterion then Government will have to close all the Railways because the loss of Rs. 33 crores is suffered by the Railway every year. The question pertaining to this railway has been raised by me and Shri Vikal several times in the House. It should also be kept in view that the condition now have changed and several markets, such as Rampur, Nanauta, Shamli etc. have been developed in this *area*. It should also be understood that the loss, if any, was due to the prevalent corruption and red-tapism in the Railways. I am also sure that if the working is stream-lined this railway line would not run in loss, in view of the heavy traffic on it. The Hon-Minister should realise the difficulties faced by the passengers who wait for hours together for the road transport at the open bus-stops.

I conclude with the words that the Hon-Minister should think over these suggestions and provide these basic facilities to the poor people.

श्री एम० सुदर्शनम (नरसावारवेट) : महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि रेलवे में कार्य कुशलता का स्तर पर्याप्त रूप से ऊंचा नहीं उठा है। जब तक इस विभाग में कार्य कुशलता नहीं लायी जायेगी तब तक उसका बजट अच्छा नहीं हो सकता।

रेलवे में बहुत चोरी होती है तथा वहां समपाई भत्ता भी बहुत दिया जाता है। इसको समाप्त करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जनता की सुविधा के लिये नई रेलवे लाइनें बिछानी चाहिये तथा जो लाइनें लाभयुक्त नहीं हैं उन पर लगाई गई पूंजी से ब्याज नहीं लेना चाहिये। इससे रेलवे का भी घाटा कम हो सकता है।

रेलों द्वारा खाद्य पदार्थों की सप्लाई का भी महत्वपूर्ण कार्य करना होगा तथा कुछ मामलों में राज सहायता देना भी अनिवार्य है। राजधानी एक्सप्रेस का कार्य बहुत ही सराहनीय है तथा सरकार को इस प्रकार की अन्य रेलगाड़ियां चलानी चाहिये।

[श्री सेभियान पीठासीन हुये]

[Shri Sejhian in the Chair]

राजनीतिक आंदोलनों के समय रेलवे को बहुत हानि पहुंचाई जाती है। सरकार को उनकी पूरी रक्षा करनी चाहिये जिससे रेलवे विभाग कोहानि न पहुंचे।

मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे बोर्ड शाखा लाइनों की बहुत उपेक्षा करता है। इन लाइनों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया जाता है। गुंटूर-गुंटक्कल लाइन पर निश्कोंडा नामक रेलवे स्टेशन पर पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में सदा प्रबन्धक को पत्र भी लिखा था। उस स्टेशन पर एक कुआं बनाना आवश्यक है क्योंकि इस गरमी के मौसम में जनता को पेय जल के न मिलने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मेरा यह भी निवेदन है कि गुन्टूर से मचेरला छोटी लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदल दिया जाये क्योंकि नागार्जनसागर परियोजना के कारण वहां पर यातायात में बहुत वृद्धि हो गयी है। मद्रास से हैदराबाद का रेल फासला कम करने की भी आवश्यकता है।

विजयबाड़ा पर माल तथा यात्री यातायात में कमी करने की भी आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन भी किया है तथा नदीकुडी से बबीनगर तक नई रेलवे लाइन बिछाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। इससे लगभग 100 किलो मीटर रास्ता कम हो जायेगा तथा इस लाइन पर अधिक लागत भी नहीं आयेगी। यह लाइन बड़ी लाभप्रद रहेगी तथा इस को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

रेलवे विभाग छोटे रास्ते के माल तथा यात्री यातायात की उपेक्षा करता है, जो उचित नहीं है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन में इस सम्बन्ध में बड़ी स्पर्धा है। रेलवे बोर्ड को इस बारे में विचार करना चाहिये।

श्री था किरुत्तिनन (शिवगंज) : मैं रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पूरा समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैंने 78 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। रेलवे प्रशासन में कमियों को सामने रखने के किये ये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं मंत्री महोदय से इन कटौती प्रस्तावों पर ध्यान देने तथा उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिये अनुरोध करता हूं।

मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 344 का उल्लेख करता हूं। इस समय दक्षिण रेलवे में पेराम्बूर शॉप्स में सीधी भर्ती के लिये 1600 प्रत्याशियों का साक्षात्कार हो रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार मद्रास स्थित जनरल स्टोर्स डिपार्टमेंट के एक प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के खलासियों को पेराम्बूर शाप्स में नियुक्त करने के लिए विचार किया जायेगा। इस हिसाब से 1600 में से केवल 16 ही नियुक्त किये जायेंगे, इस नियम को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये जिससे चतुर्थ श्रेणी के अधिक खलासी नियुक्त किये जा सकें।

इसी प्रकार स्टोर्स डिपो को नागपत्तिनम् से गोल्डन राक ले जाये जाने का प्रस्ताव है। मैं रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से पूर्णतया असहमत हूं और इसीलिए मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या 345 प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से आवश्यक खर्च होगा। इसी प्रकार यदि तंजोर लोकोशेड को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा तो सैकड़ों परिवारों को असुविधा होगी और काफी धन व्यय होगा। मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

रेलवे प्रशासन वर्तमान रिक्त पदों को भरने में असफल रहा है। बहुत से निम्न वेतन वाले कर्मचारियों को इन रिक्त पदों पर स्थानापन्न अवस्था में कार्य करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन को रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए अस्थाई पदों को स्थायी करना चाहिये।

"वर्किंग एक्सपेंसेज" शीर्षक के अन्तर्गत मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या 363 प्रस्तुत किया है। मद्रास स्थित जनरल स्टोर्स डिपार्टमेंट को मकान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सम्बन्धित अधिकारियों ने बताया था कि इसके भवन निर्माण के लिये अपेक्षित धनराशि नियत कर दी गई है परन्तु अभी तक भवन नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को कठिनाई होती है। इस विभाग के अधीन करोड़ों रुपयों का स्टोर्स है, अतः इसके लिये नये भवन की अत्यंत आवश्यकता है।

"स्टाफ वेल्फेयर" शीर्षक के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैंने मंत्री महोदय का ध्यान कर्मचारियों को दी जाने वाली अपर्याप्त सुविधाओं की ओर दिलाया है। मंत्री महोदय को इन कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य करना चाहिये जिससे ये कर्मचारी अधिक कुशलता-पूर्वक कार्य कर सकें।

दक्षिण रेलवे में गुडुर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचरियों ने रेलवे की जमीन पर झोपड़ियां बना ली हैं तथा काफी वर्षों से वे वहां रह रहे हैं। रेलवे अधिकारी इस जमीन को उन कर्मचारियों से खाली करवा कर अपने हाथ में लेना चाहते हैं जबकि रेलवे को इस की आवश्यकता नहीं है। जब तक उन कर्मचारियों के रहने के लिये अन्य मकानों की व्यवस्था न हो तब तक रेलवे प्रशासन को चाहिये कि वह उन्हें वहां रहने दें, यदि आवश्यक हो तो मामूली किराया ले लें।

ग्रांड ट्रंक और सदर्न एक्सप्रेस गाड़ियों में आहार-कर्मचारियों को सर्दी के मौसम में सर्दी में पहनने के कपड़े नहीं दिये जाते हैं। मंत्री महोदय को इन कर्मचारियों को सर्दी के कपड़े देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या396 के संदर्भ में अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कर्मचारी मद्रास में रहते हैं और ताम्बरम में काम करते हैं उन्हें मकान किराया भत्ता और नगरपूर्ति भत्ता दिया जाता है परन्तु जो ताम्बरम में काम करते हैं और वहीं पर रहते हैं, उन्हें ये भत्ते नहीं दिये जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने ताम्बरम् को मद्रास का निकटस्थ क्षेत्र घोषित किया है। यह कर्मचारियों की उचित मांग है और मंत्री महोदय को इस समस्या की जांच करनी चाहिये।

मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 397 के संदर्भ में अनुरोध करना चाहता हूं कि इंजीनियरों और चिकित्सा कर्मचारियों को 'ब्रेकडाउन' भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नई लाइनों के सर्वेक्षण के लिए कोई धनराशि नियत नहीं की गई है। तमिलनाडु में बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं। यदि इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होगा तो रेलवे लाइनों की भी आवश्यकता होगी। इन पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के लिये तमिल-नाड सरकार जब भरसक प्रयत्न कर रही है तो रेलवे प्रशासन का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वहां नई रेलवे लाइने बिछायें। मंत्री महोदय को तमिलनाडु में कम से कम आगामी वर्ष में नई लाइनों का सर्वेक्षण करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।

तिरुनेलवेलि-कुमारी अन्तरीप लाइन के सर्वेक्षण का कार्य काफी समय से प्रगति पर है। हाल ही में रेल मंत्रालय में उप-मंत्री श्री कुरेशी ने राज्य सभा में कहा था कि सर्वेक्षण के पुनरावलोकन पर चार महीने और लगेंगे। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि सर्वेक्षण पूरा किये जाने के बाद काम कब आरंभ होगा। यदि उस क्षेत्र से निर्वाचित संसद सदस्य कांग्रेस (सत्तारूढ़) के न आयें तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वहां कोई सर्वेक्षण का काम ही न हो। तमिलनाडु से

श्री ओ० वी० अलगेशन जब रेल मंत्री थे तो बंगलौर और सेलम के बीच नई रेलवे लाइन डाली गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि तमिलनाडु में द्रमुक सत्ताधारी है और वह वर्षों तक शासन कर सकती है परन्तु इसका यह कार्य यह नहीं है कि वर्षों तक वहां कोई नई रेलवे लाइन डाली ही न जाये। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही इससे विस्फोटक और खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह तमिलनाडु में तिरुनेलवेलि और कुमारी अन्तरीप, कुमारी अन्तरीप और तूतीकोरिन और बरास्ता नागरकोइल त्रिवेन्द्रम् से तूतीकोरिन तक नये रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिये तत्काल कार्यवाही करें। मद्रास-अरकोणम् लाइन के विद्युतीकरण के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यद्यपि इस लाइन के विद्युतीकरण के लिए प्रारंभिक कार्यवाही तो की गई है तथापि अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है।

मैं 'रेलवे एम्प्लायीज प्रोग्रेसिव यूनियन' का प्रधान हूं जो दक्षिण रेलवे में हाल ही में बनी है। इस यूनियन के हजारों रेलवे कर्मचारी सदस्य बन गये हैं परन्तु इसे अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। क्योंकि इसे मान्यता नहीं दी गई है, अतः इस यूनियन के जो कर्मचारी सदस्य हैं, उन्हें परेशान और तंग किया जाता है। अतः इस यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये।

सभा में यह बार-बार कहा गया है कि दिल्ली और मद्रास के बीच एक गाड़ी चलाई जानी चाहिये। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस की गति बढ़ाई जानी चाहिये। राजधानी एक्सप्रेस जैसी कोई गाड़ी दिल्ली से मद्रास तक चलाई जानी चाहिये जिससे रेलवे को काफी राजस्व मिलेगा।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : The other day when the question of passengers' safety was raised in the House, the Hon-Minister of Railway gave an unsatisfactory answer. If this attitude of the Hon-Minister continues, what would be the fate of the passengers. It is given to the Press the things in the trains are being stolen with the connivance of the police officials. In 1968 a high-power committee was appointed in this regard. According to the report of that committee, the responsibility of maintaining law and order situation, being a State subject, rests on the States. It is further stated in the report that the Hon-Minister cannot escape the responsibility by saying that law and order is a state subject. At that the Speaker of Lok Sabha, in September 1958, asked the Hon-Minister to look into this problem. If such feelings that to put blame on each other exist among people then the life and property is not safe, and the revenue which is earned by the Railways will stop. What is still worse is the fact that the Hon-Minister of Railway has directed his Department that if the reply to a Member's letter is in negative, there is no need to send any reply.

In this context, I would like to express my views before the Hon-House as to whether this attitude of a Minister is correct ? Such a Minister should not be put at the head of a public undertaking of the size of the Indian Railways.

If proper reply is not given to our latters, how would we serve the people who have elected us ? This is a very serious matter and the Hon-Minister must change his attitude.

We represent the people and not the Government.

We try to put the matters of public interest before the Ministers and it is the duty of the Ministers to consider them.

Previously it was our complaint that the trains do not run in time but nothing is certain about the timings of the trains. They can run late by 24 hours. Sometimes even this cannot be found out whether the train will arrive at the station at all.

The other complaint is in regard to the catering department of the Railway. Some Hon-Members suggest the take-over of any concern running at the loss to the public sector. Small shop-keepers earn profit. The Catering Department of the Railways is in Public Sector. Why such a big organisation is running at loss ? I fail to understand.

While concluding I would like to say that in my constituency a broad gauge line was proposed to be laid. The survey made in that regard shows that if that line is laid via Darbhanga then it would cost more while the cost would be less if it is laid via Muzaffarpur. Therefore I suggest that broad gauge line should be laid via Muzaffarpur.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): It is true that the Railway is running at a loss. I cannot understand how this huge public undertaking of the size of Indian Railway is being run ? All the passenger trains running at present in Moradabad Division and Lucknow Division are being run without any T. T. E. The T. T. Es. have withdrawn in the name of economy and put in the 2-Tier trains. This has resulted in the loss of thousands of rupees per day. Government should look into this and put T. T. Es. in those trains.

During Shri Nanda's Ministership certain persons, who were un-employed, were recruited as casual labourer in Mogalsarai. Consequently thefts dwindled to 50 per cent but the retrenchment among casual labour started as soon as Shri Nanda relinquished his portfolio. As a result of this retrenchment the pilferage of coal, thefts of goods in yards, tickets, canteens etc. took place. If it is stopped, the Railway will definitely run at profit.

I cannot understand whether the Railway Board is bent upon harassing their employees. All India Railway Guard's Council is the only responsible organisation of the guards. But that organisation has not been recognised. Similarly, the All-India Station Masters' Conference has not been recognised. The Railway Board should consider it and try to fulfil the grievances put forward by these organisations.

Similarly, various excuses are made about laying of new railway lines. A survey was made some times back for a new railway line from Chandausi to Gajraula. A number of representations have since then been made but the railway line has not been laid so far. Government should pay attention to it.

Time-Tables of the trains should be prepared with a view to giving proper convenience to the travelling public.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) I had written to the Hon-Minister and had also handed over a letter to him personally, but could not get any reply thereto so far. It appears that the Hon-Ministers, by convention, do not reply to the letters from the Members of Parliament.

It is true that I represent that area where there is no railway traffic but lakhs of people from that area as also an equal numbers of pilgrims from plain areas come to Badrinath, Kedarnath and other tourist spots. They are not provided with any kind of facilities. I request that the pilgrims to these places should be given the same railway concessions as is given to the tourists to hill-stations.

Secondly, during the tourist season, the number of trains should be increased. It is moving to see a hundred or even a hundred and fifty passengers packed and travelling in one third class compartment, and there is none to look after their convenience Besides running an additional Janta Express, the number of bogies in trains starting from Haridwar, Rishikesh, Kotdwar and Dehradun should be increased.

Railway line from Dehradun to Kalsi should be started. You are aware that so many crores of rupees have been spent on Yamuna Project in Dak Patther but the material has been transported by trucks due to the non-availability of a railway line. It is not understood why Government have not laid railway line there If a railway line is still not constructed there, it might further delay the setting of a cement factory as has been proposed by the State Government and the Cement Corporation, resulting in great inconvenience in getting cement for the construction of certain very big dams.

The hilly people, whether from Uttar Pradesh or Himachal Pradesh or from any other hilly areas, are not being given employment in the railway services. They should also get jobs in railways Similarly, people from hilly areas should also be given due representations in Railway Users Committees and other Committees of the Railways.

Once again I repeat what I had written in my letter to the Hon-Minister; that there should be Booking office in Dehradun city and a shed on Rishikesh railway station. Also the railway staff should behave properly with the passengers.

With the above words, I support these demands.

Shri Satpal Kapur (Patala): Although I stand to support the demands, but my question is whether the working of the Railways would ever improve or not. There is late departure of trains, corruption is there and it appears that any officer who is posted in the Railway Board or Railway Ministry get demoralized. I think that the former Chairman of the Administrative Reforms Commission too has admitted his defeat after taking charge of the Railways Ministry. Railways are our biggest Public Sector but every organ of this Sector is defective and none cares to reform it. Lakhs of maunds of wheat got destroyed in Punjab and Hariyana for want of railway wagons. Lakhs of people were rendered jobless for want of coal supply by the Railways. So, besides passing the demands as a routine, the Parliament has to go into all these affairs also. I propose that the Parliament should appoint a Commission to find out remedies for all these evils in Railways, within three months.

Bureaucracy is prevalent in the Railway Board. It does not represent the people of the country. Therefore, we should not hesitate in changing the rules to end this sort of bureaucracy. Until you re-organised the whole system, it is not possible to bring about the desired reforms in the Railway administration. The whole machinery is corrupt. How can we improve then ? The only way is that the Parliament should appoint a Committee which could go into the affairs of the whole set up and submit its report to the Government.

The farmers of Hariyana and Punjab have suffered loss of crores of rupees for want of wagons. They have been asked to produce more and more foodgrains, but they were not provided with railway wagons to transport their produce with the result that the foodgrains get destroyed in rains etc. Then, no rseponsibility is fixed for such negligence or indifferent attitude of the railway authorities. There should be a system to fix responsibilities.

I know how much corruption is prevalent in the Railways. You cannot get any work done until you greese the palm of the concerned staff. The orders issued by the Minister are never implemented. Therefore, it is high time that all the Members of the Parliament should pay their attention towards this.

The Government should distinctly specify the duties and responsibilities of and also the penalties for all Class I gazetted officers and other special scale officers. It is not possible to bring about reforms until you fix responsibility for any lapse.

I know that Shri Hanumanthaiya has distributed the work from top to the lowest level. But now we have to go from one place to another, from one person to the other in respect of each matter. And there he thinks, is the end of his duties. It is not at all any remedy. To me, the most needed step is to revise the entire system of Railways otherwise the suffering people are not going to tolerate it any more.

श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग) : श्रीमन्, प्रस्तुत मांगों का समर्थन करने के साथ साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा । छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की सरकार की नीति पर बहुत ही धीमी गति से कार्य हो रहा है और लगभग 30,000 किलोमीटर की हमारी छोटी लाइनें हैं । मेरा सुझाव है कि इन लाइनों पर डीज़ल इन्जिन युक्त तेज चलने वाली गाड़ियां चलाई जायें ताकि यात्रियों को लाभ हो ।

जहां तक रेलवे प्रशासन का सम्बन्ध है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत देवनगिरीन में मैंने पाया कि विश्राम गृहों को कार्यालय खोलने के काम में लाया जाता है । क्या विश्राम गृह दफ्तर खोलने के लिए निर्मित किये जाते हैं ? मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय तुरन्त ही इसकी जांच करायें ।

कुछ रेलवे लाइनों के लिये काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है । हुबली से करवाड़ तक लाइन की इसलिये मांग की जाती रही है क्योंकि दोलामाली लौह अयस्क परियोजना के लिये करवाड़ सबसे निकटस्थ पत्तन है और लौह अयस्क के परिवहन में इससे बड़ी सहायता मिलेगी । दूसरी मांग मिराज से बंलौर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की है जिससे यात्रियों तथा माल के तुरन्त परिवहन में बड़ी मदद मिलेगी । हम चाहते हैं कि यामराज नगर से कोयम्बटूर तक भी एक लाइन बिछाई जाये । यह मांग हम पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे हैं ।

एक और लाइन रायलदुर्ग से चितलदुर्ग तक के अकाल-ग्रस्त क्षेत्र के लिये चाहिए । मुहकार-मोरूलू, रायलदुर्ग तथा चितलदुर्ग में महत्वपूर्ण हथकरघे की चीजें बनती हैं । इस लाइन के बिछाने से महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों का सम्बन्ध जुड़ जायेगा तथा रोजगार के भी बड़े अवसर उत्पन्न हो जायेंगे । परन्तु 1940 से चली आ रही इस मांग के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मंत्री महोदय कृपया कम से कम अब तो इस ओर ध्यान दें ।

भद्रावती रेलवे स्टेशन का निर्माण 1916 में हुआ था और आज भी वहां की दशा वैसी ही है । रेल मन्त्रालय को इस महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र की ओर यथोचित ध्यान देना चाहिये ।

पूना बंगलौर लाइन मार्ग के नगरों के बीच से ही गुजरती है और ऊपरी तथा भूमिगत पुलों के अभाव के कारण नगर में रहने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होती है क्योंकि गाड़ी के आते ही दोनों ओर आधे घण्टे से भी अधिक समय तक यातायात रुक जाता है ।

बंगलौर से तालगुप्पा तक सीधी लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिये । साथ ही बरूर से तालगुप्पा तक की गाड़ी में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डिब्बे भी जोड़े जाने चाहिये ।

अब दिल्ली से सिकन्दराबाद के बीच एक और राजधानी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है । इसे आगे गुन्टक्कल तथा फिर बंगलौर तक चलाने में क्या हानि है ?

इन शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : I want to draw the attention of the Hon-Minister towards the cut motions which I have submitted on the demands of the Railway Department. Whereas the Railways can be an ideal employer of the country and also a source of convenience to the people, their condition is deteriorating day by day despite many efforts to reform them.

To cite an example of autocracy in Railways, I would refer to the heavy rush in 213 and 214 passenger trains, the only train which carries third-class passengers including labours, to Delhi, every day. This train stops at all the stations in between and mostly labourers and Harijans travel by it. As there is always a great rush in this train, it is requested that a few more bogies be added to it. In case, it causes over-load, let one I class compartment which always remains vacant, be detached. I had written to the Railways about it but they have shown their inability to do any thing in this regard, saying that there was already 90 per cent occupation.

We challenged these figures in the meeting of the Consultative Committee and pointed out that we had a chart showing the details of the sale of each category of tickets and their number with their dates. As a result thereof, they removed one of the I class compartment from that train and attached a two-tier sleeper, but not the third class compartment which was actually very much needed. God knows how do the Railways think.

Shri Atal Behari Vajpayee : I am afraid whether God also knows it.

Shri Naval Kishore Sharma : I agree with him. There are still some more points which I want to bring home to the Hon-Minister.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । अब सभा कल प्रात: ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मङ्गलवार 15 जून, 1971/25 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The House then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 15th June, 1971/25 Jyaistha. 1893 (Saka).

Eagle Offset Printers, Allahabad